रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2006/ज्येष्ठ 26, 1928
No. 125] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2006/JYAISTHA 26, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2006

अंतिम जांच परिणाम

विषय : यूरोपीय संघ, यूएसए, चीन जन. गण. और ब्राजील से एथिलीन-प्रोपिलीन-नॉन-कानजुगेटेड डाइन रबड़ (ईपीडीएम) के आयात संबंधी पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम

फा. सं. 14/18/2004-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि एवं जांच शुरुआत

1. जबकि उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने मै. यूनिमर्स इंडिया लि. (जिन्हें एतद्पश्चात् आवेदक कहा गया है) द्वारा दायर पूर्णत: दस्तावेजयुक्त आवेदन जिसमें यूरोपीय संघ, यूएसए, ब्राजील और चीन जन. गण. (जिन्हें एतद्पश्चात् संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित एथिलीन-प्रापिलीन-नॉन-कॉनजुगेटेड डाइन रबड़ (डीपीडीएम) के पाटन और उनको हुई क्षति का आरोप लगाया गया है के आधार पर कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए उक्त नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 28 अप्रैल, 2005 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरुआत की थी।

ख. प्रक्रिया

2. जांच शुरुआत के बाद इस जांच के संबंध में निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 28 अप्रैल, 2005 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत में स्थित संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/प्रतिनिधियों, उपलब्ध सूची के अनुसार

संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को भेजी और उनसे जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की तारीख के 40 दिन के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया ।

(ii) संबंधित नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रतियाँ संबद्ध देशों/क्षेत्रों के ज्ञात निर्यातकों और दूतावासों/उच्चायोगों को उपलब्ध कराई गई थी ।

(iii) नियम 6(2) के अनुसार नई दिल्ली में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियां को इस अनुरोध के साथ जांच शुरूआत की सूचना दी गई कि वे अपने देशों/क्षेत्रों के निर्यातकों/उत्पादकों से निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देन का अनुरोध करें । निर्यातक को भेजे गए पत्र, अगोपनीय आवेदन और प्रश्नावली की एक प्रति भी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/उच्चायोगों को भजी गई थी ।

(iv) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार, संगत सूचना हासिल करने के लिए संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकां को प्रश्नावली भेजी :

1. मै. ड्यूपोंट डो इलास्टोमर एल. एल. सी. यूएसए
2. मै. एक्सोन माबिल कैमिकल कंपनी
3. मै. क्रॉम्प्टन कार्पोरेशन-यूनिरोयल कैमिकल, यूएसए
4. मै. डीएसएम इलास्टोमर बीवी, नीदरलैंड्स
5. मै. बायर इंडस्ट्री प्रोडक्ट जीएमबीएच, जर्मनी
6. मै. एक्सोम मोबिल कैमिकल यूरोप, बेल्जियम
7. मै. जिलिन सिटी जिनलांग इंडस्ट्रियल कंपनी, चीन जन. गण.
8. मै. डीएसएम इलास्टोमर; ट्रीउन्फो, ब्राजील

(v) जांच शुरूआत संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के निम्नलिखित निर्यातकों से उत्तर प्राप्त हुए हैं :

1. मै. डीएसएम इलास्टोमर यूरोप, नीदरलैंड, विनिर्माता निर्यातक
2. मै. डीएसएम सिंगापुर इंडस्ट्रियल पीटीई लि., डीएसएम यूरोप और डीएसएम ब्राजील द्वारा विनिर्मित ईपीडीएम का निर्यातक

इस जांच में शामिल किसी अन्य देश से प्रश्नावली का उत्तर नहीं मिला है ।

(vi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को हितबद्ध पक्षकार के निरीक्षण हेतु सार्वजनिक फाइल के रूप में खुला रखा ।

(vii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में उनक गोपनीय संबंधी दावों की जांच की है । वह सूचना जिसकी प्रकृति गोपनीय है और इसे इसके अगोपनीय सारांश के साथ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है, उसे गोपनीय माना गया है । इस जांच में *** चिह्न घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत प्रस्तुत सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत इसे गोपनीय

माना गया है । घरेलू उद्योग ने अपने 22 अगस्त, 2005 क पत्र द्वारा अपनी क्षति संबंधी सूचना का संशोधित अगोपनीय प्रकटन प्रस्तुत किया है और इसे इन जांच परिणामों में शामिल किया गया है ।

(viii) जांच की शुरूआत के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों को रिकार्ड में रखा गया है और प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों में इनमें उठाए गए मुद्दों की जांच की है ।

(ix) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग समेत हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का संभव सीमा तक सत्यापन प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत के निर्धारणार्थ किया गया था ।

(x) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनक विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए दिनांक 31 अक्तूबर, 2005 को सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा किए गए मौखिक अनुरोधों के लिखित रूप को जांच के प्रयोजनार्थ रिकार्ड में रखा गया है ।

(xi) संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार, इन जांच परिणामों के लिए विचार किए गए आवश्यक तथ्यों और निर्धारण के आधार को दिनांक 1 मई, 2006 क पत्र में सामान्य प्रकटन और शामिल पक्षकारों के गोपनीय प्रकटनों द्वारा ज्ञात निर्यातकों को बताया गया था । कुछेक हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन के उत्तर में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था और प्राधिकारी ने उन्हें टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया । पक्षकारों से प्रकटन के उत्तर में प्राप्त टिप्पणियों पर उस सीमा तक विचार किया गया है जहां तक ये विभिन्न पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क एवं दावे इनके साक्ष्यों एवं आंकड़ों से परिपुष्ट होते हैं ।

(xii) जांच 1.10.2003 से शुरू होकर 30.9.2004 (जांच अवधि) तक की अवधि में की गई थी । तथापि, क्षति संबंधी जांच 2000-01, 2001-02, 2003-04 और जांच अवधि के लिए की गई थी ।

(xiii) संक्षिप्तता की दृष्टि से विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और तथ्यों का संक्षेपण किया गया है और संभव सीमा तक इन जांच परिणामों में शामिल किया गया है । पक्षकारों के वह तर्क एवं अनुरोध जिनपर प्रकटन विवरण में पहले ही संभव सीमा तक विचार किया गया है, का दोहराया नहीं गया है । तथापि, प्रस्तुत किए गए सभी तर्कों तथा आवश्यक तथ्यों को रिकार्ड में रखा गया है और इन पर जांच परिणामों में उचित ढंग से विचार किया गया है ।

ख.1. जांच हेतु हितबद्ध पक्षकार

3. प्राधिकारी के रिकार्डों के अनुसार निम्नलिखित पक्षकारों ने इस जांच में अपने को हितबद्ध पक्षकार के रूप में बताया है :

(क) **प्रतिवादी निर्यातक**

1. मै. डीएसएम इलास्टमियर, यूरोप, नीदरलैंड, संबद्ध वस्तु का विनिर्माता;
2. मै. डीएसएम सिंगापुर इंडस्ट्रियल पीटीई लि., डीएसएम यूरोप और डीएसएम ब्राजील द्वारा विनिर्मित ईपीडीएम का निर्यातक

(ख) अन्य निर्यातक

संबद्ध देशों/क्षेत्रों के निम्नलिखित निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए प्रारंभिक प्राधिकरण किया था लेकिन इन्होंने इसे प्रस्तुत नहीं किया है :

1. मै. एक्सोन मोबिल कैमिकल्स कंपनी, यूएसए
2. मै. एक्सोन मोबिल कैमिकल्स कंपनी, फ्रांस
3. मै. एक्सोन मोबिल कैमिकल्स कंपनी, एशिया पैसिफिक, सिंगापुर
4. मै. ड्यूपोंट डो इलार-टोमियर्स, यूएसए ने प्रश्नावली के उत्तर क बिना जांच का विरोध करते हुए केवल एक संक्षिप्त अनुरोध प्रस्तुत किया है ।
5. मै. लेंक्सेस जीएमबीएच और मै. लेक्सेस कार्पोरेशन न सूचित किया है कि वे भारत को उनके निर्यातों की अल्प मात्रा को ध्यान में रखते हुए जांच में हिस्सा नहीं लेने की इच्छा जतायी है ।
6. मै. डीएसएम इलास्टोमियर ब्राजील ने प्रश्नावली के अपने उत्तर के लिए समायावधि बढ़ाने का अनुराध किया लेकिन फिर भी इसे प्रस्तुत नहीं किया और इसके बजाय जांच शुरूआत के विरोध का एक पत्र प्रस्तुत किया है ।
7. चीन जन. गण. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।
8. मै. डो यूरोप जी एम बी एच और डो- कैमिकल पैसिफिक (सिंगापुर पीटीई लि. ने पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि ड्यूपोंट और डो के बीच संयुक्त उद्यम की समाप्ति के कारण वे वर्तमान जांच में पूर्णतः हिस्सा नहीं ले सकते हैं । तथापि, वे जांच में हितबद्ध पक्षकार हैं और वे इसी व्यवहार की इच्छा रखते हैं ।)

(ग) आयातक

निम्नलिखित आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रश्नावली संबंधी उत्तर और अन्य अनुरोध प्रस्तुत किए हैं :

मै. अपोलो टायर्स
मै. बिरला टायर्स
मै. सिएट लि.
मै. जे के इंडस्ट्रीज लि.
मै. एम आर एम लिमिटेड
मै. आनन्द निशिकावा कं. लि.
मै. मेटजेलर ऑटोमोटिव प्रोफाइल्स इंडिया
मै. रूप पॉलीमर्स
मै. नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि.

(घ) अन्य हितबद्ध पक्षकार

निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने भी इस मामले में जांच का विरोध करते हुए अपने प्रारंभिक अनुरोध प्रस्तुत किए हैं :

1. ऑटोमोटिव कंपोनेंट मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) इंडिया (एसीएमए)
2. आटोमोटिव टायर मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए)

3. अखिल भारतीय रबड़ उद्योग एसोसिएशन
4. मै. पल्सर रबड़ मेन्युफेक्चरिंग कं. प्रा. लि.
5. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद

तथापि, उपर्युक्त नामित टायर एवं प्रोफाइल विनिर्माताओं को छोड़कर किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और वर्गीकरण

4. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद एथिलीन-प्रोपिलीन नॉन कानगुगेटेड डाइन रबड़ (ईपीडीएम) है । ईपीडीएम एक सिंथेटिक रबड़ है और ईपीडीएम की तकनीकी विशेषताएं मोटे तौर पर एथिलीन, प्रोपिलीन और डाइन की मात्रा तथा मूनी विस्कोसिटी द्वारा शासित होती हैं । एथिलीन, प्रोपिलीन तथा डाइन मात्रा और/या मूनी विस्कोसिटी में अंतर करके ईपीडीएम रबड़ के अलग-अलग ग्रेडों का उत्पादन किया जा सकता है । ईपीडीएम को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 के अंतर्गत चार अंकीय स्तर पर उप शीर्ष सं. 4002.70 के अंतर्गत सिंथेटिक रबड़ के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है । यह भी अनुरोध किया गया है कि इन वस्तुओं की निकासी शीर्ष सं. 38249000, 39019000 और 40021900 के अंतर्गत भी की गई है । तथापि ये सीमाशुल्क वर्गीकरण मात्र सांकेतिक हैं और जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं ।

5. ईपीडीएम रबड़ का प्रयोग प्राथमिक रूप से रबड़ प्रोफाइल्स, ऑटोमोटिव टायरों और ट्यूबों, केबलों होजों और आटोमोबाइल कलपुर्जों में प्रयुक्त माउल्डेड मदों में किया जाता है । एथिलीन, प्रोपिलीन और डाइन मात्रा तथा मूनी विस्कोसिटी एवं अन्य विशेषताएं केवल उन सामान्य विशेषताओं को बताती है जिनके लिए ईपीडीएम की खपत होती है । ईपीडीएम रबड़ विभिन्न ग्रेडों का हो सकता है और इसकी आपूर्ति विभिन्न रूपों में की जा सकती है । इस जांच में सभी ग्रेडों तथा सभी रूपों में एथिलीन- प्रोपिलीन-नॉन- कानजुगेटेड डाइन रबड़ (ईपीडीएम) की सभी किस्में शामिल हैं ।

घ. समान वस्तु

घ.1. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण के बाद की टिप्पणियों समेत अपने विभिन्न अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि ईपीडीएम का उत्पादन एथिलीन, प्रोपिलीन और डाइन मात्रा तथा मूनी विस्कोसिटी के आधार पर विभिन्न किस्मों और ग्रेडों में किया जाता है और प्रत्येक ग्रेड का अपना विशिष्ट अंतिम उपयोग होता है । एक उत्पाद के रूप में ईपीडीएम का विभिन्न क्षेत्रों अर्थात आटोमोबाइल्स, निर्माण, तारों तथा केबल और अन्य औद्योगिकी अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है । ईपीडीएम के किसी विशिष्ट ग्रेड का प्रयोग उस अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है जिसके लिए उस वस्तु को रखा गया है । ईपीडीएम के विशष्टतायुक्त वस्तु होने के कारण, उपभोक्ता के स्तर परर इसके प्रयोग में भिन्न- भिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बनाए गए ईपीडीएम के प्रयोगों को पूरा करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के उचित समन्वय की अपेक्षा होती है । यह भी तर्क दिया गया है कि वाणिज्यिक एवं तकनीकी दृष्टि से ग्रेडों में अलग- अलग विशेषताएं एवं अनुप्रयोग हैं । उपभोक्ता की दृष्टि से कोई ग्रेड किसी और ग्रेड के साथ प्रतिस्थापनीय नहीं है । अतः उपभोक्ता के दृष्टिकोण से विभिन्न ग्रेड तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापनीय नहीं हैं । केवल इसलिए कि ये

सभी ग्रेड ईपीडीएम की एक ही समूह से संबंधित है, यह स्वभावतः उचित नहीं है कि विभिन्न ग्रेडों को समान वस्तु माना जाए, जिसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क उन ग्रेडों पर भी लागू हा जाएगा जिनकी समान वस्तु का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है । परिणामस्वरूप, जब तक घरेलू उद्योग उन ग्रेडों का उत्पादन नहीं करता है जो भारत में आयात किए जा रहे सभी ग्रेडों से तुलनीय और समकक्ष हों तब तक यह कहना गलत होगा कि ईपीडीएम के सभी भिन्न- भिन्न ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों की तुलनात्मक दृष्टि से समान उत्पाद हैं ।

7. मै. डीएसएम ने आगे यह तर्क दिया है कि उनके द्वारा विकसित एवं पेटेंट कराए गए कुछेक ग्रेड, विशेष रूप से कंट्रोल्ड लांग चेन ब्रांचिंग (सीएल सीबी) ग्रेड शीत प्रतिरोधी विशेषताओं, कार्बन ब्लैक इनकार्पोरेशन दर, काले स्कोर्च के विरूद्ध प्रतिरोध, टूट फूट प्रतिरोध, कम्प्रेशन परीक्षण विशेषताओं की दृष्टि स परम्परागत ईपीडीएम से काफी अलग विशेषताएं दर्शाते हैं । इसलिए यह तर्क दिया गया है कि इन ग्रेडों को घरेलू उत्पादों की तुलना में समकक्ष ग्रेड नहीं माना जा सकता है । डीएसएम ने आगे यह तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान उन्होंने भारत का ईपीडीएम के लगभग 15 भिन्न- भिन्न ग्रेडों का निर्यात किया है जिनके लिए घरेलू उद्योग के पास शायद केवल 6 ग्रेडों के लिए सैद्धांतिक समकक्ष उपलब्ध हैं । उन्होंने आगे यह तर्क दिया है कि उनके उत्पादों का अनुप्रयोग उच्च अंतिम अनुप्रयोगों जैसे आटोमोटिव प्रोफाइल्स में होता है और समान उत्पादों के मुद्दे के अलावा, संगतता, निष्पादन, गुणवत्ता और विश्वसनीयता जैसे अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाना चाहिए । अतः ग्रेड विभेद के उक्त तर्क के अलावा डीएसएम ने आगे तर्क दिया है कि बड़ी मात्रा में भारत को निर्यातित उनकी ऑफस्पेक सामग्रियाँ उनके द्वारा निर्यातित प्रमुख सामग्री से तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है । इस तर्क के समर्थन में निर्यातक ने बताया है कि उनकी प्रमुख सामग्री के उपभोक्ता, कुछ अपवादों को छोड़कर उनकी अपनी ऑफस्पक सामग्री का कभी प्रयोग नहीं करते और इसका कारण आटोमोटिव क्षेत्र की कड़ी गुणवत्ता अपेक्षाएं और प्रक्रिया में बदलाव तथा उनकी उत्पादन प्रक्रिया में ऑफस्पेक सामग्री के प्रहस्तन में अपेक्षित टूलिंग है । यह तर्क दिया गया है कि इन दोनों श्रेणियों के अलग- अलग अनुप्रयोग एवं अपेक्षाएं हैं और परिणामस्वरूप इनका प्रयोग स्थानापन्न के रूप में नहीं किया जा सकता है । प्रभारित कीमतों और प्राइन तथा आफस्पेक के लिए बाजार से यह स्पष्ट होगा कि इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती और उनके द्वारा निर्यातित आफस्पेक सामग्रियाँ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई सामग्री से प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं ।

8. अपने विभिन्न अनुरोधों में प्रयोक्ता उद्योगों ने अन्य बातों के साथ- साथ ये तर्क दिए हैं-

- कि ईपीडीएम का उत्पादन विभिन्न ग्रेडों में किया जाता है और प्रत्येक ग्रेड का अपना विशिष्ट प्रयोग है । उपभोक्ता की दृष्टि से कोई ग्रेड किसी और ग्रेड के साथ प्रतिस्थापनीय नहीं है । अतः उपभोक्ता के दृष्टिकोण से विभिन्न ग्रेड तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापनीय नहीं हैं । केवल इसलिए कि ये सभी ग्रेड ईपीडीएम की एक ही समूह से संबंधित है, यह स्वभावतः उचित नहीं है कि विभिन्न ग्रेडों को समान वस्तु माना जाए, जिसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क उन ग्रेडों पर भी लागू हा जाएगा जिनकी समान वस्तु का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है ।
- कि घरेलू उद्योग विदेशी उत्पादकों द्वारा उत्पादित और भारत को निर्यातित सभी ग्रेडों के समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता है । अतः घरेलू उद्योग इन ग्रेडों के संबंध में किसी क्षति का दावा नहीं कर सकता है ।

- कि उन आयातित ग्रेडों की संख्या के संबंध में जिनकी समान वस्तु का उत्पादन घरेलू उद्योग करता है, घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पादों की विशिष्टता काफी अलग है और इन दोनों को तुलनीय नहीं माना जा सकता है ।
- कि उन ग्रेडों की संख्या के मामले में जिनमें घरेलू उद्योग तुलनीय ग्रेडों का उत्पादन करता है अलग- अलग समय पर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए उत्पाद की विशिष्टताओं में अंतर काफी अधिक है । यह कि इन दावों के समर्थन में उपभोक्ता उद्योग द्वारा रिकार्ड में घरेलू उद्योग के उत्पादनों के संबंध में अनेक गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और संगतता संबंधी समस्याएं बताई गई हैं ।
- कि ईपीडीएम के विभिन्न ग्रेडों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषता ग्रेड- दर- ग्रेड काफी अलग- अलग हैं और जहाँ तक उपभोक्ताओं का संबंध है इसके परिणामस्वरूप इनके भिन्न-भिन्न अंतिम अनुप्रयोग हैं ।
- कि समान वस्तु को उत्पादाकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए । यह कि समान वस्तु कहे जाने वाले किसी उत्पाद के लिए, वह उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के विचार से प्रतिस्थापनीय होना चाहिए ।

9. अपने प्रकटन विवरण के बाद के अनुरोधों में हितबद्ध पक्षकारों ने समान वस्तु के मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण को दोहराया है । प्रोफाइल विनिर्माताओं ने यह स्पष्ट किया है कि जब एक समतुल्य एवं तुलनीय ग्रेड का प्रयोग प्रोफाइल उद्योग में किया जाता है तो उसमें प्रक्रिया मानदंडों तथा टूलिंग अपेक्षाओं में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं होता है जो समकक्ष एवं तुलनीय नहीं होता, तो उसक प्रक्रिया मानदंडों में परिवर्तनों की आवश्यकता होती है और टूलिंग समायोजनों में काफी लागत आती है ।

10. टायर विनिर्माताओं ने आगे यह तर्क दिया है कि किसी टायर उत्पादक द्वारा स्थापित ग्रेडों से अन्य ग्रेडों में अपनी अपेक्षाओं को परिवर्तित करने में सक्षम होने से पहले एक लम्बी अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है । अतः टायर उत्पादक के लिए रातोरात घरलू या आयातित सामग्री को बदलकर अपनाना व्यवहार्य नहीं है । यह तर्क दिया गया है कि प्रक्रिया मानदंडों या टूलिंग समायोजनों में परिवर्तन उपभोक्ताओं के लिए एक महंगी प्रक्रिया है और इसमें उत्पादन संबंधी घाटा भी होता है । दोनों प्रयोक्ता तबकों ने पूर्व में घरलू उद्योग की गुणवत्ता एवं आपूर्ति संबंधी अवरोधों का मुद्दा उठाया है ।

11. हितबद्ध पक्षकारों ने आगे यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ईपीडीएम के सभी ग्रेडों विशेष रूप से 30 से कम और 80 से अधिक मूनी विस्कोसिटी वाले ईपीडीएम 5 से अधिक डाइन मात्रा वाले ईपीडीएम का उत्पादन नहीं करता है । इसलिए यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगान की सिफारिश करन का निर्णय लेते हैं तो इन ग्रेडों को शुल्क से बाहर रखना चाहिए या वैकल्पिक रूप से विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र को मूनी विस्कोसिटी और डाइन मात्रा की दृष्टि से सीमित कर देना चाहिए । ओक्सो अल्कोहल, हार्ड फेराइट रिंग चुम्बक और समुद्र जलीय मैग्नीशिया क मामलों में अपीलीय निर्णयों का उल्लेख करते हुए, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उन ग्रेडों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करना न्यायोचित नहीं है (क) विदेशी उत्पादकों द्वारा जिनका उत्पादन किया जाता है पर इनका निर्यात नहीं किया जाता (ख) जिनका भारत को निर्यात किया जाता है परन्तु घरेलू उद्योग द्वारा किसी समान वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है ।

12. सहयोगी निर्यातक ने अपने प्रकटन विवरण के बाद के अनुरोधों में अन्य बातों के साथ- साथ यह तर्क दिया है कि समान उत्पाद के निर्धारण में तकनीकी प्रतिस्थापनीयता के अलावा घरेलू उद्योग के उत्पादां और आयातित उत्पादां के विनिर्देशनों और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता में अंतर पर विचार किया जाना चाहिए । यह तर्क दिया गया है कि समान वस्तु की परिभाषा इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि ' समान वस्तु ' का अर्थ वह उत्पाद होंगे जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों के सभी प्रकार से समरूप या समान होंगे । ' सभी प्रकार से ' शब्दों से यह संकेत मिलता है कि समान वस्तु के बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले सभी संगत पहलुओं जैसे तकनीकी, वाणिज्यिक या अन्य कारकों (जिनमें तकनीकी विनिर्दिष्टताएं, वास्तविक विनिर्देशन, विश्वसनीयता, निष्पादन और गुणवत्ता संकल्पनाओं के अल्य पहलू शामिल है) पर विचार किया जाएगा । परिभाषा के दूसरे भाग पर केवल तभी विचार किया जाएगा यदि ऐसी कोई वस्तु नहीं हो । अतः घरेलू उत्पादकों द्वारा तुलनीय ग्रेडों की अनुपस्थिति में उन ग्रेडों, जिनका कोई समकक्ष ग्रेड घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध नहीं है, को जांच से बाहर रखना चाहिए ।

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

13. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि ग्रेड विभेद पर विचार न करते हुए किसी विनिर्माता द्वारा उत्पादित ईपीडीएम की मूल भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं समान रहती हैं और संयंत्र और उपकरण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना उत्पादों को एक- दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसाकि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है । यह तर्क दिया गया है कि ईपीडीएम के विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन समान सामान्य कच्ची सामग्रियों से, मूलभूत उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और समान उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग करके किया जाता है । यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ईपीडीएम की सभी किस्मों और ग्रेडों का विनिर्माण करने में सक्षम है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है । भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित एवं बेची गई संबद्ध वस्तुएं तथा संबद्ध देशां से आयातित वस्तुएं उत्पाद विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोगों, कीमत निर्धारण वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं । अंतिम प्रयोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं । यह तर्क दिया गया है कि आयातकों का प्रश्नावली का उत्तर इस बात की पुष्टि करेगा कि समक्ष ग्रेडों का आयात किया जा रहा है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों के साथ इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयाग किया जा रहा है । अतः घरेलू उत्पादों और आयातित उत्पादों को समान उत्पाद माना जाना चाहिए । इस संबंध में प्राधिकारी के पहले के जांच परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें कोरिया जनवादी गणराज्य और जापान से आयातित वही उत्पाद शामिल है जिसमें प्राधिकारी ने यह माना है कि आयातित ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों के समान वस्तु हैं ।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. प्राधिकारी ने आयात उत्पादों और घरेलूं उद्योग द्वारा विनिर्मित ई पी डी एम के बीच समानता के मुद्दे पर घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों की जांच की है ।

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के अनुसार "समान वस्तु" का तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जो भारत मे पाटित किए जाने हेतु जांचाधीन वस्तु से सभी मामलों में समान अथवा एकरूप है अथवा ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में, दूसरी अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी मामलों में समान नहीं है परंतु जिसकी विशेषताएं जांचाधीन वस्तुओं से काफी हद तक मेल खाती हो ।

16. ई पी डी एम एक पॉलिमर है जिसका उत्पादन एक विलायक माध्यम में विभिन्न उत्प्रेरकों की उपस्थिति में इथालिन और प्रॉपीलीन तथा एक तीसरे मोनेमर, डाइन (डी सी पी डी अथवा ई एन बी) के पॉलिमराइजेशन द्वारा किया जाता है । ई पी डी एम की विशेषताएं पॉलिमर और मूनी विस्कॉसिटी, जिससे सामग्री की बहाव क्षमता को मापा जाता है, में मौजूद इथीलीन, प्रॉपीलीन और डाइन तत्वों पर निर्भर होती है । मोनोमर्स और मूनी विस्कॉसिटी के तत्वों में विभिन्नताओं के आधार पर, समान उत्पादन प्रकिया का उपयोग करते हुए विभिन्न ग्रेडों वाले ई पी डी एम का उत्पादन किया जाता है । विभिन्न अनुप्रयोगों में ई पी डी एम के विभिन्न ग्रेडों की प्रयोज्यता इन मापदंडों के साथ अणु भार वितरण और उत्पाद घनत्व जैसे कुछेक अन्य तकनीकी मापदंडों पर निर्भर होती है । कुछेक अतिरिक्त निविष्टियों और प्रक्रिया नियंत्रणों के संयोजन से विशिष्ट उपयोगों के लिए कुछेक विशिष्ट ग्रेडों का उत्पादन भी किया जाता है ।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विश्व भर में विनिर्माता अलग-अलग ई/पी और डाइन तत्वों और मूनी विस्कॉसिटी वाले ई पी डी एम का उत्पादन करते हैं और उसके अनुसार उनके ग्रेडों का निर्धारण करते हैं । हितबद्ध पार्टियों ने विस्टालोन, रॉयलीन, नॉर्डेल जे एस आर, हलीनि, केल्टन बूना, ड्यूट्रल, मित्सुई, एस्परीन इत्यादि जैसे विश्व भर में उत्पाद के अधिकांश प्रमुख उत्पादकों का ग्रेड चार्ट तैयार किया है । इन ग्रेड चार्टों से इन उत्पादकों द्वारा विनिर्मित ई/पी और डाइन तत्वों तथा मूनी विस्कॉसिटी के विभिन्न संयोजनों का पता चलता है । किसी एक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ग्रेड, ई पी डी एम के दूसरे उत्पादक द्वारा विनिर्मित संयोजन से पूर्णतः मेल नहीं खाता है । जहां तक उत्पाद अनुप्रयोग का संबंध है, हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत अनुप्रयोग चार्टों से यह भी प्रदर्शित होता है कि किसी ग्रेड विशेष के विभिन्न अनुप्रयोग हो सकते हैं और समान अनुप्रयोग के लिए काफी विभिन्नताओं वाले ई/पी और डाइन तत्वों और मूनी विस्कॉसिटी के विभिन्न ग्रेडों का उपयोग किया जा सकता है । उदाहरण के लिए टायर और ट्यूबों के विनिर्माण के लिए डी एस एम ग्रेडों 520 (ई-58 प्रतिशत, डी सी पी डी - 4.5, एम 46), 2630 ए (ई-67, ई एन बी -3, एम - 20), 578 जेड (ई-67, ई एन बी 4.3, एम 46), 27 (ई-54, ई एन बी 5, एम 70) का उपयोग किया जा सकता है । इसी प्रकार इन ग्रेडों का उपयोग कई अन्य अनुप्रयोगों में किया जा सकता है । इसी तरह दूसरे उत्पादकों के ग्रेड चार्टों की जांच से भी यह पता चलता है कि समान अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न ग्रेडों का काफी हद तक उपयोग किया जा सकता है । जहां तक प्रयोक्ता का संबंध है, तैयार उत्पाद, प्रौद्योगिकी, विधि और उपकरणों के आधार पर उत्पादक उपलब्ध सूची में से ई पी डी एम के कुछ ग्रेडों का चुनाव कर सकता है । इससे यह पता चलता है कि आयातक देश के घरेलू बाजार में उपलब्ध वस्तुओं में से कोई भी वस्तु दूसरे के समान नहीं है । अतः समान वस्तु का निर्धारण, समान वस्तु की परिभाषा के दूसरे परन्तुक के आधार पर किया जाएगा और प्राधिकारी को आयातित और घरेलू उत्पादों की एकरूपता और प्रतिस्थापनीयता पर विश्वास करना होगा ।

18. इस जांच में भाग लेने वाले प्रयोक्ता उद्योग के तर्क दोहरी प्रकृति के हैं । प्रथमतः उन्होंने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ई पी डी एम के सभी ग्रेडों का उत्पादन नहीं करता है और उसके पास विदेशी उत्पादाकों द्वारा विनिर्मित अधिकांश ग्रेडों के समतुल्य ग्रेड नहीं हैं । दूसरा, घरेलू उद्योग द्वारा आपूरित सामग्री के विनिर्देशनों की गुणवत्ता और संगतता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ।

19. जहां तक पहले तर्क का संबंध है, घरेलू उद्योग की उत्पाद सूची से यह पता चलता है कि वे ई पी डी एम के विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन करते हैं,जैसा कि विश्व के अन्य सभी उत्पादकों द्वारा किया जाता है । मांग और उत्पाद विकास के आधार पर उत्पादक कुछेक ग्रेडों का विनिर्माण करते हैं और कुछेक ग्रेडों को विकसित अथवा चरणबद्ध रीति से समाप्त कर देते हैं । चूंकि विनिर्माण की प्रक्रिया और आधारभूत प्रौद्योगिकी समान है इसलिए उद्योग द्वारा कुछेक विशिष्ट ग्रेडों का विनिर्माण करने की क्षमता को नकारा नहीं जा सकता । डी एस एम जैसी अग्रणी विनिर्माताओं की उत्पाद रेंजों से भी यह प्रदर्शित होता है कि कुछेक ग्रेडों की चरणबद्ध समाप्ति की गई और नए ग्रेडों का विकास किया गया है । जहां तक घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों के उत्पादों की समरूपता और प्रौद्योगिकी - वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता का संबंध है, जैसा कि पूर्व में नोट किया गया है, समान अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न ग्रेडों के उपयोग और एक ग्रेड विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग में काफी हद तक परस्पर व्यापन मौजूद है । घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि निष्पादन मानदंडों के संदर्भ में उनके पास अधिकांश आयातित ग्रेडों का समान प्रतिस्थापन मौजूद है । घरेलू उद्योग के उत्पाद के गुण-दोषों की जांच की गई थी । घरेलू उद्योग के ग्रेड चार्ट से यह पता चलता है कि उनके द्वारा विनिर्मित ग्रेडों के समान अनुप्रयोग हैं । यह भी नोट किया गया है कि तकनीकी परिमाणों के संबंध में घरेलू उद्योग के पास कुछेक निर्यातकों द्वारा निर्यातित कुछेक विशेष विकासात्मक ग्रेडों को छोड़कर, देश में वर्तमान में आयातित हो रहे अधिकांश ग्रेडों के संबंध में समतुल्य ग्रेड मौजूद है । यद्यपि कुछेक ग्रेड अपने मानदण्डों के संदर्भ में एक-दूसरे से हुबहू मेल नहीं खाते हैं । घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रक्रिया मानदण्डों में मामूली परिवर्तन के साथ इन ग्रेडों को तकनीकी रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है ।

20. प्रयोक्ताओं ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित ग्रेडों की संगतता और कार्य निष्पादन का मुद्दा उठाया है । यह तर्क दिया गया है कि गुणवत्ता और संगतता संबंधी समस्याओं के कारण तैयार उत्पाद के विनिर्माण हेतु घरेलू उत्पादों का उपयोग कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसी कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करने से हर बार [illegible] के बदलने पर यौगिक की विधि और निष्कासन हेतु उपरणां में परिवर्तन करना अपेक्षित होगा । इस प्रक्रिया से अत्यधिक स्क्रैप उत्पन्न होने और उत्पादन में कमी आने के साथ-साथ तैयार उत्पादों की गुणवत्ता में भी असंगतता आएगी । तथापि वे इस बात को तकनीकी संदर्भ में स्पष्ट करने में सफल नहीं रहे हैं कि कैसे ई/पी/डी और मूनी का एक अलग परंतु मिलता-जुलता संयोजन समान तैयार उत्पाद की विशेषताओं को प्रभावित करेगा और किसी विकल्प का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता । कोई तकनीकी पुस्तिका या किसी अन्य प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

21. जहां तक निर्यातक के इस तर्क का संबंध है की उनकी ऑफ-स्पेक सामग्री तकनकी एवं वाणिज्यिक रूप दोनों ही से घरेलू उद्योग के उत्पादों तथा उनकी अपनी प्रमुख सामग्री के साथ प्रतिस्थापनीय नहीं है, यह नोट किया गया है कि इस निर्यातक ने जांचावधि के दौरान अत्यंत कम कीमत पर ऑफ स्पेक सामग्री की एक बड़ी मात्रा का निर्यात किया है । यह तर्क दिया गया है कि उनके अपने प्रमुख ग्रेडों के ग्राहक भी कम दाम में बेची जा रही समान ग्रेडों वाले उनके ऑफ-स्पेक वस्तु नहीं खरीदते है, जिससे यह साबित होता है कि ये दोनों उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है । डी ई ए/डी ई ई ने प्रकटन पश्चात के अपने निवेदनों में तर्क दिया है कि इस तथ्य से कि भारत में एक ग्राहक (भले ही वो आई ई एम को आपूर्ति करता हो) केवल ऑफ स्पेक ही खरीदता है, डी ई ए/डी ई ई द्वारा दिए गए तर्कों का खण्डन नहीं होता है और इसलिए इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता कि ईपी डी एम के विभिन्न वर्ग प्रतिस्थापनीय है । संक्षेप में हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि ऑफ स्पेक सामग्री एक अलग वर्ग में आती है और प्रमुख वस्तु का विकल्प नहीं है ।

22. इस संबंध में ऑफ स्पेक सामग्री की भौतिक विशेषताओं की जांच की गई है । यह नोट किया गया है कि ऑफ स्पेक वह सामग्री है जो तैयार उत्पाद और/अथवा मूनी विस्कॉसिटी में इथीलीन/प्रॉपीलीन अथवा डाइन तत्व में भिन्नता, अथवा किसी ग्रेड विशेष हेतु निर्धारित किन्हीं अन्य परिमाणों के संदर्भ में प्रमुख ग्रेडों हेतु निर्धारित परिमाणों से अलग होती है । कई बार पैकेजिंग कमें त्रुटि अथवा निर्धारित समय से अधिक समय तक भण्डारण के कारण भी किसी उत्पाद को ऑफ स्पेक के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है । यद्यपि उसमें प्रयुक्त सामग्री, प्रमुख वस्तु के विनिर्देशनों के अनुसार होती है । ई पी डी एम के उत्पादन के दौरान ऑफ स्पेक सामग्री की कुछ मात्रा का सामान्यतः सृजन होता है और संयंत्र के बंद हो जाने अथवा स्टार्ट अप प्रचालनों और ग्रेड में परिवर्तन के आधार पर प्रमुख सामग्री की तुलना में सृजित ऑफ स्पेक के अनुपात में उतार-चढाव आते हैं । प्राथमिक रूप से ऑफ स्पेक सामग्री की विशेषताएं सामान्यतः प्रमुख सामग्री की तरह हीं होती है, केवल कुछेक परिमाणों में उस परिमाण हेतु निर्धारित सीमा के संबंध में कुछ अंतर हो सकता है । अतः प्रमुख ग्रेड के समान होते हुए भी, ऑफ-स्पेक के परिमाण ई/पी/डी और मूनी के समान संयोजन के साथ कुछ अन्य ग्रेडों के अधिक निकट हो सकते हैं । भले ही ऑफ-स्पेक को उसके अपने प्रमुख ग्रेड के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, फिर भी निश्चित रूप से उसे समान परिमाणों वाले किसी अन्य ग्रेड के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है अथवा प्रतिस्थापित किया जा सकता है ।

23. अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पादों की उपलब्ध रेंज के भीतर ऑफ-स्पेक सामग्री की सामग्रियों के विभिन्न ग्रेडों के साथ व्यापक परस्पर प्रति स्थापनीयता है । निर्यातक के सौदेवार आंकड़ों से यह पता चलता है कि उनके एक प्रमुख ग्राहक ने जांचावधि के दौरान ऑफ-स्पेक ग्रेडों की एक बड़ी मात्रा की खरीद की है यद्यपि वे ओ ई एम खण्ड को भी सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं । यह भी नोट किया गया है कि प्रमुख ग्रेडों की अनुपलब्धता के कारण आपूर्ति में आई बाधा की स्थिति में, प्रयोक्ताओं द्वारा तैयार उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन के साथ ऑफ-स्पेक का कुछ अनुपात मिलाया जाता है । यह भी देखा गया है कि डी एस एम उत्पादों के एक प्रमुख खरीददार ने ऑफ-स्पेक को एक बड़ी मात्रा की खरीद की है जबकि वे आई ई एम और आफ्टर-सेल बाजारों, दोनों को सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं । तथापि ए टी एम ए ने प्रकटन पश्चात विवरण में यह स्पष्ट किया है कि इस उत्पादन ने बिजनेस प्रोफाइलों के उत्पादन में संपूर्ण ऑफ-स्पेक सामग्री लगा दी है ।

24. जहां तक विभिन्न समतुल्य ग्रेडों की प्रतिस्थापनीयता और प्रक्रिया में समायोजन की आवश्यकता, टूलिंग अपेक्षाओं और स्क्रैप संवर्धन का संबंध है यह नोट किया गया है कि समान उपयोग हेतु अधिकांश प्रयोक्ता दो अथवा तीन विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित कम से कम दो या तीन अलग-अलग ग्रेडों का उपयोग कर रहे हैं । इससे यह साबित नहीं होता है कि ग्रेडों को एक-दूसरे के स्थान पर बिल्कुल प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता । इससे इस बात को समर्थन मिलता है कि यद्यपि इन ग्रेडों को, ग्रेडों की एक रेंज के भीतर तकनीकी रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, फिर भी उत्पादन प्रक्रिया में कुछेक परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है । तथापि, इसमें प्रयोक्ता को अतिरिक्त लागत का वहन करना पड़ सकता है और प्रतिस्थापनीयता कम दामों पर उपलब्ध किसी वैकल्पिक ग्रेड के उपयोग के लागत लाभ विश्लेषण पर निर्भर होगी । तथापि प्रक्रिया नियंत्रण और टूलिंग में परिवर्तन, उत्पादों में काफी अंतर के साथ प्लास्टिक उद्योग का एक अहम हिस्सा है । अतः तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के संबंध में हितबद्ध पार्टियों के तर्कों का कोई आधार नहीं है ।

25. यह नोट किया जा सकता है कि शामिल पार्टियों के विभिन्न तर्कों की जांच से यह पता चलता है कि यद्यपि अलग-अलग ग्रेडों के विनिर्देशनों के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची जा रही संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित वस्तुओं में अंतर है, परंतु वे प्रतिस्थापनीय उत्पाद है । प्रयोक्ता उद्योगों और व्यापारियों द्वारा अन्य उद्योगों को आपूर्ति हेतु उत्पादों का सीधे आयात किया जा रहा है । उपयोक्ता घरेलू और समान आयातित उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं । अन्य देशों से समान उत्पाद के आयात से संबंधित एक समान मामले में प्राधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद आयातित ई पी डी एम के समान उत्पाद है । अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित उत्पाद, सभी प्रमुख विशेषताओं में एक समान हैं और नियमों के अनुसारा इसके अर्थ के भीतर इन्हें समान उत्पाद माना जाना चाहिए ।

26. शामिल पार्टियों के विभिन्न तर्कों की जांच से यह पता चलता है कि यद्यपि अलग-अलग ग्रेडों के विनिर्देशनों के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची जा रही संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित वस्तुओं में अंतर है, परंतु वे प्रतिस्थापनीय उत्पाद है । प्रयोक्ता उद्योगों और व्यापारियों द्वारा अन्य उद्योगों को आपूर्ति हेतु उत्पादों का सीधे आयात किया जा रहा है । उपयोक्त घरेलू और समान आयातित उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं ।

27. हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि 30 से कम और 80 से अधिक मूनी विस्कॉसिटी वाले ई पी डी एम और 5 से अधिक डाइन तत्व वाले ई पी डी का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा सकता है और इसलिए इस पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए । घरेलू उद्योग के उत्पादन आंकड़े की जांच से यह पता चला है कि घरेलू उद्योग ई पी डी एम के कम से कम ऐसे चार ग्रेडों का विनिर्माण करता है जिसकी इ एन बी मात्रा 5 प्रतिशत से अधिक और जिससे एच 555 ग्रेड की मूनी विस्कॉसिटी 80 प्रतिशत से अधिक होती है । अतः उपर्युक्त द्वारा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है । जहां तक निर्यातकों द्वारा विनिर्माता उन ग्रेडों का संबंध है जिनका निर्यात भारत को नहीं किया जाता है, यह देखते हुए कि विश्व भर में विभिन्न उत्पादको द्वारा विनिर्मित विभिन्न ग्रेडों में काफी अधिक प्रतिस्थापनीयता है, उन्हें जांचाधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करना संभव नहीं होगा ।

28. हितबद्ध पार्टियों ने जांचाधीन उत्पाद और समान वस्तुओं के दायरे से कुछेक ग्रेडों को बाहर करने के संबंध में कई अपीलीय निर्णयों का उदाहरण दिया है । यह नोट किया जा सकता है कि दिए गए उदाहरणों में अपीलीय प्राधिकारी ने विवादास्पद उत्पादों के कुछेक निश्चित और विशिष्ट विशेषताओं अथवा परिमाणों के आधार पर शामिल अथवा बाहर किए जाने हेतु उत्पादों के समूहों अथवा प्रकारों पर निर्णय लिया था । वर्तमान मामले में मुद्दा विभिन्न उत्पादकों द्वारा विनिर्मित समान उत्पाद के कुछ ग्रेडों की प्रतिस्थापनीयता के संबंध में है जिन्हें उपयोग के समान रेंज के प्रयोजनार्थ समतुल्य अथवा प्रतिस्थापनीय ग्रेड माना जाता है । हितबद्ध पार्टियां अपने इस दावे के समर्थन में कोई उचित तकनीकी तर्क और साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाई है कि ई पी डी एम के उत्पादकों द्वारा विनिर्मित समतुल्य अथवा काफी हद तक तुलनीय अलग-अलग ग्रेडों को उनकी उत्पादन प्रक्रिया में एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यद्यपि प्रक्रिया नियंत्रण में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है । अतः ऑक्सो अल्कोहल, हार्ड फेराइट मैग्नीशिया इत्यादि के संबंध में अपीलीय निर्णयों का उदाहरण देते हुए हितबद्ध पार्टियों के तर्कों का कोई आधार नहीं है ।

29. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य देशों से समान उत्पाद के आयात से संबंधित एक समान मामले में प्राधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद आयातित इ पी डी एम के समान उत्पाद है । अतः प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशें/क्षेत्रों से आयातित उत्पाद सभी प्रमुख विशेषताओं में एक समान है और नियम के अनुसार इसके अर्थ के भीतर इन्हें समान उत्पाद माना जाना चाहिए ।

ङ. घरेलू उद्योग की स्थिति और जांच की शुरूआत

30. याचिकाकर्त्ता, मै यूनीमर्स इंडिया लि0, मुम्बई भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और भारत में संबद्ध वस्तुओं का संपूर्ण उत्पादन उसी के द्वारा किया जाता है । अतः भारतीय पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर याचिकाकर्त्ता "समान उत्पाद घरेलू उद्योग" है । इस याचिका को दायर करने हेतु याचिकाकर्त्ता के विचार पर याचिकाकर्त्ता द्वारा अप्रैल-सितम्बर, 2003 के दौरान किए गए कुछ आयातों के मामलों को छोड़कर किसी प्रकार का विवाद उठाया नहीं गया है । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि इन आयातों का घरेलू उद्योग के उत्पादन में एक बहुत छोटा हिस्सा है । ये आयात मूल्यांकन और उत्पाद विकास के प्रयोजनार्थ किए गए थे । प्राधिकारी ने मुद्दे की जांच की है और यह नोट किया है कि ये आयात जांचावधि में नहीं किए गए थे ।

31. प्रकटन पश्चात के अपे निवेदनों में ए टी एम ए ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों में से एक अर्थात् मै0 यूनिरॉयल से संबद्ध है और इसलिए वे इस जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग बनने के लिए अर्ह नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूनिमर्स का संयंत्र जिसे पूर्व में हर्डीलिया यूनिमर्स लि0 के नाम से जाना जाता था, की स्थापना मै0 यूनिरॉयल, यू एस ए के तकनीकी सहयोग से वर्ष 1992 में की गयी थी और सहयोग करार के समाप्त होने के पश्चात यूनिरॉयल इस उद्यम से अलग हो गया है और तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण के लिए उसे शुल्क का भुगतान कर दिया गया है । कंपनी की कुल इक्विटी में यूनिरॉयल का हिस्सा 1.56 प्रतिशत है और बोर्ड में यूनिरॉयल के नामिति ने बोर्ड की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है । अतः यूनिमर्स के मामलों में निर्यातक का कोई नियंत्रक हित नहीं है, जिससे पाटनरोधी नियमों में फुटनोट 11 मे परिभाषित शब्द के अर्थों के भीतर किसी प्रकार की संबद्धता को स्थापित किया जा सके ।

32. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि नियम 2 (ख) के संदर्भ में याचिकाकर्त्ता इस जांच के लिए घरेलू उद्योग माने जाने के लिए अर्ह है और नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच के लिए याचिका दायर करने पर विचार करने का अधिकार भी रखते हैं ।

च. आयात मात्रा और न्यूनतम से कम सीमा

33. प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा सूचित और घरेलू उद्योग सहित विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा की जांच की है । घरेलू उद्योग ने आई बी आई एस, मुंबई जैसे गौण स्रोतों से भी आयात आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और यह तर्क दिया है कि विवरण संबंधी समस्याओं और अलग-अलग शीर्षों के तहत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण डी जी सीं आई एंड एस द्वारा कुछेक आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं । हितबद्ध पार्टियों ने प्रकटन पश्चात के अपने विवरणों में डी जी सी आई एंड एस के संक्षेपित आंकड़ों और प्रकटन विवरण में प्रयुक्त आंकड़ों के बीच असंगतता के मुद्दे को उठाया है । इस

संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि इस जांच के प्रयोजनार्थ, कुछेक असम्बद्ध मदों की काट छांट के बाद डी जी सी आई एस आंकड़ों को अपनाया गया है और तदनुसार मात्रा और मूल्यां का निर्धारण किया गया है । यद्यपि सहयोगी निर्यातकों और आयातकों की सूचना के अनुसार वास्तविक आयातों की तुलना में इन आंकड़ों में कुछ अंतर है, तथापि संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातकों और निर्यातकों से संपूर्ण आंकड़ों और सहयोग के अभाव में डी जी सी आई एस आंकड़ों को सर्वोत्तम उपलब्ध आंकड़ों के रूप में स्वीकार किया गया है । अतः विश्लेषण के प्रयोजनार्थ मात्रा और मूल्य में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । इन आंकड़ों के अनुसार उल्लिखित देशों/क्षेत्रों के आयात, न्यूनतम सीमा से अधिक पाए गए हैं ।

छ. हितबद्ध पक्षकारों अन्य निवेदन तथा उठाए गए मुद्दे

छ.1 डी एस एम इलास्टोमर्स, यूरोप और डी एस एम सिंगापुर

34. मै0 डी एस एम इलास्टोमर्स ने अपने विभिन्न निवेदनों में यह तर्क दिया है कि ई पी डी एम बाजार में सामान्यतः कीमत निर्धारण को कम से कम वैश्विक भागीदारों के लिए वैश्विक माना जा सकता है अर्थात् एक समुचित लम्बी समयावधि के लिए, बड़े विचलनों को कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इससे ईष्टतमकारी यंत्रीकरण प्रारंभ होगा जिससे अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी क्षेत्रों की वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप कीमत दबाव बढ़ने के साथ-साथ समग्र संतुलन फिर से कायम हो सकेगा । यूरोपीय बाजार जैसे कुछ बाजारों में कम गुणवत्ता वाले ई पी डी एम की मांग कम है और इनमें उच्चतर तकनीकी विशेषज्ञ सहायता और सेवाओं की अपेक्षा की जाती है । ई यू में बिक्री यूरो द्वारा की जाती है । यूरो ने की गई बिक्री के मूल्य को अमरीकी डॉलर में परिवर्तित करने उनकी तुलना करते हुए (चूंकि भारत को की गई निर्यात बिक्री अमरीकी डॉलर में थी) प्राधिकारी जांच अवधि के दौरान यूरो और अमरीकी डॉलर के बीच विनिमय दर के उतार-चढ़ाव को नोट कर सकते हैं । निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना करते हुए प्राधिकारी को भौतिक विशेषताओं और अन्य अंतरों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनसे कीमत तुलनीयता पर प्रभाव पड़ता हो ।

छ. 2 मै0 एक्सॉन मोबिल, अमरीका, मै0 एक्सॉन, फ्रांस और मै0 एक्सॉन केमिकल्स एशिया पैसिफिक, सिंगापुर

35. मै0 एक्सॉन मोबिन सहित ऊपर उल्लिखित तीनों कंपनियों ने कहा है कि वे वर्तमान में भारत को संबद्ध वस्तुओं की बड़ी मात्रा का निर्यात नहीं करते हैं यद्यपि वे मानते हैं कि भारत एक अच्छा ई पी डी एम बाजार है । अतः उन्होंने प्रश्नावली का उत्तर दिए बिना, एक हितबद्ध पार्टी के रूप में इस जांच में भाग लिया है । उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि ----

- जांच की शुरूआत के समय घरेलू उद्योग की याचिका अपूर्ण थी चूंकि अगोपनीय रूपांतर में याचिकाकर्त्ता की लागत संबंधी सूचना का उल्लेख नहीं था । अतः अपूर्ण याचिका के आधार पर जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए थी;
- याचिका दायर करने की अर्हता का निर्धारण करने के लिए याचिकाकर्त्ता द्वारा किए गए आयातों पर विचार किया जाना चाहिए;
- सामान्य मूल्य के निर्धारण और दावा किए गए विभिन्न परिमाणों सहित अनेक परिमाणों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है;

- क्षति संबंधी मानदण्डों से घरेलू उद्योग को होने वाली किसी वास्तविक क्षति का संकेत नहीं मिलता है क्योंकि घरेलू उद्योग को उत्पादन और बिक्री से उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित होता है और ब्राजील, ई यू और अमरीका से किसी प्रकार की कीमत कटौती नहीं हुई है ।

छ. 3 अखिल भारतीय रबड़ उद्योग एसोसिएशन

36. अखिल भारतीय रबड़ उद्योग एसोसिएशन ने अपने संक्षिप्त निवेदन में अन्य बातों के साथ साथ यह तर्क दिया है कि ---

- भारत में केवल एक कंपनी संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में लगी हुई है तथा उनके द्वारा की जाने वालीं आपूर्ति अनियमित है और गुणवत्ता भी ज्यादा अच्छी नहीं है;
- घरेलू उद्योग ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स द्वारा अपेक्षित विशेष ग्रेड ई पी डी एम की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है;
- घरेलू उद्योग द्वारा उठाया जाने वाला घाटा उनकी अपनी अकुशलताओं और संसाधनों के खराब प्रबंधन के कारण हैं;
- घरेलू उद्योग ने संबद्ध उत्पादों का आयात किया है और इसलिए वे इस जांच की शुरूआत हेतु याचिका दायर करने के लिए अर्ह नहीं है;
- घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ई पी डी एम, ई यू, अमरीका, चीन जन.गण. और ब्राजील से निर्यातित ई पी उ एम के "समान वस्तु" नहीं है जिनकी विशेषताएं और विनिर्देशन घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ई पी डी एम से भिन्न हैं;
- अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत अनुचित रूप से अधिक हैं;
- अतः कोई पाटन नहीं हुआ है और घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है ।

छ.4 टायर और प्रोफाइल विनिर्माता

37. टायर और प्रोफाइल विनिर्माता ने अपने निवेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया है कि:

- कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनी मूल याचिका में प्रस्तुत की गई सूचना त्रूटिपूर्ण थी और घरेलू उद्योग ने जांच की शुरूआत के पश्चात तदनन्तर संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं । अतः इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण सूचना के आधार पर शुरू की गई जांच को जारी नहीं रखा जाना चाहिए । यह तर्क दिया गया है कि मूल याचिका में नकारात्मक कीमत कटौती दर्शाई गई थी और कम कीमत पर हो रही बिक्री संबंधी दावे के आधार पर जांच शुरू की गयी थी । तथापि, याचिकाकर्त्ता द्वारा जांच की शुरूआत के पश्चात प्रस्तुत की गई संशोधित क्षति संबंधी सूचना में कीमत कटौती भी दर्शाई गई है, जिससे पता चलता है कि आंकड़ों में न सिर्फ सुधार किया गया है बल्कि उनमें परिवर्तन भी किया गया है । अतः याचिकाकर्त्ता द्वारा आंकड़ों/सूचना में किए गए परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और प्राधिकारी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत सूचना के आधार पर ही जांच जारी रखी जानी चाहिए ।
- कि मूल याचिका के अनुसार संबद्ध देशों से पाटित आयातों की नकारात्मक कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों संबंधी कोई कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है ।

छ.5 घरेलू उद्योग

38. घरेलू उद्योग ने अपने निवेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि न तो डब्ल्यू टी ओ और न ही जैसा भारत में विकसित किया गया है, के न्यायशास्त्र में ऐसा कोई प्रावधान है जिससे आंकड़ों मे जांच शुरूआत के पश्चात परिवर्तन करना प्रतिबंधित होता हो । मेक्सिको के ग्वाटेमाला ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट के मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल के निर्णय को उद्धरित करते हुए घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि जांच शुरूआत के स्तर पर घरेलू उद्योग की विस्तृत जांच पड़ताल अपेक्षित नहीं है परंतु इस स्तर पर प्रथम दृष्ट्या इस बात का साक्ष्य देना होता है कि याचिका में पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच पाटन संबंधी क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में समर्थनकारी साक्ष्य हैं अथवा नहीं । यदि प्रारंभिक स्तर में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में त्रुटि थी भी, तो इसमें घरेलू उद्योग का कोई दुर्भावना पूर्ण आशय नहीं था और प्राधिकारी के पास पाटन, क्षति और दोनों के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं । यह तर्क दिया गया है कि कीमत कटौती, क्षति निर्धारण हेतु निर्णायक आधार नहीं है और किसी भी समय, सत्यापन के समय पाई गयी त्रुटि को सुधार लिया गया था और उचित रूप से सत्यापित आंकड़ों के आधार पर कीमत कटौती को सकारात्मक पाया गया है ।

छ.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

39. जहां तक जांच शुरू करने के पश्चात घरेलू उद्योग के आंकड़ों में संशोधन से संबंधित मुद्दे का संबंध हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच घरेलू उद्योग द्वारा पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई थी । वर्तमान मामले में कम कीमत पर बिक्री के आधार पर मामले की शुरूआत की गई थी और घरेलू उद्योग के आंकड़ों के सत्यापन के दौरान कतिपय त्रुटियां नोटिस की गई थीं और इन आंकड़ों के संशोधन से कीमत कटौती का भी संकेत मिला था । जांच में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों का सत्यापन करने के पश्चात कुछेक आंकड़ों में सुधार करना किसी भी जांच में एक सामानय स्थिति होती हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो नियमों में और न ही करार में किसी पाटनरोधी जांच में कतिपय परिवर्तनों के आधार पर जांच समाप्त करने का प्रावधान होता है जब तक इससे पाटन क्षति अथवा कारणात्मक संबंध का अभाव प्रदर्शित न होता हो । अतः इस संबंध मे हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को स्विकार नहीं किया जा सकता है ।

40. जहां तक घरेलू उद्योग की दक्षता एवं उत्पादन लागत का संबंध है प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और सहयोगी निर्यातक की लागत का व्यापक रूप से सत्यापन किया है और लागत ढांचे से घरेलू उद्योग की स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता हुआ मालूम नहीं होता है जैसाकि हितबद्ध पक्षों द्वारा दावा किया गया है ।

41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों की संगत सीमा तक जांच की गई है और उन्हें इस जांच परिणाम में प्राधिकारी के विभिन्न विश्लेषणों में उपयुक्त स्थानों पर समाविष्ट किया गया है ।

ज. पाटन का निर्धारण

42. यूरोपीय संघ से केवल एक निर्यातक अर्थात् मै0 डीएसएम इलास्टामीयर यूरोप और उसके संबंधित निर्यातक, मै0 डीएसएम, सिंगापुर ने प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर दाखिल किया है और अपने

सामान्य मूल्य और भारत को नियोत कीमत के संबध में सूचना प्रस्तुत की है । यूरोपीय संघ और अन्य संबद्ध देशों से किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर अथवा अपने सामान्य मूल्य एवं भारत को निर्यात कीमत के संबंध में कोई सूचना दाखिल की है ।

ज.1 यूरोपीय संघ

43. जैसाकि ऊपर नोट किया गया है यूरोपीय संघ से केवल एक विनिर्माता अर्थात मै0 उएसएम इलास्टमीयर और उसके संबंधी निर्यातक मै0 डीएसएम, सिंगापुर ने ही प्रश्नावलियों के अपने जवाब दाखिल किए हैं । इसलिए यूरोपीय संघ के निर्यातों के संबंध में निर्यात कीमत और सामान्य मूलय का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

ज.1.1 मै0 डीएसएम इलास्टमीयर, नीदरलैंड और डीएसए सिंगापुर

44. जवाब देने वाले निर्यातक (डीईई) और निर्यातक (डीईए) द्वारा यह दावा किया गया है कि डीईई द्वारा विनिर्मित वस्तुएं डीईई द्वारा भारत को सीधे नहीं बेची जाती है और डीएसएम इलास्टमीयर एशिया (डीईए) के व्यावसायिक नाम के अंतर्गत व्यापार करने वाली उनकी ग्रुप कम्पनी डीएसएम सिंगापुर इंडस्ट्रियल पीटीई लि0 भारत को निर्यातों के लिए जिम्मेवार है । निर्यातक के सामान्य मूल्य एवं भारत को निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए इस सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर और अन्य निवेदनों के आधार मौके पर जांच एवं सत्यापन किया गया था ।

(क) सामान्य मूल्य

45. डीईई, ईयू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की अत्यधिक मात्रा की बिक्री करता है । इस जांच के प्रयोजनार्थ यूरोपीय संघ के भीतर बिक्रियों को उत्पाद के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार की बिक्रियों के रूप में मानने का प्रस्ताव है । जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के कुल **** परेसणों (**** मी. टन) की बिक्री की गई थी । उपर्युक्त में से **** मी. टन का डीईई द्वारा अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजनार्थ कैप्टिव रूप से उपभोग कर लिया गया था और **** मी. टन की एक संबद्ध पक्षकार अर्थात मै0 डीएसएम इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स को बिक्री की गई थी । संबद्ध पक्षकार की कुल बिक्रियां समूची घरेलू बिक्रियों का लगभग **** % हैं और कोई बड़ा कीमत अन्तर नहीं देखा गया था । इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धरण में समूची घरेलू बिक्रियों की जांच की गई थी । यह नोटिस किया गया था कि उन्होंने घरेलू बाजार में ईपीडीएम के लगभग कई भिन्न ग्रेडों की बिक्री की है और भारत को निर्यातित सभी ग्रेड उनके घरेलू बाजार में भी बेचे जाते हैं । चूंकि घरेलू बाजार की बिक्रियों में समान ग्रेड उपलब्ध हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ समान उत्पाद का निर्धारण आवश्यक नहीं है ।

46. उपर्युक्त ग्रेड़ों की बिक्रियां पर्याप्त मात्राओं में है और पास में है । इसलिए इस निर्यातक के सामानय मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ केवल उन्हीं ग्रेड़ों पर विचार किया गया है जिनकी घरेल बाजार में बिक्री की गई है और जिन्हें भारत को निर्यात भी किया गया है ।

47. निर्यातक ने तर्क दिया है कि उनका आफ-स्पेक मुख्य सामग्री की तुना में एक भिन्न उत्पाद होने के कारण यह उत्पाद इसकी मुख्य सामग्री के समान वस्तु नहीं है क्योंकि यह उत्पाद अपनी मुख्य सामग्री

क साथ वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है । तथापि यदि प्राधिकारी मुख्य और आफ-स्पेक दोनों के लिए एक ही पाटन मार्जिन निर्धारित करने का निर्णय लेते हैं और क्षतिविश्लेषण संबंधी निष्कर्ष निकालने के लिए कार्यवाही करते हैं तो प्राधिकारी को अंतिम पाटन मार्जिन पर पहुँचने से पहले डीईई/डीईए द्वारा बेचे गए आफ-स्पेक के कारण नकारात्मक पाटन मार्जिन में क्रमगुणित करना चाहिए ।

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑफ-स्पेक सामग्री का उत्पादन समान उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा किया जाताह इनमें केवल एकमात्र अंतर संबंधित मुख्य ग्रेडों की तुलना में इसके कार्य निष्पादन के कतिपय मानदंडों में है । निर्धारित मानदंडों से विचलन के कारण बाजार की स्थिति पर निर्भर करते हुए ऑफ-स्पेक सामग्री की बाजार में कटौतीयुक्त कीमत होती है जबकि विनिर्माण की लागत उत्पादित समूचे बैंच में फैली होती है । कुदेक मानदंडों में विचलन के बावजूद ऑफ-स्पेक सामग्रियों की कम से कम द्वितीयक और बिक्री पश्चात बाजार खण्डों में अत्यधिक तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता है । इसलिए ऑफ-स्पेक और मुख्य सामग्रियों को समान वस्तुए माना गया है और तदनुसार ऑफ-स्पेक्स के लिए किसी अलग व्यवहार की आवश्यकता नहीं है ।

49. घरेलू बिक्रियां डीडीयू अथवा एफसीए शर्तों पर की गई है निर्यातक ने प्रत्यक्ष बिक्री व्ययों अर्थात कमीशन एवं छूट, भंडारण और अंतर्देशीय भाड़े तथा बीमा, समुद्री भाड़े एवं बीमा ऋण लागतों के लिए समायोजनों का दावा किया है जिनका उनके रिकार्डों से सत्यापन किया गया था ।

50. निर्यातक ने करार के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार तकनीकी सेवाओं, अनुप्रयोग विकास और संबद्ध लागतों के संबंध में निवल करखानागत बिक्री कीमत निकालने के लिए यूरोपीय बाजार में वहन किए गए कतिपय अप्रत्यक्ष बिक्री व्ययों के लिए इन व्ययों के आधार पर समायोजन का दावा भी किया है जो यूरोपीय बाजार में अद्वितीय हैं और इस बाजार में कीमतों को प्रभावित करते हैं और इसलिए भारत सहित किसी भी बाजार के साथ कीमत सुसंगतता को प्रभावित करते हैं । इन व्ययों का उनके रिकोर्डों से सत्यापन भी किया गया था और स्वीकार्य समायोजनों की अनुमति देने के पश्चात जैसाकि ऊपर किया गया है, निवल कारखानागत सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है ।

51. सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ बनाने और बिक्री करने के लिए कुल भारित औसत कीमत का निर्धारण उनकी लेखा पुस्तकों के अनुसार उत्पादक की सत्यापित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है जिसे कम्पनी की नई उतपादन लाइन का प्रचालन शुरू करने से संबंधित लागत के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है । मॉडल से मेल खाते सौदों को इस लागत के आधार पर व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अध्यधीन किया गया है । व्यापार की सामानय प्रक्रिया में बिक्रियों को पर्याप्त मात्रा में पाया गया है और इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ स्वीकार किया गया है ।

(ख) निर्यात कीमतः

52. भारत को डीईई सामग्रो के समूचे निर्यात को डीइए द्वारा हैंडल किया जाता है । जांच अवधि के दौरान डीईए ने डीईई द्वारा उत्पादित केल्टन श्रृंखला इपीडीएम के **** विभिनन ग्रेड़ों के **** मी. टन के लिए भारत को किए गए **** परेषणों के बारे में बताया । तथापि, इस अवधि के दौरान भारत को डीईए के कुल निर्यात **** मी. टन के हुए थे जिसमें से **** मी. टन की डीईई संयंत्र से बिक्री की गई थी और शेष डीईबी (ब्राजील संयंत्र) से थे । चूंकि डीईबी इस जांच में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए डीईई संयंत्र से बेची गई वस्तुओं के संबंध में सूचना केवल सत्यापन के लिए ही उपलब्ध करादी गई थी ।

53. उनकी सकल माल सूची कीमतों के सामने कंपनियों ने डीईई के कारखाना द्वार पर निबल निर्यात कीमत परिकलित करने के लिए डीईई(एफओबी से पहले) और बीईए(एफओबी के पश्चात्) किए गए विभिन्न प्रत्यक्ष बिक्री खर्चों के बारे में सूचना प्रदान की है । छूट और कमीशनों, ऋण लागतों और अस्थगित भुगतानों पर ब्याज, भण्डारन और प्रहस्तन प्रभार, अंतर्देशीय एवं समुद्री भाड़ा और बीमा से संबंधित समयोजनों की उनकी रिकार्डों से जांच की गई थी । तदनुसार, भारत को सीआईएफ कीमत का समायोजन नीदरलैंड में कारखाना बाह्य निर्यात कीमतों की गणना करने के लिए इन प्रत्यक्ष बिक्री खर्चों के लिए किया गया है ।

54. बीईए के रिकार्डो से यह भी देखा गया था कि कंपनी द्वारा एशिया में अपने समस्त ईपीडीएन व्यवसाय के लिए विभिन्न अप्रत्यक्ष बिक्री खर्चों के लिए अत्यधिक धनराशि खर्च की गई है और प्रति किग्रा. खर्च **** अमरीकी डालर परिकलित होता है । तदनुसार निबल कारखाना बाह्य निर्यात कीमतों की गणना करने के लिए कारखाना बाह्य कीमत पर **** अमरीकी डालर प्रति किग्रा. का समायोजन किया गया है ।

ग) पाटन मार्जिनः

55. नीदरलैंड में कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित निबल कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य की तुलना व्यापार के उसी स्तर पर निबल कारखाना बाह्य निर्यात कीमतों के साथ की गई है । इस सहयोगी निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन के भारित औसत के रूप में अनुमान लगाया गया है । तदनुसार, भारित औसत पाटन मार्जिन **** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.(40.78%) परिकलित होता है ।

56. मैसर्स डीएसएम ने अपने प्रकटन के पश्चात् निवेदनों में यह कहा है कि यदि उनके विभिन्न निवेदनों में उनके द्वारा दावा किए गए सभी संगत समायोजनों पर उचित रूप से विचार किया जाए तो वास्तविक पाटन मार्जिन उस राशि से बहुत कम होगा जो प्राधिकारी द्वारा प्रकट की गई है । तथापि, यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन का निर्धारण सभी स्वीकार्य समायोजनों शामिल करके किया गया है और जहॉ कहीं कोई समायोजन अथवा लागत का कोई घटक स्वीकार नहीं किया गया है उसके बारे में निर्यातक् को विधिवत रूप से सूचित किया गया है । इसलिए उक्त पाटन मार्जिन का निर्धारण पक्का है ।

ज.1.2 ईयू से अन्य सभी निर्यातक

क) सामान्य मूल्य

57. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 के साथ पाठित अनुबंध II में यह प्रावधान है कि यदि किसी हितबद्ध पक्षकार से अपेक्षित सूचना एक उचित समय के भीतर निर्धारित फार्म और तरीके से नहीं दी जाती , प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा जांच आरंभ करने के लिए दिए गए आवेदन में दिए गए तथ्यों सहित उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा । वर्तमान मामले में एकमात्र सहयोगी निर्यातक, जिसने भारत में बड़े हिस्से का निर्यात किया है, ने अपनी उत्पादन लागत, घरेलू बिक्री कीमत और भारत को निर्यातों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है । तथापि, यूरोपीय संघ में अन्य उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यातों का भी पर्याप्त हिस्सा है जिन्होंने जांच में भाग नहीं लिया है । उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने ईयू में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों का पाटन मार्जिन का अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया है ।

58. ईयू में सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान सहयोगी निर्यातक के रिकार्डों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कारखाना बाह्य स्तर के सामान्य मूल्यों का परिकलन करने के लिए व्यापार समायोजनों के स्तर के लिए अनुमति देने के पश्चात् इयू में सहयोगी निर्यातक के सर्वोच्च 200 वाणिज्यिक सौदों की औसत बिक्री कीमत के आधार पर लगाया गया है । तदनुसार, असहयोगी निर्यातकों के लिए संबद्ध वस्तु का औसत कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य का अनुमान **** अमरीकी डालर प्रति किग्रा. लगाया गया था ।

ख) निर्यात कीमत

59. निबल निर्यात कीमत का अनुमान सहयोगी निर्यातक के रिकार्डों में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बिक्री खर्चो के लिए उसका समायोजन करने के पश्चात् डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ो से सीआईएफ निर्यात कीमत के आधार पर लगाया गया है । तदनुसार, यूरोपीय संघ से सभी असहयोगी निर्यातकों के लिए औसत निबल कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का अनुमान ईपीडीएम के **** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.अनुमान लगाया गया है ।

ग) पाटन मार्जिन

60. तदनुसार ईयू से व्यापार के उसी स्तर के सभी असहयोगी निर्यातकों के लिए औसत पाटन मार्जिन निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:-

औसत कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.
औसत कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.
औसत पाटन मार्जिन	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.(69%)

झ.2. ब्राजील

61. प्राधिकारी को ब्राजील के किसी विनिर्माता से कोई सहयोग नहीं मिला है । तथापि यह नोट किया जाता है कि मैसर्स डीएसएम(डीईबी) के पास ब्राजील में ईपीडीएम की निर्माण सुविधा है और जांच अवधि के दौरान डीएसएम एशिया के जरिए इस संयंत्र से ईपीडीएम की पर्याप्त मात्रा निर्यात की गई है । तथापि, इस निर्यातक ने इस जांच में सहयोग नहीं दिया है । इसलिए, ब्राजील के निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार हैं

क) सामान्य मूल्य

62. चूँकि ब्राजील में ईपीडीएम का विनिर्माता यूरोपीय संघ से सहयोगी निर्यातक के रूप में वही नैगम स्तर है और अनिवार्य रूप से वहीं प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करता है तथा डीईई की व्यक्तिगत उत्पादन रूपरेखाओं की तुलना में सामान क्षमता स्तरों पर प्रचालन करता है । इसलिए, ब्राजील में सामान्य मूल्य का निर्धारण यूरोप में उत्पादन की अनुमानित लागत और एक उचित लाभ मार्जिन के आधार पर किया गया है जैसाकि, सर्वोत्तम तथ्य उपलब्ध थे । तदनुसार ब्राजील में संबद्ध वस्तुओं के औसत सामान्य मूल्य का अनुमान **** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.के रूप में लगाया गया है ।

ख) निर्यात कीमत

63. ब्राजील से निर्यातों के लिए निबल कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण सामान खर्चों पर सहयोगी निर्यातकों के रिकार्डों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के अनुसार छूट, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा और प्रस्तन, कमीशन और ऋण लागतों आदि के लिए समायोजन करने के पश्चात् डीजीसीआईएस आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है । तदनुसार, ब्राजील से औसत कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का अनुमान **** अमरीकी डालर प्रति किग्रा. लगाया गया है ।

ग) पाटन मार्जिन

64. इस प्रकार निर्धारित निबल निर्यात कीमत की तुलना ब्राजील के सभी निर्यातकों के लिए औसत पाटन मार्जिन की गणना करने हेतु कारखाना बाह्य स्तर पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य के साथ की गई जो निम्न प्रकार परिकलित होती हैः

औसत कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.
औसत कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.
औसत पाटन मार्जिन	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा. (66.54%)

ज.3 अमरीका

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अमरीका के किसी उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिए, अमरीका के सभी निर्यातकों के संबंध में औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया है ।

क) सामान्य मूल्य

66. अमरीका में निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना कच्ची सामग्री की लागत और सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के रूप में ईयू के सहयोगी निर्यातक की परिवर्तन लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है । तदनुसार, अमरीका में संबद्ध वस्तु का औसत सामान्य मूल्य औसत कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य **** अमरीकी डालर प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है ।

ख) निर्यात कीमत

67. अमरीका से निर्यातों के लिए औसत निबल कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों से उपलब्ध सीआईएफ निर्यात कीमत में छूट, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा और प्रहस्तन प्रभार, अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा, बीमा और प्रहस्तन कमीशन और ऋण लागतों आदि का समायोजन करने के पश्चात् उसके आधार पर किया गया है ।

ग) पाटन मार्जिन

68. उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के उपर्युक्तानुसार अनुमान के आधार पर सभी अमरीकी निर्यातकसें के लिए औसत पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है:

औसत कारखाना द्वारा सामान्य मूल्य	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.
औसत कारखाना द्वारा निर्यात कीमत	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.
औसत पाटन मार्जिन	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा. (88.87%)

ज.4 चीन जन.गण.

69. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि चूँकि चीन एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था है अतः चीन के उत्पादकों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कच्ची सामग्री की अतर्राष्ट्रीय लागत और परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए परिकलित उत्पादन

लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए । प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने की जा रही जांच का उत्तर नहीं दिया है । इस मामले में गैर बाजार अर्थव्यवस्था पूर्वानुमान के संबध में भी कोई खण्डन प्राप्त नहीं हुआ है ।

क) सामान्य मूल्य

70. उपर्युक्त को देखते हुए चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, यूरोपीय संघ को एक प्रतिनिधि देश माना गया है और यूरोपीय संघ की उत्पादन लागत, जो प्राधिकारी को समुचित रूप से उपलब्ध है, को चीन के सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है । तदनुसार चीन के निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण औसत कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य **** अमरीकी डालर प्रति किग्रा तक किया गया है ।

(ख) निर्यात कीमत

71. चीन जनगण से निर्यातकें की औसत निबल कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर छूटों, अंतरदेशीय भाड़े, बीमा और प्रहस्तन प्रभारों; अंतर्राष्ट्रीय भाड़े, बीमा और प्रहस्तन; कमीशन और ऋण लागतों इत्यादि हेतु आयात आंकड़ों में समायोजन करते हुए डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सीआईएफ निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है । तदनुसार ,चीन जनगण से औसत निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत अनुमानतः औसत कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य **** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.है ।

ग) पाटन मार्जिन

72. उपर्युक्त औसत सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की समान व्यापार स्तर पर तुलना के आधार पर पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है:

औसत कारखाना द्वारा सामान्य मूल्य	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.
औसत कारखाना द्वारा निर्यात कीमत	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा.
औसत पाटन मार्जिन	**** अमरीकी डालर प्रति किग्रा. (100.58 %)

ज.5 पाटन मार्जिनः संक्षिप्त विवरण

देश	निर्यातक	पाटन मार्जिन अम.डा./किग्रा.	पाटन मर्जिन
यूरोपीय संघ	डीएसएम इलास्टोमस, यूरोप, नीदरलैंड, डीएसएम के जरिए सिंगापुर	*****	40.78 %

यूरोपीय संघ	सभी अन्य निर्यातक	*****	69.01 %
ब्राजील	सभी अन्य निर्यातक	*****	66.54 %
यूएसए	सभी अन्य निर्यातक	*****	88.87 %
चीन जन.गण.	सभी अन्य निर्यातक	*****	100.58 %

73. इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन उल्लेखनीय है और न्यूनतम सीमा से अधिक हैं ।

झ.1 क्षति निर्धारण

74. चूँकि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का पाटन मार्जिन, पाटित कीमतों पर है इसलिए संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध वस्तुओं के आयात को पाटित आयात माना गया है और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जॉच इन आयातों के संबंध में की गई है । क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ एकमात्र घरेलू उत्पादक और वर्तमान मामले में याचिकाकता कंपनी घरेलू उद्योग है ।

झ.1. हितबद्ध पार्टियों के विचारः

झ.1.1 मै0 डीएसएम इलास्टोमर्स

75. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के दावे का संबंध है ईयू के सहयोगी निर्यातक ने तर्क दिया है कि भारत में उत्पाद की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि और उत्पादन और बिक्री में पर्याप्त वृद्धि कर पाने में घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है । उन्होंने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग गुणवत्ता, निष्पादन, संगतता और विश्वसनीय जैसे कारकों के संबंध में बाजार को आपूति करने में अक्षम रहा है । अतः अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने में घरेलू उद्योग की अक्षमता, पाटन के अतिरिक्त अन्य कारकों, जैसे कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता अल्प आपूर्ति के कारण उत्पादन न कर पाना कार्यशील पूंजी प्राप्त होने में कठिनाई; गुणवत्ता निष्पादन और संगतता संबंधी समस्याओं के कारण उनके उत्पादों को बाजार में अच्छी स्वीकृति न मिलना आदि के कारण है । यह भी निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और घरेलू बिक्री को कायम रखने और बढ़ाने में भी समर्थ रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कथित पाटित आयातों का उनके उत्पादन और बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

76. इसके अतिरिक्त डीएसएम ने तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान आयात कीमतों में वृद्धि शुरू हो गई थी और यही प्रवृत्ति अभी तक जारी है और डीएसएम की आयात कीमतें हमेशा उच्चतम रही हैं और वे जांच अवधि के दौरान उसके बाद भी उच्च बनी रही थी । घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित प्रपत्र IV (क) के अनुसार जांच अवधि के दौरान प्रत्येक संबद्ध देश से, संभवतः चीन का छोड़कर, कीमत कटौती नगण्य थी और डीएसएम के मामले में प्रारंभिक तथा ऑफस्पेक सामग्री सहित सभी निर्यातों के लिए कुल समग्र भारित औसत स्तर पर यह नगण्य रही है । यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि जांच अवधि के दौरान चीनी आयातों के लिए कीमत कटौती अधिकतम थी, तथापि अन्य देशों से आयातों की तुलना में उसकी मात्रा बहुत कम थी जिसका तात्पर्य यह है कि संबद्ध वस्तु खरीदनी के लिए उपभोक्ता हेतु कीमत एक बड़ा कारक नहीं है ।

77. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2003-04 के स्तरों की तुलना में जांच अवधि के दौरान जब आयात कीमतों (सीआईएम स्तर तथा पहुँच लागत स्तर दोनों पर) में वृद्धि हुई तो घरेलू उद्योग ने कीमतें कम कीं । यह संभव है कि इस तथ्य के कारण कि जांच अवधि के दौरान निश्चित अवधि में घरेलू उद्योग को प्रोपेलीन की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ा जिससे जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जांच अवधि के दौरान आयात कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण घरेलू उद्योंग अपनी कीमतें घटाने के लिए बाध्य हुआ था । उत्पादन में बारंबार ऐसी बाधाओं के कारण घरलू उद्योग को एक तरह से प्रचालन पुनः प्रारंभ करना पड़ा जिसक परिणामस्वरूप उत्पाद गुणवत्ता या कथित निष्पादन मानकों या विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं थ और घरेलू उद्योग अपनी कीमतें घटाने के लिए बाध्य हुआ था । इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि संबद्ध आयातों से कीमत का ह्रास अथवा कीमतों में वृद्धि में कोई बाधा नहीं आई है ।

78. इसके अतिरिक्त मै. डीएसएम ने तर्क दिया है कि निम्नलिखित कारणों से इस मामले में क्षति का संचयी आकलन उचित नहीं है : -

(i) जांच अवधि के दौरान डीएसएम द्वारा बेचे गए उत्पाद में प्रारंभिक तथा ऑफस्पेक श्रेणियाँ शामिल थीं । इन दो श्रेणियों के भिन्न- भिन्न उपयोग तथा अपेक्षाएं हैं । अतः इन्हें भारत को अन्य निर्यातों अथवा घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों के प्रतिस्थापन्न के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है । प्राइम तथा ऑफस्पेक के लिए प्रभारित कीमतों तथा बाजार से यह स्पष्ट है कि इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती ।

(ii) कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में सविराम रूकावट/व्यवधान आया था । इससे प्रदर्शित होता है कि जांच अवधि के दौरान लगभग 3 महीनों तक घरलू उद्योग उत्पादन नहीं कर सका और परिणामस्वरूप घरेलू मांग को पूरी तरह से आयातों द्वारा पूरा किया गया ।

(iii) आयातकों/प्रयोक्ताओं ने भी प्राधिकारी से निवेदन किया है कि आपूर्ति की अनियमितता के रूप में उन्हें घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ा है क्योंकि कच्ची सामग्री की अनुपलबधता के कारण घरेलू उद्योग के समक्ष उत्पादन में गंभीर समस्या

थी । उत्पादन में ऐसी बाधाओं की अपनी समस्याएं हैं जो उत्पादन को पुनः पटरी पर लाने के लिए अतिरिक्त लागतों (जिससे अकुशलता उत्पन्न होती है) और उत्पाद की गुणवत्ता एवं निष्पादन में अनिश्चितता से जुड़ी हुई है और जिनसे ऐसे उत्पादों को प्रयोक्ताओं द्वारा वांछित निष्पादन एवं गुणवत्ता के समरूप बनाने में कठिनाई होती है ।

(iv) डीएसएम ने जापान तथा यूएसए में अपने संयंत्रों को बंद कर दिया है और उनके स्थान पर नीदरलैंड में एक नया संयंद्ध स्थापित किया है जिसकी क्षमता निम्नतर है तथा भारत को डीईए के कुल निर्यात उसकी कुल बिक्रियों का एक छोटा हिस्सा है । अतः घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अधिक क्षमता के दावे को प्राधिकारी द्वारा अनदेखा कर दिया जाना चाहिए ।

(v) हालाँकि जांच अवधि के दौरान प्रारंभिक प्रचालन और ऑफस्पेक बिक्रियों सहित कई कारणों से एकल भारित औसत स्तर पर कीमत स्तर कम था तथापि, जांच अवधि के दौरान और उसके बाद डीईई/डीईए ने कीमत में वृद्धि प्रारंभ कर दी थी और वर्तमान कीमतें जांच अवधि की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर हैं । उपर्युक्त समस्याओं के बावजूद डीईई/डीईए की कीमत स्तर उच्चतम थीं और कीमत कटौती ऋणात्मक अथवा नगण्य थी ।

79. अतः निर्यातक ने तर्क दिया है कि घरेलू वस्तुओं और आयातित वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति उचित नहीं है और परिणामस्वरूप वर्तमान मामले में संचयी आकलन उचित नहीं है ।

झ.1.2 आयातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार : टायर एवं प्रोफाइल विनिर्माता

80. जहाँ तक घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावे और घरेलू उद्योग के संबंध में पाटित आयातों के प्रभाव के संचयी आकलन का संबंध है, इन हितबद्ध पक्षकारों (टायर एवं प्रोफाइल विनिर्माता) ने तर्क किया है कि घरेलू उद्योग का आवेदन इस आधार पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के संचयन को उचित नहीं ठहराता है कि विभिन्न स्रोतों से आयातित वस्तुएं अपने आप में परस्पर प्रतिस्पर्धी नहीं हैं । अन्य बातों के साथ- साथ तर्क दिया गया है कि :

- हालांकि ब्राजील से कम कीमत पर आयात जारी रहे, ब्राजील से आयातों की मात्रा में लगातार वृद्धि नहीं हुई है;
- जबकि चीन से आयात अन्य स्रोतों की तुलना में काफी सस्ते थे, चीन से आयातों की मात्रा यूरोप तथा अमरीका से आयातों की मात्रा से काफी कम है;
- यद्यपि ईयू तथा अमरीका से पहुँच मूल्य में वर्ष 2003-04 और जांच अवधि के बीच वृद्धि हुई तथापि इन स्रोतों से आयातों की मात्रा में भी वृद्धि हुई;
- ईयू से आयातों में भी लगातार गिरावट आई;
- आयातों में कई ऐसे ग्रेड शामिल थे जिनकी पेशकश घरेलू उद्योग द्वारा नहीं की गयी थी, जिसका अर्थ यह हे कि आयातित उत्पादों और घरलू उत्पादों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी ।

81. घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक क्षति के दावे के संबंध में आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य बातों के साथ- साथ यह तर्क दिया है कि :

- वर्ष 2003-04 तक घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है और माँग में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद जांच अवधि के दौरान उसके उत्पादन में गिरावट आई जो कि जांच अवधि के दौरान लम्बी अवधि तक संयंत्र के बंद रहने के कारण थी । अतः उत्पादन में गिरावट स्पष्ट रूप से पाटन से इतर कारकों के कारण है;
- कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता और अन्य समस्याओं के कारण घरेलू उद्योग इष्टतम क्षमता स्तर तक उत्पादन करने में असमर्थ है जिसके परिणामस्वरूप उसकी बिक्रियों और बाजार हिस्से में गिरावट आई;
- प्रयोक्ताओं के लिए कीमत आपूर्ति स्रोत को शासित करने वाला मापदण्ड नहीं है । चीन से कीमतें सबसे कम थीं । तथापि, चीन से आयात भी सबसे कम थे जो यह दर्शाता है कि आयात की स्रोत का निर्णय लेने के लिए कीमत मापदण्ड नहीं है । वस्तुतः एक ऐसा स्रोत जिससे न्यूनतम कीमत कटौती हो रही है, के पास उच्चतम मात्रा है और उच्चतम कीमत कटौती वाले स्रोत के पास न्यूनतम मात्रा है । अतः स्पष्ट रूप से यह ऐसी स्थिति है जहाँ आयातों का कारण विदेशी उत्पादकों द्वारा पेशकश की जा रही कीमत नहीं है । प्रयोक्ताओं द्वारा आयात का कारण तकनीकी विचार है । इस तथ्य को देखते हुए कि घरेलू उद्योग द्वारा उपभोक्ता के अपेक्षा के अनुरूप वस्तु की पेशकश नहीं की जा रही है । उपभोक्ता के पास वस्तु का आयात करने, जबकि अन्य स्रोतों से सस्ती सामग्री उपलब्ध है, के अतिरिक्त कोई आर विकल्प नहीं है;
- वर्तमान मामले में कीमत प्रभाव ऋणात्मक है और घरेलू उद्योग द्वारा निवल बिक्री प्राप्ति में परिवर्तन कथित पाटित आयातों के कारण नहीं है;
- घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान अन्य कारकों से भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है जिसे उसने जांच अवधि के लिए घाटों में भ्रामक रूप से शामिल कर लिया है;
- घरेलू उद्योग को अपने निर्यातों से भारी वित्तीय घाटा हो रहा है;
- जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त असामान्य लागत को ध्यान में रखते हुए याचिका में दिए गए लाभ/हानि, नगर प्रवाह और निवेश पर आय संबंधी मापदण्डों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है;
- घरलू उद्योग ने उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता आदि के संबंध में सकारात्मक प्रगति और कुछेक अन्य मापदण्ड, यदि कोई हों, के संबंध में नकारात्मक प्रगति दर्शायी है जो कि पाटित आयातों से इतर कारकों से है;
- जबकि उत्पाद की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, उचित कीमत परिस्थितियों के बावजूद घरेलू उद्योग बढ़ती हुई मांग में भागीदारी करने में असमर्थ है;
- घरलू बाजार में मांग- आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए आयात किए जा रहे जो कि वस्तु की आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण है ।

82. हितबद्ध पक्षकारों ने आगे तर्क दिया है कि लम्बी अवधि तक उत्पादन में रूकावट और क्षति जांच अवधि के दौरान ह्रास संबंधी नीति में परिवर्तन तथा गुणवत्ता एवं निरंतरता संबंधी समस्याओं जैसे अन्य अभिज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को उचित रूप से अलग रखा जाना चाहिए ।

झ.1.3 घरेलू उद्योग के विचार

83. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ- साथ तर्क दिया है कि :

- ब्राजील में स्थित संयंत्र एक ही समूह अर्थात डीएसएम का है और हितबद्ध पक्षकारों के कथन के विपरीत ब्राजील से आयातों में लगातार वृद्धि हुई है;
- चीन से कम आयातों का कारण यह है कि चीन ईपीडीएम का उच्चतम निवल आयातक है और उसके पास भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है । तथापि, जांच अवधि के दौरान चीन से आयात न्यूनतम से अधिक और अत्यधिक पाटित कीमतों पर थे;
- अमरीका और ईयू दोनों के पास विश्व ईपीडीएम क्षमता का 80% है और वे इन क्षेत्रों में 70% मांग रखते हैं । वे अपनी अधिक क्षमता का भारत में पाटन करते हैं और उनकी कीमतें जापान तथा कोरिया के अन्य उत्पादकों से कम हैं;
- हितबद्ध पक्षकारों के कथन के विपरीत ईयू से आयातों की मात्रा में क्षति और जांच अवधि के दौरान स्पष्ट वृद्धि दिखायी देती है ।

84. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित वस्तुएं उनके द्वारा विनिर्मित वस्तुएं सामान्य वस्तुएं हैं और वे घरेलू उत्पादों के साथ- साथ परस्पर रूप से भी प्रतिस्पर्धा करती हैं क्योंकि उत्पादों का वितरण एक ही चैनल के जरिए होता है और उन्हें प्रयाक्ता उद्योग द्वारा एक- दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है । अतः क्षति एवं कारणात्मक संबंध के संचयी आकलन की सभी शर्तों को पूरा किया जाता है ।

85. घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि पाटित आयात जिसमें क्षति जांच अवधि के दौरान सापेक्ष रूप से और भारत में आयातों, उत्पादन और उपभोग के संबंध में अत्यधिक वृद्धि हुई है, के कारण वे अपने उत्पाद के लिए लाभकारी कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहे । इसके परिणामस्वरूप उनके नकद प्रवाह की स्थिति अनिश्चित है, ऋण भार में वृद्धि हुई है और संबद्ध देशों से पाटन से होने वाले भारी घाटे के कारण कार्यशील पूंजी की कमी है । यह भी निवेदन किया गया है कि कोरिया गणराज्य और जापान की मूल की वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के कारण घरेलू उद्योग उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि प्राप्त कर पाया था । तथापि, लागत कम करने और दक्षता में सुधार करने के प्रयासों के बावजूद, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग घरेलू बाजार की वृद्धि के अनुरूप क्षमता उपयोग और उत्पादन में वृद्धि नहीं कर पाया है ।

86. जहाँ तक कच्ची सामग्री की आपूर्ति में बाधा के कारण उत्पादन की हानि का संबंध है, घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि प्रमुख कच्ची सामग्रियों अर्थात इथिलीन और प्रोपिलीन के लिए सिंगल स्रोत ईपीडीईएम उद्योग के लिए एक सामान्य प्रतिमान है जो कि मुख्य रूप से कच्ची सामग्रियों की प्रकृति के कारण है । जांच अवधि के दौरान लघु अवधि के लिए कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति बंद किया जाना विरले मामलों में से एक है और कंपनी ने अपनी संविदा में अनिवार्य बाध्यता का दावा किया है । इसका विकल्प अत्यधिक कीमतों पर वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं

से कच्ची सामग्री खरीदना और पाटित आयात कीमतों के दबाव के कारण अंतिम उत्पाद को कम कीमतों पर बेचना था । इससे उनकी स्थिति और खराब हो जाती ।

झ.2 प्राधिकारी द्वारा जांच :

झ.2.1 क्षति का संचयी आकलन

87. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संचयी आकलन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को नोट किया है और उनकी जांच की है तथा इस रिपोर्ट में उचित स्थानों पर इन मुद्दों का समाधान किया गया है ।

88. जहाँ तक क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ समान वस्तु का संबंध है, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न किए जाने वाले ग्रेडों को छोड़ने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को और समान वस्तु के क्षेत्र से ऑफस्पेक सामग्रियों को बाहर रखने के लिए निर्यातक के तर्क की जांच पिछले खण्डों में की गयी है और प्राधिकारी मानते हैं कि ऑफस्पेक किस्मों सहित सभी ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित ग्रेडों से तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए वे समान उत्पाद हैं । तदनुसार, क्षति जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के समग्र उत्पाद रेंज पर विचार किया गया है ।

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के अधीन देशों/क्षेत्रों सहित कई देशों से ईपीडीएम का आयात किया जा रहा है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान जापान और कोरिया गणराज्य के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क लागू होगा । संबद्ध देशों/क्षेत्रों से पाटित कीमतों पर आयात पाया गया । अतः घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति के संचयी आकलन के मुद्दे की जांच प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों के आधार पर की गयी है ।

90. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II पैरा (iii) में अपेक्षित है कि एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयातों की एक ही समय में पाटनरोधी जांच के मामले में प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे यदि यह निर्धारित किया जाता है कि

I. प्रत्येक देश से आयात न्यूनतम से अधिक अथवा संचयी रूप से आयातों के 7% से अधिक हैं;
II. प्रत्येक देश के लिए पाटन मार्जिन 2% से अधिक है; और
III. आयातित वस्तु और समान घरलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उचित है ।

91. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि आयातित वस्तुएं आपस में और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात कीमतों और मात्राओं संबंधी आंकड़ों से ईयू को छोड़कर जहाँ औसत सीआईएफ कीमत में मामूली वृद्धि हुई है, संबद्ध देशों से कीमतों में गिरावट और मात्रा में वृद्धि का स्पष्ट संकेत मिलता है । तथापि, यह भी नोट किया गया है कि ईपीडीएम का उत्पादन चालीस भिन्न- भिन्न ग्रेडों में किया जा रहा है और

किसी देश विशेष से निर्यात बास्केट के संघटन पर निर्भर करते हुए कीमतों में थोड़ा- बहुत अंतर होता है । ईयू के निर्यातक द्वारा यह भी पुष्टि की गयी है कि क्षमता या यौक्तिकीकरण के दौरान ईपीडीएम के कुछेक ग्रेडों जिनका उनकी औसत कीमतों पर असर पड़ सकता है, को उनकी उत्पादन श्रेणी से बाहर कर दिया गया है ।

92. आयातकों/प्रयोक्ताओं के आयात आंकड़ों से स्पष्ट है कि उनकी द्वारा ईपीडीएम के विभिन्न ग्रेडों का आयात किया जाता है और आपूर्ति में किसी बाधा का परिहार करने तथा किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहने का परिहार करने के उपाय के रूप में एक ही प्रयोग के लिए विभिन्न उत्पादकों द्वारा विनिर्मित ईपीडीएमके दो- तीन समतुल्य ग्रेडों को माल सूची में रखा जाता है । इससे यह प्रदर्शित होता है कि विभिन्न विदेशी उत्पादकों तथा भारतीय उत्पादक द्वारा विनिर्मित संबंधित समतुल्य ग्रेड एक- दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं ।

93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि

(i) प्रत्येक संबद्ध देश/क्षेत्र से संबद्ध वस्तु के पाटन का मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

(ii) करार के अनुच्छेद 5.8 में दी गयी परिभाषा के अनुसार प्रत्येक सम्बद्ध देश से आयात की मात्रा नगण्य नहीं है ।

(iii) सम्बद्ध देशों से पाटित वस्तुएं और घरेलू रूप से उत्पादित समान वस्तुएं एक- दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं और प्रयोक्ता उद्योग द्वारा उन्हें एक- दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है । सम्बद्ध देशों से आयातों के सम्बन्ध में सौदावार सूचना यह दर्शाती है कि वास्तविक प्रयोक्ता और व्यापारी जिन्होंने पुनर्बिक्री के लिए सामग्री खरीदी है, द्वारा आयात किए जा रहे हैं । शामिल देशों द्वारा आपूर्ति की जा रही वस्तुएं वितरण के समान चैनलों के जरिए भारतीय बाजारों में आ रही हैं और भारतीय बाजार में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कर रही हैं ।

(iv) सम्बद्ध देशों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद का तुलनीय बिक्री चैनलों के जरिए और समान वाणिज्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत भारत में विपणन किया जा रहा है ।

(v) घरेलू उत्पादक और संबद्ध देश के निर्यातक एक ही प्रकार के उपभोक्ताओं को उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं ।

(vi) कीमत स्तर, जिन पर ये उत्पाद भारत में आ रहे हैं, की जांच यह दर्शाती है कि चीन के लिए छोड़कर भारतीय तट पर वस्तुओं का पहुंच मूल्य 80 रू./- से 88 रू./- के बैंड में है । अतः कीमत स्तरें भारतीय बाजार में निर्यातों के बीच और घरेलू उत्पाद के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाती हैं । चीनी निर्यातों का ग्रेड संघटन ज्ञात नहीं है । तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि चीन जन. गण. से निर्यातित ग्रेड अन्य विनिर्माताओं के न्यूनतर ग्रेडों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं ।

(vii) अतः यह पाया गया है कि संबद्ध देशों से आयात आपस में और भारतीय उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों मं कटौती करते हैं ।

94. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि इस मामले में संबद्ध देशों/क्षेत्रों से पाटित आयातों के कारण क्षति का संचयी आकलन उचित है ।

झ.2.2. वास्तविक क्षति

95. पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का अनुवर्ती प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है । प्राधिकारी द्वारा यह जांच किया जाना अपेक्षित है कि क्या आयातों में सापेक्ष रूप से या उत्पादन अथवा आयक सदस्य में खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है । पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह जांच किया जाना अपेक्षित है कि क्या आयातक देश में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा अत्यधिक मात्रा में कीमतों में अवमूल्यन या कीमत वृद्धि जो कि अन्यथा काफी अधिक हुई होती, को राकने के रूप में हुआ है ।

96. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन लम्बे समय तक बाधित रहा था जिसस उनका समग्र निष्पादन प्रभावित हुआ है आर यदि वे पूरे वर्ष उत्पादन कर पाए होते तो परिस्थिति भिन्न होती । प्राधिकारी न कच्ची सामग्री की आपूर्ति मं बाधा और क्षति संबंधी मापदंडों पर इसके प्रभाव की जांच की है । उत्पादन सुविधा और सहयोगी निर्यातक की कच्ची सामग्री की प्राप्ति की जांच से इस तर्क का समर्थन होता है कि इन महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति का एकल स्रोत इस उद्योग का मानक प्रतिमान है । वस्तुतः डीएसएम के मामले में इन कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति दीर्घावधि संविदा के आधार पर उसी स्थान पर स्थित उत्पादक द्वारा की जाती है । अतः आपूर्तिकर्ता की ओर से रखरखाव या ब्रेक डाउन के कारण किसी बाधा के होने पर ईपीडीएम उत्पादकों पर प्रभाव पड़ना आवश्यंभावी है । यह भी देखा गया हे कि इस प्रकार के उद्योग में वर्ष में लगभग 4 सप्ताह के लिए रखरखाव संबंधी कार्यबंदी सामान्य तकनीकी अपेक्षा है । तथापि, जांच अवधि के दौरान ऐसी बाधा के प्रभाव को उचित रूप से अलग करने के लिए घरलू उद्योग के उत्पादन एवं बिक्री के आंकड़ों का बहिर्वेशन (उस अवधि की क्षतिपूर्ति के लिए जिसमें उत्पादन नहीं हुआ, औसत मासिक उत्पादन के आधार पर) किया गया है ताकि बहिर्वेशित आंकड़े की तुलना पिछले वर्ष के आंकड़े की प्रवृत्ति से की जा सके ।

97. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के प्रयोजनार्थ जैसा कि ऊपर विचार- विमर्श किया गया है, घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रात्मक तथा कीमत प्रभाव और कीमतों एवं लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच करने के लिए संबद्ध देशों/क्षेत्रों से पाटित आयातों का संकलित कर लिया गया है ताकि पाटन एवं क्षति के बीच क्षति की उपस्थिति तथा कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की जांच की जा सके । चूंकि घरेलू उद्योग में अपने दिनांक 22 अगस्त, 2005 के पत्र के माध्यम से अपने अगोपनीय प्रस्तुतीकरणों में कई क्षति संबंधी सूचनाओं को प्रकट किया है अतः उन्हें इस निष्कर्ष में रिपोर्ट किया गया है ।

(क) मात्रात्मक प्रभावः पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरलू उद्योग पर प्रभाव

98. संबद्ध देशों/क्षेत्रों से पाटित आयातों तथा अन्य देशों से पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है -

I) **आयात मात्राएं एवं संबद्ध देशों का हिस्साः**

99. क्षति जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों, सहयोगी निर्यातकों के निर्यात आंकड़ों और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए गौण स्रोतों के आंकड़ों की जांच की है । जैसा कि पहले नोट किया गया, प्राधिकारी के पास उपलब्ध सर्वोत्तम विश्वासयोग्य सूचना के रूप में डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों को इस क्षति विश्लेषण के लिए अंगीकार किया गया है, हालाँकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार कुछ स्रोतों से आयात मात्राएं अधिक हो सकती हैं । इन आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों/क्षेत्रों की आयात मात्रा निम्नानुसार है -

देश				मात्रा मी. टन में
आयात	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**जांच अवधि**
संबद्ध देश/क्षेत्र				
ईयू	**2655.740**	**1821.661**	**2615.471**	**3276.954**
यूएसए	**810.944**	**936.950**	**1700.831**	**2180.799**
ब्राजील	**211.517**	**225.786**	**472.020**	**441.322**
चीन	**36.050**	**2.105**	**230.129**	**228.950**
कुल संबद्ध देश/क्षेत्र	**3714.251**	**2986.502**	**5018.451**	**6128.025**
प्रवृत्ति	**100**	**80.41**	**135.11**	**164.99**
अन्य	**1575.102**	**824.980**	**347.400**	**272.997**
प्रवृत्ति	**100**	**52.38**	**22.06**	**17.33**
कुल आयात	**5289.353**	**3811.482**	**5365.851**	**6401.022**
प्रवृत्ति	**100**	**72.06**	**101.45**	**121.02**

100. उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि हालांकि भारत को किए गए आयात आधार वर्ष की तुलना में लगभग 21% तक बढ़े हैं और वस्तु देशों से हुए आयातों में लगभग 65% की वृद्धि दर्ज की गई है । जांच अवधि में अलग-अलग देशों से आयात की मात्रा में भी पर्यापत वृद्धि हुई है ।

101. मांग और बाजार हिस्से में हुई वृद्धि के संबंध में आयातों की मात्रा में हुई वृद्धि का भी विशलेषण किया गया है ।

	2001-02	**2002-03**	**2003-04**	**जांच अवधि**
घरेलू बिक्रियां	3415.00	4732	4734.129	4162.119
प्रवृत्ति	100.00	138.57	138.63	121.88
कैप्टिव खपत	19.773	46.82	36.41	27.15
वस्तु देशों के आयात	3714.25	2986.50	5018.45	6128.03
प्रवृत्ति	100.00	80.41	135.11	164.99
अन्य देशों के आयात	1575.10	824.98	347.40	273.00
प्रवृत्ति	100.00	52.38	22.06	17.33
कुल आयात	5289.35	3811.48	5365.85	6401.02
प्रवृत्ति	100.00	72.06	101.45	121.02
कुल मांग	8724.13	8590.30	10136.39	10590.30
प्रवृत्ति	100.00	98.47	116.19	121.39

102. उपरोक्त आंकडे घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की मांग में हुई ठोस वृद्धि को दर्शाते हैं । चूंकि उत्पाद की कुल मांग आधार वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि दर्शाती हैं, संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए आयातों में 65% से अधिक की वृद्धि प्रदर्शित होती है और वर्ष 2003-2004 के दौरान लाभप्रद वृद्धि दर्शाने के पश्चात जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में दुबारा कमी आई हैं । आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि केवल 22% है और समग्र रूप में पिछले वर्ष से बिक्रियों में लगभग 660 एमटी की कमी आई है । अन्य देशों से आयातों में पर्याप्त कमी आई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्श के दौरान कोरिया और जापान के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लागू था और वर्ष 2003-2004 के दौरान जापान में डीएसएम की उत्पादन सुविधा बंद थी ।

(ii) मांग, उत्पादन ओर बाजार हिस्सा

(क) घरेलू उद्योग का उत्पादन

मात्रा एमटी में

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि	समायोजित जांच अवधि*
क्षमता	10000	10000	10000	10000	10000
उत्पादन (स्थानीय)	*****	*****	*****	*****	
उत्पादन (निर्यात)	*****	*****	*****	*****	
कुल उत्पादन	3840.00	5023	5461.46	4464.63	5246.57
प्रवृत्ति	100.00	130.81	142.23	116.27	136.63
क्षमता उपयोग	38.40%	50.23%	54.61%	44.65%	52.47%
प्रवृत्ति	100.00	130.81	142.23	116.27	136.63

* जांच अवधि के लिए आंकड़ों को समायोजित किया गया है क्योंकि इस अवधि के दौरान प्रमुख कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति में बाधा आने के कारण उत्पादन में कमी आई थी ।

103. वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान वसूली की प्रवृत्ति दर्शाने के पश्चात घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में कमी आई है । उपरोक्त आंकड़ें दर्शाते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में हुए उत्पादन में लगभग 22% की वृद्धि हुई है लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में पर्याप्त कमी आई है । तथापि, उत्पादन में आई कमी अंशतः आईपीसीएल के संयंत्र से मूल कच्ची सामग्री की गैर-उपलब्धता के कारण अप्रैल और अगसत, 2004 माह में उत्पादन का बंद होना है, जिस पर घरेलू उद्योग व्यापक रूप से आश्रित है । इसलिए, यदि अवधि के दौरान उत्पादन में कोई कमी नहीं आई होती तो आंकड़ों को संयंत्र के संभावित उत्पादन के आधार पर समायोजित किया गया होता । प्रो-रैटा आधार पर उत्पादन की मात्रा बढ़ने के पश्चात उत्पादन की मात्रा की तुलना पिछले वर्ष की आंकड़ो से की गई है । यद्यपि, इस अवधि के दौरान उपलब्ध पाटनरोधी संरक्षण के कारण आधार वर्ष की तुलना में सुधार आया है, समायोजित उत्पादन और क्षमता उपयोग के रूप में निष्पादन में भी कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है ।

(ख) घरेलू उद्योग की बिक्रियां

मात्रा एमटी मे

बिक्रियां	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि	समायोजित जांच अवधि
घरेलू	3415.00	4732	4734.129	4162.119	4637.84
प्रवृत्ति	100.00	138.57	138.63	121.88	135.81

निर्यात	23.00	340	993	572.956	687.55
प्रवृत्ति	100.00	1478.26	4317.39	2491.11	2989.34
कैप्टिव खपत	*****	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	100.00	236.79	184.14	137.33	164.79
कुल बिक्रिया + कैप्टिव खपत	*****	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	100.00	148.04	166.68	137.73	154.95

104. आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान पुनः प्राप्ति के चिन्ह दर्शाने के पश्चात घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में दुबारा कमी आई है । जांच अवधि के दौरान उत्पादन में कमी आने पर की गई समायोजित बिक्रियां भी पिछले वर्षों की तुलना में कमी दर्शाती हैं ।

(ख) मांग और बाजार हिस्सा

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि	समायोजित जांच अवधि
घरेलू बिक्रियां	3415.00	4732	4734.129	4162.119	4994.54
प्रवृत्ति	100.00	138.57	138.63	121.88	121.88
कैप्टिव खपत	.....	.....	.....	.....	
संबद्ध देश आयात	3714.25	2986.50	5018.45	6128.03	6542.93
प्रवृत्ति	100.00	80.41	135.11	164.99	176.16
अन्य देशों के आयात	1575.10	824.98	347.40	273.00	431.47
प्रवृत्ति	100.00	52.38	22.06	17.33	27.39
कुल आयात	5289.35	3811.48	5365.85	6401.02	6974.40
प्रवृत्ति	100.00	72.06	101.45	121.02	131.86
कुल मांग	8724.13	8590.30	10136.39	10590.30	11966.10
प्रवृत्ति	100.00	98.47	116.19	121.39	139.65
मांग में हिस्सा					
घरेलू उद्योग	39.14%	55.09%	46.70%	39.30%	41.63%
प्रवृत्ति	100.00	140.72	119.31	100.40	106.36
संबद्ध देश	42.57%	34.77%	49.51%	57.86%	54.54%
प्रवृत्ति	100.00	81.66	116.29	135.91	156.88
अन्य देश	18.05%	9.60%	3.43%	2.58%	3.60%
प्रवृत्ति	100.00	53.19	18.98	14.28	37.45

105. जांच अवधि के आंकड़े दर्शाते हैं कि वष्र 2002 से 2004 के दौरान पर्याप्त बाजार हिस्सा प्राप्त करने के पश्चात घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों से अपने बाजार हिस्से को दुबारा खोया है । वर्ष 2002-2003 में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 39% से बढ़कर 55% हो गया था और अगले वष्र से इसमें कमी आनी शुरू हो गई थी और यह आधार वर्ष के उसी स्तर तक पहुँच गया, जबकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा 43% से बढ़कर 58% हो गया ।

106. समायोजित जांच अवधि के आंकड़े दर्शाते हैं कि हालांकि विचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 39% की वृद्धि हुई है लेकिन घरेलू उद्योग के कुल मांग हिस्से में जो आधार वर्ष में 39% से बढ़कर अगले वर्ष में 55% हो गया, जांच अवधि के दौरान 41% की कमी आइ है । इसी समय पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के हिस्से में, जो आधार वर्ष में 43% से घटकर अगले वर्ष 35% हो गया, जांच अवधि के दौरान 55% की वृद्धि हुई है, हालांकि अन्य स्त्रोतों से आयातों का हिस्सा नगण्य रहा है ।

(ख) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

107. संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़े प्रभाव की कीमत कटौती कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई हों, के संदर्भ में जांच की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत, भारित औसत निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) (घरेलू उद्योग की लागत सूचना का मानकीकरण करने के पश्चात निकाली गई) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की उत्तराई लागत के साथ की गई है ।

(i) कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के प्रभाव

रू./किग्रा.

	2001-02	2002-03	2003-04	जाच अवधि
घरेलू बिक्री कीमत	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	100	97.54	85.63	79.66
बनाने और बिक्री की लागत	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	100	96.84	93.19	96.31
पहुँच मूल्य				
ईयू	92.92	93.38	86.65	88.33
यूएसए	100.15	89.52	87.51	79.54
ब्राजील	111.07	98.86	88.21	88.13
चीन	84.62	168.68	75.22	73.01
संबद्ध देश	95.45	92.64	86.56	84.62
प्रवृत्ति	100	84.90	79.33	77.55
कीमत कटौती				
ईयू				*****
यूएसए				*****
ब्राजील				*****
चीन				*****
संबद्ध देश				*****
कीमत कटौती %				
ईयू				-0 to 10%
यूएसए				5 to 15%
ब्राजील				-0 to 10%
चीन				10 to 20%
संबद्ध देश				5 to 10%
एनआईपी				*****
कम कीमत पर बिक्री				
ईयू				*****
यूएसए				
ब्राजील				
चीन				*****
संबद्ध देश				*****
कम कीमत पर बिक्री %				
ईयू				25 to 35%
यूएसए				35 to 45%
ब्राजील				25 to 35%
चीन				50 to 60%
संबद्ध देश				30 to 40%

108. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (निवल बिक्री वसूली) आधार वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण कमी का दर्शाती है । बिक्री लागत से भी 2003-2004 तक कमी की प्रवृत्ति और जांच अवधि के दौरान मामूली वृद्धि प्रदर्शित होती है । लेकिन घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री कीमत में कमी बनाने और बिक्री की लागत में कमी से लगभग 16% ज्यादा है ।

109. इसी समय पर संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य आधार वर्ष की तुलना में लगभग 23% की कमी को दर्शाते हैं । आयात कीत और घरेलू बिक्री कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि आयात कीमतों में कमी घरेलू बिक्री कीमतों के मुकाबले ज्यादा तेज हैं ।

110. संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों पर कीमत कटौती के प्रभाव का निर्धारण, जांच अवधि की समूची अवधि के दौरान संबद्ध देशें/क्षेत्रों से पाटित आयातों के भारित औसत पहुँच कीमत की तुलना उसी अवधि के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री वसूली के साथ करके, किया गया है । इस प्रयोजनार्थ, आयातों के पहूंच मूल्य का निर्धारण 1% हैंडलिंग प्रभार और संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातों के सीआईएफ मूल्य पर लागू मूल सीमा शुल्क को जोड़कर किया गया है ।

111. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली का निर्धारण करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त छूट, कटौती और कमीशन एवं देय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर छूट दी गई है ।

112. कम कीमत पर बिक्री का निर्धारण करने के प्रयोजन से संबद्ध देशों/ क्षेत्रों से आयातों के भारित औसत पहुँच कीमतों की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित बिक्री कीमत के साथ की गई है ।

113. जहां तक कीत कटौती का संबंध है, ईयू और ब्राजील से हुए आयातों में मामूली नकारात्मक कीमत कऔती हुई है जबकि अन्य शामिल देशों पर इस कटौती का पर्यापत प्रभाव पड़ा है । अतः, घरेलू उद्योग की कीमतों में पर्याप्त कटौती हुई है और इसलिए, कीमत कटौती से कीमत पर पड़ने वाले प्रभावों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी ।

114. सभी संबद्ध देशों, अलग-अलग एवं संचयी रूप में, से हुए आयातों की पहुँच कीमत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से पर्याप्त कम पाई गई है जो घरेलू उद्योग पर कम कीमत पर बिक्री से हुए प्रभाव को दर्शाती है ।

(ii) पाटित आयातों पर कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास के प्रभाव

115. पाटित आयातों पर कीमत न्यूनीकरण/कीमत ह्रास के प्रभावों की संबद्ध देशों की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली और पहुँच कीमत के संदर्भ में जांच की गई है । क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत की प्रवृत्ति में पर्याप्त कमी और जांच अवधि के दौरान मामूली वृद्धि प्रदर्शित होती है । अतः घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की प्रवृत्ति उत्पादन लागत की तुलना में तेजी से कम होती प्रदर्शित होती है । आयात कीत में भी तेजी से कमी आई है ।

116. उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हौ कि अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग आयात कीमतों का मिलान करते हुए अपनी कीमतों में कटौती करने के लिए बाध्य हुए हैं ।

1.4 अन्य क्षति संबंधी मानदण्डों की जांच

117. घरेल उद्योग की मात्रा और कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और प्रमुख क्षति संकेतकों जैसे घरेलू आयातों की मात्रा और मूल्य, क्षमता, क्षमता उपयोगिता और बिक्रिया और विभिन्न खण्डों के बाजार हिस्सों के साथ मांग की प्रवृत्ति की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी द्वारा अन्य आर्थिक मानदण्डों, जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाता हैं, का विश्लेषण किया गया है जो निम्नप्रकार से है :-

i) उत्पादकता पर वास्तविक एवं सभावित प्रभाव

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि	समायोजित जांच अवधि
कुल उत्पादन		3840.00	5023	5461.46	4464.63	5246.57
कर्मचारियों की सं.		*****	*****	*****	*****	*****
उत्पादकता	प्रति कर्मचारी	*****	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध		100	128.31	147.00	136.68	160.62
उत्पादकता	एमटी/डीएवाई	*****	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध		100	130.81	142.23	116.27	136.63

118. रोजगार में कमी आंई है और इसलिए कारोबार की श्रम उत्पादकता के रूप में मापी गई घरेलू उद्योग की उत्पादकता में पर्याप्त सुधार आया है । अतः वर्ष 2003-2004 में सुधार दर्शाने के पश्चात रोजमर्रा के कारोबार में कमी आई है ।

ii) लाभ एवं नकद प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि
बिक्री लागत	रू./किग्रा.	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध		100	96.84	93.19	96.31
बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध		100	97.54	85.63	79.66
लाभ/हानि	रू./किग्रा.	(*****)	(*****)	(*****)	(*****)
सूचीबद्ध		100	76.97	308.64	571.40
घरेलू बिक्रियों पर कुल लाभ/हानि	लाख रूपए	(*****)	(*****)	(*****)	(*****)
सूचीबद्ध		100	106.65	427.86	696.40
ह्रास	रू./किग्रा.	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध		100	166.17	153.82	186.01
नकद लाभ/हानि	रू./किग्रा.	*****	*****	(*****)	(*****)
नकद लाभ/हानि	लाख रूपए	*****	*****	(*****)	(*****)
सूचीबद्ध		100	441.67	-153.84	-576.63

119. आंकड़े दर्शाते हैं कि कम्पनी को वर्ष 2002-2003 के दौरान अपने नकद लाभ में सुधार करने के पश्चात वर्ष 2003-2004 से दुबारा नकद हानि हुई और जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों में प्रति इकाई हानि में वृद्धि होने के कारण नकद हानि में पर्याप्त वृद्धि हुई । बिक्री कीमत में आई पर्याप्त कमी घरेलू प्रचालन में कमी के परिणाम स्वरूप है ।

iii) रोजगार एवं मजदूरी

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि
कर्मचारी					
कर्मचारी की सं.	सं.	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101.95	96.75	85.06
मजदूरी	लाख रू.	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104.28	107.73	96.60
प्रति कर्मचारी वेतन	लाख रूपए	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102.28	113.51	115.77

120. रोजगार स्तर में महत्वपूर्ण कमी आई है इसीलिए कुल मजदूरी में भी कमी आई है यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में प्रति कर्मचारी मजदूरी में वृद्धि हुई है ।

iv) निवेश पर प्राप्ति और पूंजी जुटाने की क्षमता

विवरण		2001-02	2002-03	2003-04	जाच अवधि
लगाई गई पूंजी (एनएपुए + कार्यशील पूंजी)	रू./किग्रा.	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध		100	77.19	68.67	65.05
लाभ	रू./किग्रा.	(*****)	(*****)	(*****)	(*****)
सूचीबद्ध		100	76.97	308.64	571.40
ब्याज	रू./किग्रा.	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध		100	76.48	72.26	45.62
पीबीआईटी	रू./किग्रा.	*****	*****	(*****)	(*****)
सूचीबद्ध		100	76.30	-12.45	-142.80
लगाई गई पूंजी पर प्राप्ति	%	3.48%	4.49%	-0.90%	-8.87%
सूचीबद्ध		100	129.31	-25.79	-255.22

121. घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादनों का इसके नकद लाभ और निवेश पर प्राप्ति के रूप में भी विश्लेषण किया गया है । आधार वर्ष के साथ तुलना करने पर लगाई गई पूंजी और घरेलू प्रचालनों से हुए लाभ पर्याप्त कमी को दर्शाते हैं । वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तुलना करने पर आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2002-2003 में पर्यापत वसूली के बाद, कम्पनी की वित्तीय निष्पादन की स्थिति काफी खराब नहीं है जिसका एक कारण संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के दबाव के कारण कीमतों में कमी भी रहा है ।

(V) निवेश

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने व्यवसाय में आगे कोई पूंजी का निवेश नहीं किया है और संयंत्र की क्षमता 1000 एमटी स्तर तक बनी रही है । जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा आगे कोई नया निवेश नहीं किया गया है और आगे भी निवेश करने की कोई योजना नहीं है जैसाकि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

(vi) पाटन की मात्रा

123. पाटन की मात्रा, घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से हुई क्षति की सीमा के एक संकेतक के रूप में, दर्शाती है कि जांच अवधि के लिए नामित देशों/क्षेत्रों के खिलाफ निर्धारित पाटन मार्जिन पर्याप्त है ।

(vii) कीमत पर प्रभाव वाले कारक

124. पाटित आयातों से अन्य कारकों का विश्लेषण करने के लिए लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्थापन कीमतों की जांच की गई है, जो घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव डाल सकते हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थापन नहीं है और मैसर्स यूनीमर्स इंडिया भारत में संबद्ध वस्तु का अकेला उत्पादक है । इसलिए, घरेलू प्रतिस्पर्धा से कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ता है । संबद्ध देशों से हुए पाटित आयात घरेलू उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए पाए गए हैं और इससे घरेलू बाजार में कीमत प्रभावित हुई हैं ।

125. हितबद्ध पार्टियों ने घरेलू उद्योग के उत्पादों की गुणवत्ता और कार्य निष्पादन और साथ ही आपूर्ति में अनियमितताएं के मुद्दों को उठाया है जो घरेलू उद्योग को प्रभावित करती हैं । तथापि, जैसाकि पहले नोट किया गया है, मुद्दों की विस्तृत जांच की गई है और वास्तविक तथ्य यह है कि आवेदक ने उन्हीं उपयोक्ताओं को घरेलू बाजार में उक्त उत्पादन की अधिकांशतः 5000 एमटी बेची है जो इन तर्कों को अधिकतम सीमा तक खारिज करती हैं ।

(viii) स्टॉक

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि
रखा गया औसत स्टॉक	एमटी	331.3445	474.6215	275.7325	221.38
सूचीबद्ध		100	143.24	58.10	46.64
उत्पादन के % के रूप में स्टॉक		8.63%	9.45%	5.05%	4.96%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109.51	53.43	52.48

126. घरेलू उद्योग के स्टॉक संबंधी आंकड़े रखे गए स्टॉक में पर्याप्त कमी को दर्शाते हैं । अतः स्टॉक में आई कमी मुख्यतः जांच अवधि की विस्तार अवधि में उत्पादन मे आई कमी और निर्यातों में हुई वृद्धि के कारण हैं ।

झ.5 अन्य ज्ञात कारक तथा कारणात्मक संबंध

झ.5.1 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

127 जैसा कि पूर्व में नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि पाटथ्त आयात घेलू उद्योग को हुई किसी क्षति के लिए जिम्मेवार नहीं है । उन्होंने यह दलील बारम्बार दी है कि घरेलू उद्योग कच्चे माल की खरीद में अपने प्रमुख कच्चे माल के लिए केवल एक स्रोत पर निर्भर है । कच्चा माल आपूर्तिकर्त्ता द्वारा मशीन खराब होने तथा रख-रखाव के लिए तथा कामबंदी की स्थिति में कंपनी को उत्पादन निलंबित करना पड़ता है । कंपनी के प्रचालक के एक दशकसे अधिक के बावजूद, कंपनी कोई वैकल्पिक योजना बनाने में समर्थ नहीं हो सकी तथा इसे अनिवार्य बाध्यता के रूप में माना है । घरेलू उद्योग कच्चे माल की खरीद में आई समस्याओं के बार-बार अपने उपभोक्ताओं को वचनबद्ध आपूर्ति अनुसूचियों को पूरा करने में समर्थ नहीं है । इसलिए ई पी डी एम का एक बहुत विश्वसनीय स्रोत न होने के कारण इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं को आपूर्ति के मोर्चे पर अपनी कड़ी वचनबद्धताओं के कारण आयात करने का आश्रय लेना पड़ा, विशेषकर आटोमोबाइल खण्ड में, जो बिल्कुल समय पर भंडार सूची के आधार पर प्रचालित होता है । उन्होंने दलील दी है कि घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देशों में निर्यातकों के बीच उत्पादन की लागत तथा अन्य दक्षताओं के मध्य वास्तविक अंतर है तथा कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन योजना को अखण्ड रखने में समर्थ नहीं है । इसलिए यह तर्क दिया गया है कि करार के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों से इतर कारकों के कारण है तथा पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता ।

128. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रकटन पश्चात अनुरोधों में अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील दी है कि

- घरेलू उद्योग को हुई क्षति अवमूल्यन नीति मे परिवर्तन तथा उत्पादन में घाटे जैसे अनेक मात्रात्मक मानदण्डों के कारण है जो क्षति विश्लेषण में कारक माने जाने चाहिए । उन्होंने तर्क दिया है कि कंपनी में उत्पादों की वृहत श्रृंखला के उत्पादन का अनुमान किया है जबकि उनके द्वारा केवल कुछेक ग्रेडों का उत्पादन किया जाता है । इसलिए आवेदक की उनके द्वारा इंगित क्षमता से अधिक उत्पादन करने में समर्थ होना चाहिए । उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि आवेदक क्यों कमतर क्षमता उपयोग प्राप्त कर रहा है ।
- कि घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देशों में निर्यातकों के बीच उत्पादन की लागत तथा अन्य दक्षताओं के मध्य वास्तविक अंतर है ।
- कि घरेलू उत्पादक लंबे समय से एक बी आई एफ आर कंपनी है तथा कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन योजना को अखण्ड रखने में समर्थ नहीं है ।
- कि जबकि पिछले वर्ष की तुलना में यूरोप से आयातों की पहुंच मूल्य जांच अवधि के दौरान बढ़ा तथा यू एस के पहुंच मूल्य में गिरावट आई । यद्यपि अमरीका और चीन से कीमत कटौती सकारात्मक पाई गई है तथापि यूरोप तथा ब्राजील के संबंध में यह नकारात्मक है । इसलिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई क्षति हुई हो, अमरीका तथा चीन से आयातों के फलस्वरूप हुई है ।

इ.5.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

129. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा हितबद्ध पक्षकारों की उपर्युक्त दलीलों के आलोक में घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के मुछ्दे की जांच की । इसके विपरीत प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने एक त्रुटिपूर्ण तथा भ्रामक अभिस्वीकृति की है कि घरेलू उद्योग लम्बे समय से बी आई एफ आर के अंतर्गत है । वास्तव में कंपनी बी आई एफ आर के अंतर्गत कभी नहीं थी, हालांकि इसे अतीत में वित्तीय समस्याएं थी । कंपनी के लेखा परीक्षक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह सत्यापित किया है कि यह एक बीमार कंपनी नहीं थी । कंपनी का निवल मूल्य सकारात्मक था । वर्ष 2002-03 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि कंपनी की संभाव्य रूग्णता का कारण अन्य कारकों के साथ अनेक देशों से पाटन है । कंपनी ने इसके द्वारा लिए गए निदानात्मक उपायों को भी सूचित किया है जिसमें इस समस्या के समाधान के लिए समयाविधि द्वारा वित्तीय पुनगर्ठन पैकेज, वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधार देना, वित्तीय पुनगर्ठन के कारण बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी सुविधाओं की वृद्धि, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा आई पी सी एल के अधिग्रहण के बाद कच्चे माल की आपूर्ति में सुधार शामिल है । पूंजी पुनर्गठन वर्ष 2000-01 में भी इक्विटी के विरूद्ध समेकित घाटे के निपटारे तथा संवर्धकों से नइ इक्विटी जोड़कर किया गया था । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी इस अवधि के दौरान जापान तथा कोरिया से इसी वस्तु के पाटन का सामना कर रही थी तथा इन देशों पर अगस्त 2000 में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान तथा कोरिया जन गण पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन में स्वाम्थय प्राप्ति के लक्षण दिखाई दिए थे । लेकिन शुल्क लगाने के बाद कोरिया तथा जापान से अमरीका, ब्राजील तथा ई यू की ओर आयातों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । घरेलू उद्योग का निष्पादन 2003-04 से पुनः गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाता है ।

130. उत्पादन की घरेलू कीमत लागत की प्रवृति तथा संबद्ध देश से आयातों का पहुंच मूल्य यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि घरेलू कीमतें आयात कीमतों के साथ संगतता बनाये रखने के लिए स्वतः महत्वपूर्ण रूप से गिर गई । इसलिए अपने आप में कीमत कटौती वैयक्तिक देशों से आयातों तथा वहन की गई क्षति के बीच कारणात्मक संबध स्थापित करने के लिए निर्णायक मानदण्ड नहीं है । घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत कमतर आयात कीमतों के विरूद्ध बेंचमार्क की गई प्रतीत होती हैं । वहीं दूसरी ओर पाटित आयातों द्वारा पर्याप्ततः कम कीमत पर बिक्री की गई है ।

131. जहां तक कच्चे माल की आपूर्ति के एकल स्रोत तथा उत्पादन में रूकावट का संबंध है, कम क्षमता उपयोग तथा संबंधित परिणामी क्षति, उत्पाद में रूकावट तथा जांच अवधि के दौरासन बक्री का इन कारकों के आधार क्षति को पृथक करने के लिए उच्चतर स्तर पर क्षमता उपयोग को आदर्शकीय बनाकर समाधान किया गया है । यहां तक कि यदि उस अवधि, जिसके लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन पर विचार नहीं किया जाता, मासिक उत्पादन तथा घरेलू उद्योग की बिक्री स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती है कि कंपनी समूची जांच अवधि के लिए क्षमता उपयोग के अत्यधिक निम्नतर स्तर पर प्रचालन कर रही है । इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों की दलीलें कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति उत्पादन में रूकावट की अवधि में बढ़ गई थी, सही प्रतीत नहीं होती ।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों के उत्पादन की लागत से अनुकूल रूप से तुलनीय है । उपर्युक्त दलीलों के अलावा प्राधिकारी ने अन्य कारकों द्वारा हुई किसी क्षति को पृथक करने के लिए नियमों में विहित कारणात्मक संबंध तथा अन्य गैर-कारण संबंधी कारकों के मुद्दे की जांच भी की । इस संबंध में नियमों में उल्लिखित निम्नलिखित संकेतात्मक कारकों की जांच की गई:

(i) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें

132. अनुच्छेद 3.5 गैर-कारण संबंधी विश्लेषण के लिए एक कारक के रूप में पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा तथा मूल्य की परीक्षा के लिए अधिदेश करता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान, संबद्ध देशों/क्षेत्रों से इतर अन्य देशों से बेहद नगण्य आयात किए गए । इसलिए इन स्रोतों से आयातों द्वारा हुई क्षति को संबद्ध देशों/क्षेत्रों से पाटित आयातों के कारण नहीं माना जा सकता ।

(ii) मांग में संकुचन तथा/खपत के देश मे परिवर्तन

133. विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान लगभग 40 प्रतिशत की बेहद महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित होती है । घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत के ढंग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण कहा जा सके ।

(iii) विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धा

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योगय है तथा घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथएं नहीं है । मै0 यूनिमर्स इंडिया देश में संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक है । देश में निष्पक्ष व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा संबद्ध देशों से आयात विभिन्न देशों से होते हैं तथा घरेलू उत्पादक से प्रतिस्पर्धा करते हैं । तथापि, विभिन्न स्रोतों से आयातों का प्रमुख हिस्सा पाटित आयातों के रूप में निर्धारित किया गया है ।

(iv) प्रौद्योगिकी का विकास तथा निर्यात निष्पादन

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के संयंत्र विश्व में ई पी डी एम के अग्रणी उत्पादकों में से एक के साथ तकनीकी सहयोग स्थापित किए गए थे तथा विश्व में संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त की जा रही प्रौद्योगिकियों के बीच कोई प्रमुख अंतर नहीं है । संबद्ध देशों में सहयोगी विदेशी उत्पादक की उत्पादन सुविधाओं की भी जांच की गई थी और यह देखा गया था कि उत्पादक समान उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है । इसलिए प्रौद्योगिकी का विकास अथवा घरेलू उद्योग के उत्पादन की अदक्ष विधि को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता ।

136. प्राधिकारी नोट करते हौ कि घरेलू उद्योग का विचाराधीन उत्पाद का अत्यधिक कम निर्यात कारोबार है यद्यपि इसमें जांच अवधि में लगातार वृद्धि प्रदर्शित होती है । इसलिए घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन अत्यधिक कम है तथा घरेलू उद्योग के निष्पादन को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता । तथापि, क्षति विश्लेषण कंपनी के घरेलू प्रचालन पर किया गया है तथा इसलिए निर्यात निष्पादन को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता ।

(v) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

137. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में श्रम उत्पादन के रूप में वास्तविक सुधार प्रदर्शित हुआ है । तथापि, दैनिक उत्पादन में एक वर्धित अवधि के लिए उत्पादन घाटे के कारण महत्वपूर्ण गिरावट प्रदर्शित हुई है । इस मामले में उत्पादन घाटे को अनिवार्य बाध्यता की शर्त के कारण घरेलू उद्यमों को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता । वस्तुतः घरेलू उद्योग ने उत्पादकता में सुधार के जरिए अपने घरेलू प्रचालन में अपने घाटे को कम करने का प्रयास किया है ।

138. प्राधिकारी के संज्ञान में और कोई कारक जिससे घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना हो सकती है, नहीं लाया गया है ।

झ.6 कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

139. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक रूप से गिरावट आई । इसलिए, पाटित आयात तथा घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को निम्नांकित कारणों के आधार पर स्थापित किया जाता है:

1. संबद्ध देशों से संचयी पाटित आयात कीमतें तथा आयातों की परिणामी पहुंच कीमत में गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप कीमत में प्रभावी मंदी आई;

2. घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री कीमतों में कमी से कंपनी के लाभ, नकद प्रवाह तथा निवेश पर आय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं;

3. यद्यपि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें घटाकर आयात कीमतों में गिरावट का समाधान किया है तथापि इसने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के रूप में अपने महत्वपूर्ण बाजार हिस्से को गंवाया है;

4. प्रभावी कीमत मंदी, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में परिणामी गिरावट के फलस्वरूप कम क्षमता उपयोग हुआ है जिससे जांच अवधि के दौरान कुछ अवधि के लिए उत्पादन घाटे के कारक बनने के बावजूद पूर्ववर्ती स्तर पर नहीं पहुंचा जा सका । घरेलू उद्योग बिक्री में तथा परिणामस्वरूप उत्पादन तथा क्षमता उपोग में, मांग में वृद्धि के बावजूद वृद्धि नहीं कर सका ।

5. मांग में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री कीमत में कमी के बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आयातों के पहुँच मूल्य में प्रभज्ञवी कमी के कारण गिरावट आई । इससे घरेलू उद्योग की प्रगति में बाधा आई ।

झ.7 समग्र मूल्यांकन

140. कारकों जिनसे घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की विद्यमानता का संकेत मिल सकता है का उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि हस्तक्षेप अवधि के दौरान विभिन्न मानदण्डों में सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई तथा उद्योग को उच्च अप्रयुक्त क्षमता कम निवल बिक्री वसूली तथा लाभ पर कम आय अथवा नकारात्मक आय के कारण क्षति हुई जबकि बाजार में उत्पाद की पर्याप्त मांग थी । वहन की गई क्षति वास्तविक तथा पर्याप्त थी । इसलिए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का सामना करना पड़ा तथा इस क्षमति के कारण प्रभावी रूप से संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत तथा मात्रा संबंधी प्रभाव थे । प्राधिकारी के संज्ञान में लाए गए अन्य कारणों के कारण क्षति यदि कोई हुई हो, को पाटित आयातों के कारण नहीं माना जा सकता ।

ञ क्षति की मात्रा तथा क्षति मार्जिन

141. प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को सामान्य बनाने के पश्चात निर्धारित की गई गैर क्षतिकारी कीमत की क्षति मर्जिन का निर्धारण करने के लिए निर्यातों के भारित औसत पहुंच मूल्य से तुलना की गई थी । क्षति मार्जिन निम्नानुसार परिकलित किया गया है:

कंपनी/देश	क्षति मार्जिन का दायरा
ई यू से सभी निर्यातक	25 से 35 प्रतिशत
यू एस ए से सभी निर्यातक	40 से 50 प्रतिशत
चीन जन गण से सभी निर्यातक	50 से 60 प्रतिशत
ब्राजील से सभी निर्यातक	25 से 35 प्रतिशत

ट. वास्तविक क्षति का खतरा

142. वास्तविक क्षति के उपर्युक्त दावों के अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने भी, इस आधारों पर कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अत्यधिक विशाल निष्पटान क्षमता के साथ प्रभावी कीमत कटौती घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे का स्पष्ट साक्ष्य है, वास्तविक क्षति के खतरे का दावा किया है । उपर्युक्त दावों के मद्देनजर वास्तविक क्षति के खतरे के मुद्दे की नियमावली के अनुबंध II के पैरा vii के अनुसार जांच की गई । प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- संबद्ध देशों से भारत को पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है । जांच अवधि में आयात आधार वर्ष की तुलना में 65 प्रतिशत उच्चतर रहे हैं तथा पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि लगभग 22 प्रतिशत है । संबद्ध वस्तु के लिए मांग पर्याप्त है तथा आयात में वृद्धि की प्रवृत्ति कीमत कारक के कारण जारी रहने की संभावना है ।
- क्षमताओं तथा ई पी डी एम की मांग आपूर्ति पर आंकड़े यह इंगित करते हौ कि विश्व बाजार में प्रभावशाली उच्चतर क्षमता विद्यमान थी जिसके फलस्वरूप वर्ष 2004-05 के दौरान यू एस ए तथा जापान में डी एस एम के दो संयंत्र के बंद होने के द्वारा क्षमता का युक्तिसंगतीकरण हुआ । तथापि, इसी समय प्रमुख उत्पादकों (डी एस एम, इक्सन तथा ड्यू पोंट-डाव) ने यू एस ए तथा अमरीका में नई उत्पादन लाइनें जोड़ी जो संबद्ध देशों में प्रभावशाली निपटान क्षमता का संकेत देता है;
- पिछले खण्ड में लागत तथा कीमत विश्लेषण इंगित करता है कि पाटित आयातों ने भारत में घरेलू कीमतों को अत्यधिक मंद कर दिया है ।

143. मै0 डी एस एम ने यह प्रस्तुत किया है कि यू एस ए तथा जापान में संयंत्रों के बंद होने के बाद तथा नीदरलैंड में उनके संयंत्र के कम क्षमता के होने के कारण डी ई ई/डी ई ए द्वारा क्षमता मे कमी आई है । उन्होंने तर्क दिया है कि भारत को उनके निर्यात उनकी वैश्विक बिक्री का बेहत अल्प भाग है तथा डी ई ई द्वारा उनकी उपलब्ध अधिदेश क्षमता के आधार भारत में डी ई ई द्वारा पाटन करने का प्रश्न नहीं उठता है । उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि भारत में उनकी कीमतें जांच अवधि के दौरान तथा पश्चात पर्याप्त रूप से बढ़ी हैं इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति का कोई खतरा नहीं है ।

144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति का सामना किया है । जहां तक क्षति के खतरे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु वे दो प्रमुख उत्पादकों ने हाल ही में वास्तविक क्षमताएं जोड़ी हैं तथा उनके पास पर्याप्त अधिशेष क्षमता है । इसलिए संबद्ध देशों से पाटन के जारी रहने के खतरे से इंकार नहीं किया जा सकता ।

ठ. निष्कर्ष

145. उठाए गए मुद्दों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण तथा प्राधिकारी के समक्ष इस जांच परिणाम में अभिलेखित उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:

(i) संबद्ध वस्तु, ने संबद्ध देशों/क्षेत्रों से भारतीय बाजार में निर्यातक देशों/क्षेत्रों के घरेलू बाजारों मे उनके सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर प्रवेश किया है;

(ii) घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति का सामना किया है तथा क्षति का खतरा विद्यमान है; तथा

(iii) संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के मात्रात्मक तथा कीमत प्रभावों दोनों के द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

ङ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

146. प्राधिकारी नोट करते है कि हितबद्ध पक्षकारों की दलीलें तथा चिंताएं कि इस उत्पाद पर यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता उद्योग प्रतिकूलतः प्रभावित होगा तथा प्रयोक्ता उद्योग के कतिपय खण्ड, अधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों को अंतरित हो सकते हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन की अनिष्पक्ष व्यापार प्रथा द्वारा होने वाली क्षति का निराकरण करना है ताकि भारतीय बाजार में सही एवं निष्पक्ष स्थिति की पुर्नस्थापना हो सके जो कि देश के व्यापक हित में है । पाटनरोधी उपायों के लागे होने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होते तथा इसलिए उपभोक्ताओं को वस्तुओं की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ता । दूसरी ओर, पाटित आयातों द्वारा उत्पन्न विकृति को सुधारा नहीं जाता है तो इससे घरेलू उद्योग उत्पादन आधार बंद हो सकता है तथा विदेशी उत्पादकों द्वारा परिणामी कीमत वृद्धि हो सकती है जिससे प्रयोक्ता उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा । तथापि, जहां तक लागत हानि के बारे में डाउनस्ट्रीम उद्योग की आशंका है जो इन्हें हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम इन्हें इस मुद्दे पर जाने की अनुमति नहीं देते । अर्थव्यवस्था के व्यापक हित पर विचार करते हुए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए अथवा नहीं का निर्णय केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है तथा प्राधिकारी इस मुद्दे पर टिप्पणी करने के सक्षम नहीं है ।

च. सिफारिशें

147. प्राधिकारी ने विहित नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति तथा पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध में एक जांच शुरू की तथा संचालन किया तथा संबद्ध देशों के विरूद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित करके, तथ यह निष्कर्ष देकर कि घरेलू उद्योग ऐसे पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति का सामना करता है प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करने के लिए निर्णायक उपायों को लगाये जाने की जरूरत है । तदनुसार, प्राधिकारी निम्नानुसार निर्धारित प्रारूप तथा ढंग से निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

148. प्राधिकारी द्वारा अनुपालन किए जा रहे कमतर शुल्क नियमों पर विचार करते हुए प्राधिकारी पाटन के मार्जिन से कमतर तथा क्षति के मार्जिन के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके । तदनुसार, संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य तथा यहां संलग्न शुल्क तालिका के कालम 9 में इंगित राशि के अंतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क बशर्ते कि पहुँच मूल्य, कालम 9 में इंगित मूल्य से कम हो, लगाने की केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाती है । इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3 क, 8 ख 9 क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क को प्रयोज्य स्तर होगा ।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्दिष्टता	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	संदर्भ कीमत	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	4002.70	इथाइलिन प्रोपाइलिन नॉन कंजुगेटेड डाइन रबड़ (ईपीडीएम)	सभी ग्रेड	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	मै. डीएसएम लास्टमर यूरोप बी.बी.	मै. डीएस लास्टमर एशिया सिंगापुर	2.47	कि.ग्रा.	अम. डा.
2	4002.70	तदैव	तदैव	यूरोपीय संघ	कोई	उपर्युक्त के अलावा कोई	कोई	2.51	कि.ग्रा.	अम. डा.
3	4002.70	तदैव	तदैव	कोई	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	2.51	कि.ग्रा.	अम. डा.
4	4002.70	तदैव	तदैव	यूएसए	कोई	कोई	कोई	2.51	कि.ग्रा.	अम. डा.
5	4002.70	तदैव	तदैव	कोई	यूएसए	कोई	कोई	2.51	कि.ग्रा.	अम. डा.
6	4002.70	तदैव	तदैव	ब्राजील	कोई	कोई	कोई	2.51	कि.ग्रा.	अम. डा.
7	4002.70	तदैव	तदैव	कोई	ब्राजील	कोई	कोई	2.51	कि.ग्रा.	अम. डा.
8	4002.70	तदैव	तदैव	चीन जन. गण.	कोई	कोई	कोई	2.51	कि.ग्रा.	अम. डा.
9	4002.70	तदैव	तदैव	कोई	चीन जन. गण.	कोई	कोई	2.51	कि.ग्रा.	अम. डा.

ण. आगे की कार्रवाई

149. केन्द्रीय सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील जो इन सिफारिशों के कारण उद्भूत हो, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुरूप लाई जाएगी ।

150. प्राधिकारी अधिनियम तथा समय - समय पर इस संबंध में जारी सार्वजनिक नोटिस के संगत प्रावधानों के अनुरूप यथाअनुशंसित निर्णायक उपायों को जारी रखने, संशोधन अथवा समाप्ति की जरूरत की समीक्षा कर सकते हैं । ऐसी समीक्षा के लिए प्राधिकारी द्वारा कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा अनुरोध इस प्रयोजनार्थ विहित समय सीमा के अनुसार हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता ।

क्रिस्टी एल. फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2006

FINAL FINDING

Subject : Final Findings in the anti-dumping investigation involving import of Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Rubber (EPDM) from the European Union, USA, China PR and Brazil.

F. No. 14/18/2004-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules);

A. Background and initiation:

1. WHEREAS, having regard to above Rules the Designated Authority (herein after refereed to as Authority), on the basis of a fully documented application filed by M/s Unimers India Ltd. (hereinafter referred to as the Applicant) alleging dumping of Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Rubber (EPDM) (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from the European Union, USA, Brazil and China PR (hereinafter referred to as subject countries/territories) and consequent injury to them, initiated an antidumping investigation, vide notification dated 28th April 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, in accordance with the sub-Rule 5(5) of the said Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping, and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

B. Procedure

2. Procedure described below has been followed, with regard to this investigation, after initiation of the investigation:

(i) The Designated Authority sent copies of initiation notifications dated 28th April 2005 to the Embassies/representatives of the subject countries/territories in India, known exporters from the subject countries, importers and the domestic industry as per the list available and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.

(ii) Copies of the non-confidential version of the application filed by the domestic industry were made available to the known exporters and the Embassies/High Commissions of the subject countries/territories in accordance with Rules 6(3) supra.

iii) The Embassies/High Commissions/ Representatives of the subject countries/territories in New Delhi were informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their countries/territories to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, non-confidential application and questionnaire sent to the exporter was also sent to the Embassies/High Commissions of subject countries/territories along with a list of known exporters/ producers.

iv) The Authority sent questionnaire, to elicit relevant information, to the following known exporters from subject countries in accordance with the Rule 6(4):-

1. M/s DuPont Dow Elastomer L.L.C.USA
2. M/s ExxonMobil Chemical Company
3. M/s Crompton Corporation - Uniroyal Chemical, USA
4. M/s DSM Elastomer BV, Netherlands
5. M/s Bayer Industrieprodukte GmbH, Germany
6. M/s ExxonMobil Chemical Europe, Belgium
7. M/s Jilin City Jinlong Industrial Company, China PR
8. M/s DSM Elastomer, Triunfo, Brazil

v) In response to the initiation questionnaire responses have been received from the following exporters from the subject countries/territories:

1. M/s DSM Elastmere Europe, Netherland, Manufacturer exporter
2. M/s DSM Singapore Industrial Pte Ltd. Exporter of EPDM manufactured by DSM Europe and DSM Brazil

No questionnaire response has been received from any other country/territory involved in this investigation.

vi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties

vii) The Authority has examined the confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties, alongwith non-confidential summary thereof, has been treated confidential *** in this finding represents information furnished by the domestic industry on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules. The domestic industry, vide its letter dated August 22 2005, has provided revised non-confidential disclosure of its injury information and the same has been incorporated in the findings.

viii) The comments of the interested parties, in response to the initiation of the investigation, have been taken on record and the Authority has examined the issues raised therein in this finding.

ix) The Authority verified the information submitted by the interested parties, including the domestic industry to the extent possible. Cost verification of the domestic industry was carried out to determine the non-injurious price of the domestic industry as per the consistent practice of the Authority.

x) The Authority held a public hearing on 31st October, 2005 to provide an opportunity to all interested parties to present there views. The oral submissions made by the parties during the public hearing reproduced in writing have been taken on record for the purpose of this investigation.

xi) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts considered for these findings and basis of determination, were disclosed to known interested parties, vide general disclosure and confidential disclosures to parties involved, vide letters dated 1st May 2006. Certain interested parties requested for extension of time for submission of their comments to the disclosure and Authority provided them additional time to file their comments. Comments to the disclosures received from the interested parties have also been duly considered in these findings to the extent the arguments and claims made by various parties are substantiated with evidence and data;

xii) Investigation was carried out for the period starting from 1.10.2003 to 30.9.2004 (POI). However, injury investigation was carried out for the period 2000-01, 2001-02, 2003-04 and the POI.

xiii) For the sake of brevity, the arguments and facts submitted by various interested parties have been summarized and reported in the finding to the extent possible. The arguments and submissions of the parties already dealt in the disclosure statement, to the extent possible, have not been repeated. However, all arguments and essential facts submitted have been taken on record and addressed appropriately in this finding.

B.1 Interested Parties to the investigation

3. As per the records of the Authority, following parties have made themselves known as interested parties to this investigation:

a) **Responding exporters**

1. M/s DSM Elastmere Europe, Netherland, Manufacturer of the subject goods;
2. M/s DSM Singapore Industrial Pte Ltd. Exporter of EPDM manufactured by DSM Europe and DSM Brazil.

b) **Other exporters**

The following exporters from the subject countries/territories filed preliminary Authorization for making questionnaire response but did not file the same:

1. M/s ExxonMobil Chemicals Company, USA
2. M/s ExxonMobil Chemicals Company, France
3. M/s ExxonMobil Chemicals Asia Pacific, Singapor
4. M/s DuPont Dow Elastomeres, USA filed only a brief submission opposing the investigation without a questionnaire response
5. M/s Lanxsess GmbH and M/s Lanxsess Corporation have intimated that they do not wish to participate in the investigation in view of low volume of their exports to India
6. M/s DSM, Elastomere, Brazil requested for extension of time to file its questionnaire response but did not file the same and instead, has filed a letter opposing the initiation.
7. No response has been received from China PR.
8. M/s Dow Europe GmbH and Dow Chemical pacific (Singapore) Pte. Ltd filed a letter stating that due to dissolution of the Joint venture between DuPont and Dow they have not been able to participate fully in the current investigation. However, they are interested parties to the investigation and therefore, would like to be treated so.

c) **Importers**

The following imports and other interested parties have also filed their questionnaire responses and other submissions:

M/s Apollo Tyres Ltd.
M/s. Birla Tyres
M/s. Ceat Ltd
M/s J.K. Industries Ltd
M/s. MRF Limited
M/s Anand Nishikawa Co. Ltd.
M/s Metzeller Automotive Profiles India
M/s Roop Polymers
M/s National Engineering Industries Ltd.

d) **Other Interested Parties**

The following interested parties have also made their preliminary submissions opposing the investigation in the matter:

1. Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA)
2. Automotive Tyre Manufactures Association (ATMA)
3. All India Rubber Industries Association
4. M/s Pulsar Rubber Manufacturing Co. Pvt Ltd.,
5. Chemicals & Allied Products Export Promotion Council

However, except the tyre and profile manufacturers named above, none of the other interested parties have filed any questionnaire response.

C. Product under Consideration and classification

4. The product under consideration in the present petition is Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Rubber (EPDM). EPDM is a synthetic rubber and technical specifications of EPDM are broadly governed by Ethylene, Propylene and Diene content, and Mooney Viscosity. With the variations in Ethylene, Propylene and Diene Content and /or Mooney Viscosity, different grades of EPDM Rubber can be produced. EPDM is classified under Chapter 40 of the Customs Tariff Act, 1975 under the category of synthetic rubber under sub-heading no. 40.02 at four-digit level and under no. 4002.70 at six-digit level. It has also been submitted that the goods have also been cleared under the heading 38249000, 39019000 and 40021900. However, these customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the investigation.

5. EPDM Rubber is primarily used in rubber profiles, automotive tyres and tubes, cables, hoses and moulded items used in the automobile parts. The changes in Ethylene, Propylene and Diene content and Mooney viscosity and other characteristics will merely modify the general property for which EPDM is consumed. EPDM Rubber can be of various grades and can be supplied in various forms. This investigation covers all grades of Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Rubber (EPDM) in all grades and all forms.

D. Like Article

D.1 Views of the interested parties

6. The interested parties, in their various submissions, including the post disclosure comments, have argued that EPDM is produced in various forms and grades depending upon Ethylene, Propylene and Diene content and Mooney Viscosity and each grade have its specific end use. EPDM as a product has application in different areas viz. automobiles, construction, wires and cable and other industrial applications. Use of a particular grade of EPDM depends on the specific end use to which the goods are put to. EPDM being a specialized commodity, its usage, at the end of the customer, requires fine-tuning of the production process to accommodate the usage of EPDM made by different suppliers. It has also been argued that from a commercial and technical point of view the grades have distinct properties and applications. One grade is not interchangeable with another grade from consumer's point of view. Therefore, various grades are *inter se* not technically and commercially substitutable from consumers point of view. Merely because all grades relate to single family of EPDM, the same does not *per se* justify holding various grades as like article, resulting in imposition of antidumping duty even on those grades, like article of which are not offered by the domestic industry. Consequently, unless the domestic industry produces grades that are comparable and equivalent with each and all grades being imported into India, it is incorrect to say that the different grades of EPDM are all like products when compared to the products manufactured by the domestic industry.

7. M/s DSM has further argued that certain grades developed and patented by them, particularly Controlled Long Chain Branching (CLCB) grades, exhibit very different characteristics from the conventional EPDM in terms of cold

resistant properties, carbon black incorporation rate, resistance against black scorch, collapse resistance, compression test properties. Therefore, it has been argued that these grades cannot be treated as equivalent grades compared to the domestic products. DSM has further argued that during the POI they have exported about 15 different grades of EPDM to India for which the domestic producer seems to have theoretical equivalent for only 6 grades. They have further argued that their product has application in high end applications like automotive profiles and apart from the like products issue there are other issues of consistency, performance, quality and reliability, which should also be taken into consideration. Therefore, In addition to the above argument of grade differentiation, DSM has further argued that their off-spec materials exported to India, in substantial quantities, are not technically and commercially substitutable to the prime materials exported by them. In support of this argument the exporter has stated that their prime material customers never use even their own off-spec material, except for few exceptions, because of stringent quality requirements of the automotive sector and modification in the process and tooling that may be required to handle off-spec material in their production process. It has been argued that these two categories have separate applications and requirements and consequently, cannot be used as substitutes. It will be clear from the prices charged and also the market for the Prime and Offspecs that these two cannot be compared and the off-spec materials exported by them are not competing with the material produced and supplied by the domestic industry.

8. In their various submissions the user industries have inter alia argued

- That EPDM is produced in many grades and each grade has its specific end use. One grade is not interchangeable with another grade from consumer's point of view. Therefore, various grades are *inter se* not technically and commercially substitutable from consumers point of view. Merely because all grades relate to single family of EPDM, the same does not *per se* justify holding various grades as like article, resulting in imposition of antidumping duty even on those grades, like article of which are not offered by the domestic industry.
- That Domestic industry does not produce like article to all grades being produced and exported to India by the foreign producers. Therefore, domestic industry cannot claim any injury in respect of these grades.
- That in respect of number of imported grades where like article is produced by the DI, the specification of the domestic product and imported products are significantly different and the two cannot be treated as comparable.
- That in respect of number of grades where the domestic industry offers comparable grades, the difference in specifications of the product produced and supplied by the domestic industry at different point of time is significantly different. That a number of quality complaints and consistency problems of domestic industry products have been placed on record by the consumer industry in support of these claims.
- That physical and chemical property of various grades of EPDM differ significantly from grade to grade and result in different end applications in so far as consumers are concerned.

- That like article should be seen both, from producers as well as consumers point of view. That for a product to be termed like article it should be substitutable from producers point of view or consumers point of view.

9. In their post disclosure submissions the interested parties have reiterated their stand on the issue of like article. The profile manufacturers have clarified that when an equivalent or comparable grade is used in the profile industry it does not require any change in process parameters and tooling requirements. However, when they are required to use a grade which is not equivalent or comparable, it needs changes in process parameters and tooling adjustments involving substantial cost.

10. The tyre manufacturers have further argued that a long drawn process of approval is involved before a tyre producer can switch its requirements from established grades to other grades. It was therefore, not feasible for the tyre producer to overnight switch over to domestic or imported materials. It has been argued that changes in process parameters or tooling adjustments is an expensive exercise for the consumers and also involves loss of production. Both the user segments have also raised the issue of quality and supply constraints of the domestic industry in the past.

11. The interested parties have further argued that the domestic industry does not produce all grades of EPDM, particularly EPDM with Mooney viscosity below 30 and above 80 and EPDM with Diene content above 5. Therefore, if the Authority decides to recommend imposition of antidumping duty, these grades should be excluded from the duty or alternatively the scope of the product under consideration should be restricted to such limits with regard to Mooney viscosity and Diene content. Citing the appellate decisions in the matters of Oxo Alcohols, Hard Ferrite Ring Magnates and Sea Water Magnesia, the interested parties have argued that there is no justification for imposition of ADD on those grades (a) which are produced by the foreign producers but not exported to India (b) which are exported to India but no like article is offered by the domestic industry.

12. The cooperating exporter, in its post disclosure submissions, has *inert alia* argued that the difference in specification and commercial substitutability of the products of the domestic industry and the imported products should be taken into account, in the like product determination, in addition to the technical substitutability. It has been argued that the definition of like article makes it amply clear that the term 'like article' would mean those products that are identical or alike in all respects with the ones produced by the domestic industry. The words 'all respects' clearly indicates that all relevant aspects like technical, commercial or other factors (which include technical specifications, actual specification, reliability, performance and other aspects of quality considerations) shall be considered before coming to a finding about 'like article'. Only if there is no such article, the second part of the definition may be resorted to. Therefore, in the absence of comparable grades by the domestic producers, grades, for which no equivalent grade is available with the domestic industry, should be excluded.

D.2 Views of the domestic industry

13. The domestic industry has argued that the basic physical and chemical characteristics of EPDM produced by any manufacturer remain same irrespective of grade differentiation and the products can be used interchangeably without making any significant changes in the plant & equipment as has been argued by the interested parties. It has been argued that various grades of EPDM are produced from the same general raw materials, employs the basic production technology and follow through the same production process. It has been argued that the domestic industry is capable of manufacturing all types and grades of EPDM and there is no difference in the subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries. Subject goods manufactured and sold by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as product specification, manufacturing process and technology, function and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of goods. The end users are using the products interchangeably. It has been argued that importers questionnaire responses will confirm that equivalent grades are being imported and being used interchangeably with the grades produced by the domestic industry. Therefore, the domestic products and imported products should be treated as like products. In this connection attention has been drawn to the earlier findings of the Authority covering the same product imported from Korea RP and Japan where the Authority held that the grades imported are like article to the grades produced by the domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

14. The Authority has examined various arguments of the domestic industry and other interested parties on the issue of likeness of import products with the EPDM manufactured by the domestic industry.

15. Rule 2(d) of the Antidumping Rules provide that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respect, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.

16. EPDM is a polymer produced by polymerization of ethylene and Propylene and a third monomer, Diene (DCPD or ENB), in the presence of different catalysts in the solvent media. Properties of EPDM depends upon the Ethylene, Propylene and Diene contents in the polymer and the Mooney viscosity, which a measure of the flow ability of the material. Depending upon the variation in its contents of the monomers and Mooney viscosity achieved, various grades of EPDM is produced using the same production process. Usability of different grades of EPDM in various applications depends upon these parameters, alongwith certain other technical parameters like molecular weight distribution and product density. Certain special grades, for specific end uses are also produced by addition of additional inputs and process controls.

17. The Authority notes that the manufacturers worldwide produce EPDM with varying E/P and Diene contents and Mooney viscosities and grade them accordingly. The interested parties have produced the grade charts of most of the major producers of the product in the world, like Vistalon, Royalene, Nordel, JSR, Herlene, Keltan Buna, Dutral, Mitsui, Esperene etc. These grade charts show various combinations of E/P and Diene contents and Mooney viscosities for various grades manufactured by these producers. None of the grades manufactured by one manufacturer appear to have an identical combination manufactured by another producer of EPDM. As far as product application is concerned, the application charts produced by the interested parties also show that one particular grade can have several applications and for same application several grades with wide variation of E/P and Diene contents and Mooney viscosity can be used. For example, for manufacture of tyre and tubes DSM grades 520 (E-58%, DCPD-4.5, M 46), 2630A (E-67, ENB-3, M-20), 578Z (E-67, ENB 4.3, M 46), 27 (E-54, ENB 5, M 70) can be used. At the same time these grades can also be used in wide range of other applications. Similarly, examination of the grade charts of other producers also indicates significant overlapping of the usage of various grades for similar applications. As far as the user is concerned, depending upon the end product, technology, recipe and equipments used the producer chooses a few grades of EPDM from the available list. This indicates that there could not be an identical product appearing in the domestic market of the importing country. Therefore, the like article determination would rest on the second proviso of the definition of like article and authority has to rely upon the close resemblance and substitutability of the imported and domestic products.

18. The arguments of the user industry participating in this investigation are two fold. Firstly, they have argued that the domestic industry does not produce all grades of EPDM and it does not have equivalent to most of the grades manufactured by the foreign producers. Secondly, there is a significant issue of quality and consistency of the specification of the material supplied by the domestic industry.

19. As far as first argument is concerned, the product list of domestic industry indicates that they produce several grades of EPDM as is the case with all other producers in the world. Depending upon the demand and product development, producers manufacture certain grades and develop or phase out certain grades. As the process of manufacturing and basic technology remains the same, the capability of the industry to manufacture certain grades cannot be ruled out. Product ranges of leading manufacturers like DSM also show phasing out of certain grades and development of newer grades. As far as equivalence and techno-commercial substitutability of the products of domestic industry and those of the foreign producers is concerned, as noted earlier, there is a significant degree of overlapping of usage of different grades for same application and use of one grade for several applications. The domestic industry has claimed that in terms of performance parameters they have close substitute to most of the imported grades. The domestic industry's product profile was examined. The grade chart of the domestic industry indicates that the grades manufactured by them have similar applications. It is also noted that in respect of technical parameters, the domestic industry has equivalent grades in respect most of the

grades being currently imported into the country, except certain developmental grades exported by certain exporters, though some of the grades may not exactly match in their respective parameters. It has been argued by the domestic industry that these grades can also be technically substituted with marginal change in process parameters.

20. The users have raised the issue of consistency and performance of the grades manufactured by the domestic industry. It has been argued that quality and consistency problems makes the use of domestic products difficult for manufacture of their finished products as use of such raw material would require changing the recipe of the compound and the tools for extrusion each time the parameters change. The process would result in generation of excess scrap and loss in output, as well as inconsistency in the quality of their finished products. However, they have not been able to clarify, in technical terms, how a different but closer combination of E/P/D and Mooney would affect characteristics of the same finished product and why a substitute cannot be used. No technical literature or any other evidence has been produced.

21. As far as the argument of the exporter that their off-spec materials are neither technically, nor commercially substitutable to the domestic industry's products, as well as their own prime materials is concerned, it is noted that this exporter has exported a sizeable quantity of off-spec during the POI at a very low price. It has been argued that even their customers of prime grades do not buy their own off-spec of the same grades offered at a lower price and that proves that these two products are not technically and commercially substitutable. DEA/DEE in their post disclosure submissions have argued that the fact that a customer (even if he supplies to OEM) in India buys only offspecs does not in any way go to negate the arguments advanced by DEA/DEE and hence cannot lead to the conclusion that different classes of EPDM are substitutable. In essence the interested parties have argued that offsepc materials are a different class and are not the substitutes of the prime materials.

22. In this connection the physical properties of the offspec material have been examined. It is noted that offspec are materials which deviate from the set parameters from the prime grades in terms of variation in Ethylene/ Propylene or Diene content in the finished product and/or Mooney viscosity, or any other parameters fixed for a particular grade. Sometimes defects in packaging or over storage also render a product to be classified as offspec though the material conforms to the specifications of the prime materials. Certain quantities of Offspec materials are generally generated during the production of EPDM and the proportion of offspec generation to the prime material generally varies depending upon plant shutdown or startup operations and grade changeovers. Essentially, the offspec material has the same general characteristics of the prime materials of the same grade except that certain parameters may vary with respect to the limits prescribed for that parameter. Therefore, while remaining closer to its prime grade, the offspec can also have parameters closer to certain other grades with same combination E/P/D and Mooney. Even if the offspec cannot substitute its own prime grade, it has certainly, the capability to replace or substitute another grade which is closer in the same set of parameters.

23. Therefore, there appears to be a significant *inter se* substitutability of the offspec materials to various grades of materials within the available range of products. The transaction-wise data of the exporter indicates that one of its major customers has purchased a sizeable volume of off-spec grades during the POI though they are also supplying profiles to OEM segment. It is also noted that in a situation of supply disruption due to non-availability of the prime grades, certain proportion of off-spec is blended by the users, with certain process modifications, to produce the finished product. It has also been observed that another major buyer of DSM products has purchased large quantity of off-spec, while they are also supplying profiles to both, OEM and after-sale markets. However, ATMA in its post disclosure statement has clarified that this producer has consumed entire offspec material in production of business profiles.

24. As far as interchangeability of different equivalent grades and need for process adjustment, tooling requirement and scrap generation is concerned, it is noted that for similar end use, most of the users are using at least two to three different grades manufactured by two or three different manufacturers. This does not prove that the grades cannot be substituted at all. It only supports that though these grades can be technically substituted within a range of grades, certain alteration in the production process may be required. However, it may involve additional cost to the user and substitution would depend upon the cost-benefit analysis of use of an alternative grade available at a cheaper price. However, changes in process control and tooling is an integral part of a process industry with large variation in product profiles. Therefore, the arguments of the interested parties in respect of technical and commercial substitutability do not seem to hold much ground.

25. Examination of various arguments of the parties involved indicates that though there could be difference in the subject goods produced and sold by the domestic industry and imported from subject Countries/territories, in terms of specification of different grades, these are substitutable products. The products are being directly imported by the user industries and also by traders for supply to other industries. The consumers are using the domestic and corresponding import products interchangeably. It may be noted that in a similar matter concerning the same product imported from other countries it has been held by the Authority that the products manufactured by the domestic industry are like product to the imported EPDM. Therefore, the products produced by the domestic industry and imported from subject Countries/territories are identical in all essential characteristics and are required to be treated as like articles within the meaning of the term as per the Rules.

26. Examination of various arguments of the parties involved indicates that though there could be difference in the products produced and sold by the domestic industry and imported from subject Countries/territories, in terms of specification of different grades, these are substitutable products . The products are being directly imported by the user industries and also by traders for supply

to other industries. The consumers are using the domestic and corresponding import products interchangeably.

27. The interested parties have argued that EPDM with Mooney viscosity below 30 and above 80 and EPDM with Diene content above 5 are not manufactured by the domestic industry and therefore, should be excluded from imposition of antidumping duty. Examination of domestic industry's production data indicates that domestic industry manufactures at least four grades of EPDM with ENB content more than 5% and its H555 grade has a Mooney viscosity above 80%. Therefore, the above claim is not factually correct. As far as grades manufactured by exporters but not exported to India is concerned, considering that there is as significant substitutability of various grades manufactured by different producers worldwide it may not be possible to exclude them form the scope of product under consideration.

28. The interested parties have cited several appellate decisions regarding exclusion of certain grades from the scope of product under consideration and like articles. It may be noted that in the cases cited, Appellate Authority decided the group or type of products to be included or excluded based on certain definite and distinguishing characteristic or parameters of the products under dispute. In the instant case the issue is regarding interchangeability of certain grades of the same product manufactured by different producers which are treated as equivalent or substitutable grades for the purpose of similar range of end uses. The interested parties have not been able to provide any reasonable technical arguments and evidence in support of their claim that equivalent or near equivalent of different grades manufactured by the producers of EPDM cannot be interchangeably used in their production process, though it may require change in process controls. Therefore, the arguments of the interested parties citing the Appellate decisions in Oxo alcohols, hard ferrite Magnesia etc does not hold much ground.

29. The Authority also notes that in a similar matter concerning the same product imported from other countries it has been held that the products manufactured by the domestic industry are like product to the imported EPDM. Therefore, the Authority holds that products produced by the domestic industry and imported from subject Countries/territories are identical in all essential characteristics and are required to be treated as like articles within the meaning of the term as per the Rules.

E. Standing of the Domestic Industry and initiation of the investigation

30. The applicant, M/s. Unimers India Ltd., Mumbai, is the sole producer of the subject goods in India and accounts for complete production of subject goods in India. Therefore, the applicant constitutes the 'like product domestic industry' within the meaning of the Indian Antidumping Rules. No substantial argument has been raised about the standing of the applicant to file this application except

the issue of certain imports made by the applicant during April-September 2003. The domestic industry has argued that this imports constitute a very small proportion of the production of the domestic industry. The imports were made for evaluation and product development purpose. The Authority has examined the issue and it is noted that the imports were out side the POI.

31. In their post disclosure submissions ATMA has argued that the domestic industry is related to one of the exporters of the subject goods, i.e., M/s Uniroyal and therefore, they are not eligible to be qualified as domestic industry for the purpose of this investigation. The Authority notes that the plant of Unimerse, earlier known as Herdilia Unimers Ltd was set up in 1992 with technical collaboration from M/s Uniroyal, USA and after completion of the collaboration agreement Uniroyal has exited from the venture and has been paid a fee for transfer of technical know-how. The equity held by Uniroyal in the venture stands at 1.56% of the total equity of the company and the Uniroyal nominee in the board has never attended any of the board meetings. Therefore, there is no controlling interest of the exporter in the affairs of Unimerse to establish a relationship within the meaning of the term as defined under footnote 11 of the ADA.

32. In view of the above, the Authority holds that in terms of Rule 2 (b) the applicant is eligible to be treated as the domestic industry for this investigation and also commands the standing to file the application for antidumping investigation in terms of Rule 5.

F. Import Volumes and De Minimis Limits

33. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods as reported by DGCI&S and as per the information submitted by various interested parties, including the domestic industry. The domestic industry has also provided the import data sourced from the secondary sources i.e., IBIS, Mumbai and has argued that certain import data might not have been captured by DGCIS due to description problems and misclassification under different other heads. The interested parties, in their post disclosure comments, have raised the issue of inconsistency in the DGCIS summary data and data adopted in the disclosure statement. In this connection it may be noted that for the purpose of this investigation DGCIS data has been adopted after pruning in for certain unrelated items and accordingly, volume and values have been worked out. Though there are certain differences in this data compared to the actual imports reported by the cooperating exporters and importers, in the absence of complete data and cooperation from all importers and exporters of the subject goods, DGCIS data has been accepted as the best available data. Therefore, no changes in the volume and values are required for the analysis purpose. As per this data imports from the countries/territories named have been found to be above de minimis levels.

G. Other submissions and issues raised by interested parties

G.1 DSM Elastomeres, Europe and DSM Singapore

34. M/s. DSM Elastomers in its various submissions has argued that in general the pricing in EPDM market can be characterized as global – at least for global players i.e. on a reasonably long term, no large deviations can be maintained as this will start an optimization mechanism that will bring more volume to relatively more attractive regions, resulting in price pressure that will restore the overall balance again. Some markets like the European market has less demand for low quality EPDM and require higher technical/expert support and services. The sales in the EU are made in EURO. While comparing the sales in EURO converted into USD (since export sales to India were made in USD), the Authority may note the exchange rate fluctuations between EURO and USD during the POI. While comparing the normal value with the export price the Authority should also take into account the physical characteristics and any other differences, which are demonstrated to affect price comparability,

G.2 M/s Exxon Mobil, USA, M/s Exxon Mobil, France and M/s Exxon Chemicals Asia Pacific, Singapore

35. M/s Exxon Mobil, including all the three Companies named above, have stated that they do not currently export large quantities of the subject goods to India though it recognizes that India is an attractive EPDM market. Therefore, they have opted to participate in this investigation as an interested party, without making any questionnaire response. They have inter alia argued that

- The application of the domestic industry was incomplete at the time of initiation, as the non-confidential version did not contain the costing information of the applicant. Therefore, the investigation should not have been initiated on the basis of incomplete application;
- The imports made by the applicant should be taken into account to determine its standing to file the application;
- Excessive confidentiality has been claimed by the domestic industry in respect of several parameters including, determination of normal value and various adjustments claimed;
- Injury parameters do not indicate material injury to the domestic industry as production and sale of domestic industry shows significant improvement and there is no price undercutting from Brazil, EU and USA.

G.3 All India Rubber Industries Association

36. All India Rubber Industries Association, in its brief submission has argued *inter aila* that

- There is only one company in India engaged in the manufacture of the subject goods and their supply has been erratic and quality is not up to the mark;
- Domestic industry is not in a position to supply special grade EPDM required by the Automobile Manufacturers;
- The loss suffered by the domestic industry is on account of their own inefficiencies and poor resource management;
- The domestic industry has imported the subject goods and therefore, they are not eligible to file the application for initiation of this investigation;
- The EPDM produced by the domestic industry is not a "like article" of the EPDM exported from EU, USA, China PR and Brazil, which possess different characteristics and specification than the EPDM produced by the domestic industry;
- Cost of production of the domestic industry is unduly on higher side compared to the international prices;
- Therefore, there has been no dumping, and no material injury has been caused to the domestic industry.

G.4 Tyre and Profile Manufacturers

37. Tyre and profile manufacturers in their submissions have argued inter alia:

- That the information filed by the domestic industry, in its original application, was inaccurate and the domestic industry has filed revised data subsequently, after initiation of the investigation. Therefore, an investigation initiated on the basis of such inaccurate information should not proceed further. It has been argued that the original application showed negative price undercutting and the investigation was initiated on the basis of price underselling claim. However, the revised injury information filed by the applicant after initiation shows price undercutting also, which amounts to change in data, and not correction in the data. Therefore, changes made by the applicant in the data/information should not be allowed and the Authority should proceed with the content of the earlier information.
- That as per the original application there is no price effect of the dumped imports on the domestic industry due to negative price undercutting of the dumped imports from the subject countries.

G.5 Domestic Industry

38. The domestic industry in its submissions has inter alia argued that there is nothing in the jurisprudence, either at the WTO, or as it has developed in India, which would preclude post initiation change in data. Quoting the WTO panel decision in the case of Guatemala Gray Portland Cement from Mexico, the DI has argued that at the stage of initiation of investigation, the DA is not required to hold a detailed enquiry but has to prima facie satisfy as to whether the

application is supported by the evidence in relation to dumping injury and casual link between the dumped imports and alleged injury. Even if there was an error in the data provided at the initial stages, there was no *mala fide* intention on the part of DI and the Authority has sufficient evidence of dumping, injury and causal link between the two. It has been argued that price undercutting is not the definitive test for injury determination and, in any event, the error detected at the time of verification was rectified and based on duly verified data, price undercutting has been found to be positive.

G.6 Examination by the Authority

39. As far as the issue of revision in the domestic industry's data, after initiation of the investigation, is concerned, the Authority notes that the investigation was initiated based on the prima facie evidence placed before the Authority by the domestic industry on dumping, injury and causal links. In the instant case, the case was initiated on the grounds of price underselling and during the verification of the domestic industry data certain data error was noticed and rectification of this data indicated significant price undercutting also. Correction of certain data, after verification of the data provided by an interested party to the investigation, is a normal situation in any investigation. The Authority notes that neither the Rules, nor the Agreement provides for termination of an investigation on the grounds of changes in certain data in an antidumping investigation, unless that shows absence of dumping, injury or causal link. Therefore, the arguments of the interested parties in this respect cannot be accepted.

40. As far as the inefficiency and cost of production of the domestic industry is concerned, Authority has conducted detailed cost verification of the domestic industry and the cooperating exporter and cost structure do not appear to significantly affect the condition of the domestic industry as has been claimed by the interested parties.

41. Other issues raised by the interested parties, to the extent they are relevant, have been examined and incorporated in various analysis of the Authority at appropriate places in this finding.

H. Dumping Determination

42. Only one exporter from the European Union, i.e. M/s DSM Elastomere, Europe and its corresponding exporter, M/s DSM, Singapore, has filed complete questionnaire response and submitted information on their normal value and export price to India. No other exporter, from European Union and other subject countries, has filed any questionnaire response or any information on their normal value and export price to India.

H.1 European Union

43. As noted above only one manufacturer in the European Union i.e. M/s DSM Elastomere, Europe and its corresponding exporter M/s DSM, Singapore has filed its questionnaire responses. Therefore, export price and normal value in respect of the exporters from European Union has been determined as follows:

H.1.1 M/s DSM Elastomer, Netherlands and DSM, Singapore

44. It has been claimed by the responding manufacturer (DEE) and exporter (DEA) that the goods manufactured by DEE are not directly sold to India by DEE and their group company DSM Singapore Industrial Pte Ltd., trading under the business name DSM Elastomer Asia (DEA), is responsible for the exports to India. On the basis of the questionnaire response and other submissions made by this cooperating exporter, on-the-spot investigation and verification was carried out to determine the normal value of the exporter and export price to India.

a) Normal value:

45. DEE sales substantial quantity of the subject goods in the EU market. For the purpose of this investigation the sales within the European Union is proposed to be treated as home market sales to determine the normal value of the product. During the POI total ***** shipments (***** MT) of the subject goods were sold in the domestic market. Out of the above ***** MT were captively consumed by DEE for research and development purpose and ***** MTs were sold to a related party ie. M/s DSM Engineering Plastics. Total related party sales are about ***** % of the total domestic sales and no major price differential was noticed. Therefore, entire domestic sales were examined for determination of normal value. It was noticed that they have sold about several different grades of EPDM in the domestic market and all the grades exported to India are also sold in their home market. Since identical grades are available in the home market sales, determination of like product for the purpose of normal value determination is not necessary.

46. The sales of the above grades are in sufficient quantities and at arms length. Therefore, only those grades which have been sold in the domestic market and also exported to India have been considered for the purpose of determination of the normal value of this exporter.

47. The exporter has argued that their off-spec being a distinct product compared to the prime material, as this product does not commercially and technically compete with their prime material, is not a like article to its prime material. However, if the Authority decides to determine a single dumping margin for both prime and off-spec and proceed to conclude the injury analysis, the Authority should factor in the negative dumping margin on account of off-spec sold by DEE/DEA before arriving at the final dumping margin.

48. The Authority notes that the off-spec material is produced in the same production process, only difference being in certain parameters of its performance, compared to the relevant prime grades. Because of the deviation from the set parameters, off-spec materials command a discounted price in the market depending upon the market condition, whereas the manufacturing cost is spread over the entire batch produced. Despite deviation in certain parameters the off-spec materials do have significant technical and commercial substitutability, at least in the secondary and after sale market segments.

Therefore, off-specs and prime materials have been treated as like articles and accordingly, no separate treatment for off-specs is called for.

49. The domestic sales are at DDU or FCA terms and the exporter has claimed adjustments towards direct selling expenses i.e., commissions and rebates, storage and inland freights and insurance, ocean freight and insurance, credit costs, which were verified from their records.

50. The exporter has also claimed adjustment towards certain indirect selling expenses incurred in the European market to arrive at net ex-works selling price in respect of technical services, application development and related costs, in terms of Article 2.4 of the agreement/ on the grounds that these expenses, which are unique to the European market, affect the prices in that market and therefore, affect price comparability with any other market, including India. These expenses were also verified from their records and net ex-works normal has been determined after allowing admissible adjustments as above.

51. For the purpose of normal value determination cost to make and sale the product under consideration has been determined on the basis of the verified cost of production of the producer, as per their books of account, duly adjusted towards cost related to start up operation of the new production line of the company. Domestic sales transactions of the exporter have been subjected to ordinary course of trade test based on this cost. The sales in ordinary course of trade have been found to be in sufficient quantity and hence accepted for determination of normal value.

b) Export Price:

52. Entire export of DEE material to India is handled by DEA. During the POI DEA reported ***** shipments to India for ***** MT of ***** different grades of Keltan series EPDM produced by DEE. However, total exports of DEA to India during this period was ***** MT, out of which ***** MT was sold from DEE plant and rest was from DEB (Brazil plant). Since DEB is not participating in this investigation, information in respect of goods sold from DEE plant only was made available for verification.

53. Against their gross invoice prices, the company has provided information about various direct selling expenses incurred by DEE (before FOB) and DEA (after FOB), to arrive at net export price at the factory gate of DEE. The adjustments in respect of commissions and rebate, credit costs and interests on deferred payments, storage and handling charges, inland and ocean freight, and insurance were verified from their records. Accordingly, the CIF price to India has been adjusted for these direct selling expenses to arrive at ex-factory export prices in the Netherlands.

54. It was also noticed from the records of DEA that a significant amount has been spent by the company towards various indirect selling expenses for its entire EPDM business in Asia and per Kg expenses works out to US$*****. Accordingly, an adjustment of US$***** per Kg has been made on the ex-works price to arrive at net-ex-works export prices.

c) Dumping Margin:

55. The net ex-works normal values determined at the factory gate level in the Netherlands has been compared with the net ex-works export prices at the same level of trade. The dumping margin for this cooperative exporter has been estimated as the weighted average of the dumping margin determined for individual grades. Accordingly, the weighted average dumping margin works out to US$***** per Kg (40.78%).

56. M/s DSM, in its post disclosure submissions, has stated that if all relevant adjustments claimed by them in their various submissions were appropriately considered, the actual dumping margin would be much less than what has been disclosed by the Authority. However, it is noted that dumping margin has been determined taking into account all admissible adjustments and wherever any adjustment or element of cost has not been admitted the exporter has been duly intimated. Therefore, the above dumping margin determination is confirmed.

H.1.2 All other exporters from the EU

a) Normal value:

57. Annex II read with Article 6.8 of the Antidumping Agreement provides that the if information required from an interested party is not supplied in the form and manner prescribed within a reasonable time, the authorities will be free to make determinations on the basis of the facts available, including those contained in the application for the initiation of the investigation by the domestic industry. In the instant case the lone cooperating exporter, accounting for major portion of exports to India has provided information on its cost of production, domestic selling price and exports to India. However, there is a sizeable portion of exports made by other producers in the European Union, who have not participated in this investigation. In view of the above position the Authority has estimated the dumping margin of the other producers/exporters in the EU on the basis of best facts available with it.

58. Normal value for all exporters in the EU has been estimated based on the average selling price of top 200 commercial transactions of the cooperating exporter in the EU, after allowing for level of trade adjustments to bring the normal values to ex-works level. on the basis of data available from the records of the cooperating exporter. Accordingly, the average ex-works normal value of the subject goods for the non-cooperating exporters has been estimated as US$***** per Kg.

b) Export Price

59. Net export price has been estimated on the basis of CIF export price from DGCI&S import data after adjusting the same for direct and indirect selling expenses based on information available in the records of the cooperating exporter. Accordingly, average net ex-works export price for all non-cooperating exporters from the European Union has been estimated as US$ ***** per Kg of EPDM.

c) Dumping Margin

60. Accordingly, the average dumping margin for all non-cooperating exporters from the EU at the same level of trade has been determined as follows:

Average ex-works normal value : US$***** Per Kg
Average ex-works export price : US$***** Per Kg
Average Dumping Margin : US$***** Per Kg (69%)

H.2 Brazil

61. The Authority has not received any cooperation from any manufacturer-exporters from Brazil. However, it is noted that M/s DSM (DEB) has an EPDM manufacturing facility in Brazil and a substantial quantity of EPDM has been exported from this plant through DSM Asia during the POI. However, this exporter has not cooperated in this investigation. Therefore, the dumping margin for the exporters from Brazil has been determined on facts available basis as follows;

a) Normal Value

62. Since the manufacturer of EPDM in Brazil is the same corporate entity as the cooperating exporter from the European Union and uses essentially the same technology and operates at similar capacity levels as compared to the individual production lines of DEE, the normal value in Brazil has been determined based on estimated cost of production in Europe and a reasonable profit margin, as the best facts available. Accordingly, the average normal value of the subject goods in Brazil has been estimated as US$***** per Kg.

b) Export Price

63. The net ex-works export price for the exports from Brazil has been determined on the basis of DGCIS import data after due adjustment towards discounts; inland freight, insurance and handling charges; international freight, insurance and handling; commission and credit costs etc. as per best facts available based on the data available from the cooperating exporters records on similar expenses. Accordingly, average ex-works export price from Brazil is estimated as US$***** per Kg.

c) Dumping Margin

64. The net export price so determined has been compared with the normal value determined on facts available basis at ex-works level to arrive at the average dumping margin for all exporters from Brazil, which works out as follows:

Average ex-works normal value : US$***** Per Kg
Average ex-works export price : US$***** Per Kg
Average Dumping Margin : US$***** Per Kg (66.54%)

H.3 USA

65. The Authority notes that no response has been received from any producer/exporters from USA. Therefore, average dumping margin in respect of all exporters from USA has been determined on the basis of best facts available.

a) Normal Value

66. The normal value for the exporters in the USA has been constructed taking into account raw material cost and conversion cost of the cooperating exporter in the EU as the best facts available. Accordingly, average normal value of the subject goods in the US has been determined as US$***** per Kg.

b) Export Price

67. The average net ex-factory export price for exports from USA has been determined based on the CIF export price available from the DGCI&S import data after adjusting the same towards discounts; inland freight, insurance and handling charges; international freight, insurance and handling; commission and credit costs etc. on the facts available basis. Accordingly, average net ex-works export price from USA has been estimated as US$***** Per Kg.

c) Dumping Margin

68. On the basis of the above estimation of normal value and export price on facts available basis average dumping margin for all US exporters work out as follows:

Average ex-works normal value : US$***** Per Kg
Average ex-works export price : US$ ***** Per Kg
Average Dumping Margin : US$***** Per Kg (88.87%)

H.4 China PR

69. The applicant has pleaded that China being a non-market economy, normal value for the Chinese exporters should be determined based on the constructed cost of production taking into account international cost of raw materials and conversion cost as per best facts available. The Authority notes that none of the producers/exporters from China has responded to the investigation being carried out. There is also no rebuttal of the non-market economy presumption in this case.

a) Normal Value

70. In view of the above, for the purpose of determination of normal value in China, European Union has been treated as a surrogate country and cost of production in the European Union, as reasonably available to the Authority, has been used for determination of the normal in China. Accordingly, normal value for Chinese exporters has been estimated as US$***** per Kg.

b) Export Price

71. The average net ex-factory export price for exports from China PR has been determined based on the CIF export price available from the DGCI&S import data after adjusting the same towards discounts; inland freight, insurance and handling charges; international freight, insurance and handling; commission and credit costs etc. on the facts available basis. Accordingly, average net ex-works export price from China PR has been estimated as US$***** Per Kg.

c) Dumping Margin

72. On the basis of above weighted average normal value and export price compared at the same level of trade the dumping margin works out as follows:

Average ex-works normal value: US$***** Per Kg
Average ex-works export price : US$***** Per Kg
Average Dumping Margin : US$***** Per Kg (100.58%)

H.5 Dumping Margins: Summary

Country	Exporter	Dumping Margin US$/Kg	Dumping Margin %
European Union	DSM Elastomer, Europe, Netherlands, through DSM, Singapore	*****	40.78%
European Union	All other Exporters	*****	69.01%
Brazil	All Exporters	*****	66.54%
USA	All Exporters	*****	88.87%
China PR	All Exporters	*****	100.58%

73. The dumping margins so determined are significant and above de minimis

I. INJURY DETERMINATION

74. Since dumping margin of the subject goods exported from the subject countries/territories are at dumped prices, the imports of the subject goods from the subject countries/territories have been treated as dumped imports and injury to the domestic industry has been examined with reference to those dumped imports. For the purpose of the injury examination the domestic industry constitutes the sole domestic producer and the applicant company in the instant case.

I.1 Views of the interested parties:

I.1.1 M/s DSM Elastomers

75. As far as claim of injury by the domestic industry is concerned, the cooperating exporter from the EU has argued that volume of imports from the

subject country has increased, substantially due to significant increase in demand of the product in India and the inability of the domestic industry to substantially increase its production and sales. They have argued that the domestic industry has failed to cater to the market in respect of quality, performance, consistency and reliability factors. Therefore, inability of the domestic industry in maintaining its market share was due to factors other than dumping, such as, inability to produce due to non-availability/short supply of raw material; difficulty in getting working capital finance; lesser acceptability of its product due to quality performance and consistency problems. It has also been submitted that the domestic industry has been able to maintain or even increase their production and domestic sales, thereby indicating that alleged dumped imports have no impact on their production and sales.

76. DSM has further argued that import prices started rising during the POI and the trend still continues and the import prices of DSM have always been the highest and continued to be high during and after the POI. As per the revised proforma IV(A) filed by the domestic industry the undercutting from each of the subject countries, with possible exception of china, is negligible during the POI and in the case of DSM it is negligible at the total aggregate weighted average level, for all exports, including, prime and off-spec material. It has also been argued that though the price undercutting for Chinese export was maximum during the POI the volume is very small compared to imports from the other countries, implying thereby that the price is not the major factor for the customer to buy the subject goods.

77. It has been argued that from the information provided by the domestic industry it appears that when import prices (both at CIF levels and at landed cost level) increased during the POI, compared to the levels during the year 2003-04, the domestic industry reduced the prices. It is very likely that, the domestic industry was forced to reduce its prices against the trend in increasing import prices during the POI due to the fact that the Domestic industry experienced non-availability of propylene during certain period during the POI, which adversely affected Domestic industry's production during the POI. Due to such frequent interruption in production, the Domestic industry has to virtually restart its operations resulting in the products not complying with the quality or stated performance standards or specifications, forcing the domestic industry to reduce its prices. This would clearly indicate that the subject imports have not depressed the prices or otherwise prevented any increase in prices.

78. M/s DSM has further argued that cumulative assessment of injury is not appropriate in this case due to the following reasons:

(i) Products sold by DSM during the POI included prime and off-spec categories. These two categories have separate applications and requirements. Consequently they cannot be used as substitutes to other imports to India or products manufactured by the domestic industry. From the prices charged and also the market for the prime and off-specs, it would be evident that the two cannot be compared.

(ii) The domestic industry had intermittent stoppage/ interruptions in production (i) during the POI due to non-availability of raw material. This

shows that for nearly 3 months during the POI, the domestic industry could not produce and consequently the domestic demand had to be met solely from imports.

(iii) Importers/ users have also represented to the Authority that they have faced difficulties with the goods supplied by the domestic industry in terms of uncertainty in supply, since the domestic industry has had serious problems in production due to non-availability of raw materials. Such interruption in production has its own problems associated with additional costs to bring the production back in line (causing inefficiencies) and also in terms of inconsistent quality and performance of the products making it difficult for such products to achieve performance and quality levels desired by users.

(iv) DSM has shut down its plants in Japan and the US which has been replaced by a new plant in the Netherlands with lower capacity and total exports of DEA to India constitutes a small proportion of its total sales. Therefore, the claim of excess capacity made by domestic industry should be ignored by the Authority.

(v) Though due to variety of reasons, including startup operation and offspec sales during the POI, price level at single weighted average level was low, DEE/DEA had started increasing the prices during the POI and thereafter and current prices stand at a much higher level compared to POI. In spite of the above problems the price levels of DEE/DEA was the highest and price undercutting was negative or negligible.

79. Therefore, the exporter has argued that condition of competition between domestic articles and imported articles is not satisfied and consequently cumulative assessment is not appropriate in the present case.

I.1.2 Importers and other interested parties: Tyre and Profile Manufacturers

80. As far as injury claim of the domestic industry and cumulative assessment of effects of dumped imports on the domestic industry are concerned, these interested parties (Tyre and Profile Manufacturers) have argued that the application of the domestic industry does not justify cumulation of dumped imports from the subject countries on the grounds that the goods imported from various sources are not *inter se* competing amongst themselves. It has been *inter alia* argued that:

- Even though imports from Brazil continued to be lower priced, the volume of imports from Brazil has not increased continually;
- Even when imports from China was quite cheap compared to other sources, volume of imports from China is far lower than the imports from Europe and US;
- While landed value from EU and US increased between 2003-04 and POI, the volume of imports also increased from these sources.
- Imports from EU was also consistently declining;
- Imports also include a number of grades not offered by the domestic industry meaning thereby that there is no competition between imported products and domestic products.

81. In respect of the claim of material Injury by the domestic industry, the importers and other interested parties have argued *inter alia*

- That the production and capacity utilization of the DI has increased over the years up to 2003-04 and the production declined in the POI in spite of significant increase in the demand, admittedly because of the plant shut down for an extended period during the POI. Therefore, the decline in production is clearly due to factors other than dumping;
- The DI is unable to produce up to optimum capacity level due to non-availability of raw materials and other problems resulting in decline in sales and market shares;
- For the consumers, price is not a parameter governing supply-sources. Prices from China were lowest. However, imports from China were also lowest, showing that price is not the criteria for deciding the source of imports. In fact, a source having lowest price undercutting is commanding highest volumes and a source having highest price undercutting is commanding lowest volumes. Therefore, it is clearly a situation where the reason for imports has not been the price offered by the foreign producers. The reason for imports by the consumers has been technical consideration. Given the fact that the domestic industry is not offering like article to what the consumers required, the consumers are left with no option but to import the materials, even when cheaper material is available from other sources;
- That the price effect is negative in the instant case and the changes in the net sells realization by the DI is not due to alleged dumped imports.
- That the domestic industry suffer heavy financial losses in the investigation period due to other factors which has been wrongly included by the domestic industry in the losses for the POI;
- That the DI is incurring significant financial losses from its exports;
- That the parameter with respect to profit/loss, cash flow and ROI given in the petition are required to be modified taking into account the abnormal cost incurred by the domestic industry during the POI;
- That the domestic industry has shown positive growth in terms of production, sales, capacity utilization, profitability etc. and negative growth, if any, in term of certain other parameters, is due to factors other than dumped imports;
- That even when the demand of the product is increasing tremendously the domestic industry is unable to participate in the rising demand despite the favourable prices scenario;
- That imports are to fill up the demand-supply gap in the domestic market which is due to the inability of the domestic industry to supply the material;

82. The interested parties have further argued that the injury suffered by the domestic industry, due to other identified factors like disruption in production for an extended period and change in depreciation policy during the injury

investigation period and quality and consistency problems, should be appropriately segregated.

I.1.3 Views of the domestic industry

83. The domestic industry has, *inter alia,* argued

- that the plant in Brazil belong to the same group i.e., DSM and contrary to the assertion of the interested parties the imports from Brazil has continually increased;
- The reason for lower imports from China is that China is the highest net importer of EPDM and it does not have enough capacity to cater to Indian market. However, during the POI imports from China are above de minimis and at significantly dumped prices;
- Both USA and EU command for 80% of the global EPDM capacity and account for 70% of the demand in these regions. The excess capacity is used by them to dump in India and their prices are lower than other producers in Japan and Korea;
- Contrary to the assertion of the interested parties, the volume of imports from EU shows a clear up-swing during the injury investigation period.

84. The domestic industry has further argued that the goods imported from the subject countries/territories are like articles to the goods manufactured by them and do compete with the domestic products, as well as *inter se* amongst themselves, as the products are distributed through same channels of distribution and interchangeably used by the user industry. Therefore, all conditions for cumulative assessment of injury and causal link have been satisfied.

85. The domestic industry has also argued that due to the dumped imports, which has increased significantly over the injury investigation period, in absolute terms, as well as in relation to imports, production and consumption in India, they have not been able to get remunerative price for their product. As a result of which their cash flow situation is very precarious, debt burden has increased and there is a shortage of working capital on account of heavy losses arising from dumping from subject countries. It has also been submitted that the domestic industry was able to achieve an increase in production and capacity utilization due to continuation of antidumping duty imposed on goods originating from Korea RP and Japan. However, in spite of efforts to reduce cost and improve efficiency, the domestic industry has not been able to increase capacity utilization and production vis-à-vis the growth of domestic market due to dumped imports from the subject countries.

86. As far as loss of production due to disruption in sourcing raw materials is concerned, the domestic industry has submitted that a single source for primary raw materials i.e., Ethylene and Propylene is the usual norm for the EPDM industry, primarily due to the nature of the raw materials involved. The closure of

raw material supplier for a short span during the POI is one of the rarest of cases and the company has claimed *force majeure* in its contract. The alternative was to buy the raw materials from alternate suppliers at exorbitant prices and sale the finished goods at low prices due to the pressure of dumped import prices. That would have worsened their condition.

I.2 Examination by the Authority:

I.2.1 Cumulative assessment of Injury

87. The Authority has taken note of and examined various issues raised by the interested parties and the domestic industry in respect of cumulative assessment of injury and causal link and the issues have been addressed at appropriate places in this report.

88. As far as the like article for the purpose of injury determination is concerned, the arguments of the interested parties for exclusion of grades not manufactured by the domestic industry, and argument of the exporter for exclusion of the off-spec materials from the like product domain, have been examined in the previous sections and the Authority holds that all grades, including their off-spec variants are technically and commercially substitutable to the grades manufactured by the domestic industry and therefore, they are the like products. Accordingly, for the purpose of injury examination entire product range of the domestic industry has been considered.

89. The Authority notes that EPDM is being imported from a number of countries, including the countries/territories under investigation. The Authority also notes that antidumping duty was in force against Japan and Korea RP during the POI. The imports from the subject countries/territories have been found to be at dumped prices. Therefore, issue of cumulative assessment of injury to the domestic industry, on account of dumped imports, have been examined by the Authority on the basis of submissions made by the interested parties.

90. Annexure II para (iii) of the Anti Dumping Rules requires that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that

I) the imports from individual countries are above de minimis or cumulatively account for more than 7% of imports:
II) the dumping margin against individual countries are above 2%; and
III) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles

91. As regards the claim of the interested parties that the imported goods do not compete amongst themselves and with the domestically produced goods, the Authority notes that the data on import prices and volumes clearly indicate decline in prices and increase in volume from the subject countries, except for the EU where there is a very marginal increase in average CIF price. However, it is also noted that EPDM is being produced in some 40 different grades and depending upon the composition of the export basket from a particular country the prices do vary in a narrow range. It has also been confirmed by the exporter from EU that during the process of capacity rationalization certain grades of EPDM have been taken out of their production line, which might have an impact on their average prices.

92. It is clear from the import data of the importers/users that they do import various grades of EPDM and for the same application at least 2 to 3 equivalent grades of EPDM, manufactured by different producers are maintained in their inventory, in order to avoid any supply disruption and as a measure of avoidance of dependence on any single supplier. It indicates that respective equivalent grades manufactured by different foreign producers and Indian producer do compete amongst themselves.

93. The Authority also notes that the

i) The margins of dumping of the subject goods from each of the subject countries/territories are more than the de minimis limits.

ii) The volume of imports from each of the subject countries is not negligible as defined in Article 5.8 of the Agreement.

iii) Dumped goods from the subject countries and domestically produced like articles are interchangeable and are being interchangeably used by the user industry. Transaction-wise information on imports from the subject countries shows that the imports are being made by actual users as well as traders who have purchased the material for reselling. Goods supplied by the countries involved are entering the Indian markets through the similar channels of distributions and directly competing in the Indian market.

iv) Products supplied from the subject countries are being marketed in India during the same period through comparable sales channels and under similar commercial conditions.

v) The domestic producer and exporters in the subject countries are selling the product to the same category of consumers.

vi) Examination of the price levels at which these products are entering the Indian market indicates that the landed value of goods at the Indian shore

is in a narrow band between Rs 80/- to Rs88/- per Kg except for China PR. Therefore, the price levels clearly indicate significant competition between the exports, as well as with the domestic product, in the Indian market. Grade composition of the Chinese exports is not known. However, it appears that the grades exported from China PR compete with lower end grades of other manufacturers.

vii) Therefore, the imports from the subject countries are found to be competing amongst themselves as well as with the Indian products and significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market.

94. In view of the above, the Authority proposes to hold that cumulative assessment of injury on account of dumped imports from the subject countries/territories is appropriate in this case.

I.2.2 Material Injury

95. Article 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports. The authorities are required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports, the authorities are required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

96. The interested parties have argued that the production of the domestic industry was disrupted for an extended period which has affected their overall performance and had they been able to produce for the whole year the situation would have been different. The Authority has examined the issue of raw material supply disruption and its impact on the injury parameters. Examination of the production facility and raw material procurement of the cooperating exporter supports the argument that single source of supply of these critical raw materials is a standard norm for this industry. In fact in case of DSM these raw materials are supplied by the producer located at the same site on a long term contract basis. Therefore, any disruption at the supplier's end due to maintenance or breakdown is bound to affect the EPDM producer. It is also noticed that maintenance shutdown of about 4 weeks in a year is a normal technical requirement in this type of industry. However, in order to reasonably isolate the effect of such disruption during the POI, domestic industry's production and sales data has been extrapolated (on the basis of average monthly production to

compensate for the period when there was no production) to compare the trend of the data of previous years with the extrapolated data.

97. For the purpose of injury and causal link analysis, as discussed above, the dumped imports from the subject countries/territories have been cumulated for examination of volume and price effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. Since the domestic industry has disclosed several injury information in its non-confidential submissions vide letter dated 22nd August 2006, the same has been reported in this finding.

(A) VOLUME EFFECT: Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

98. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries/territories, as well as dumped imports from other countries have been examined as follows:

I) Import Volumes and share of subject countries:

99. For the purpose of injury examination the Authority has examined the DGCI&S import data, cooperating exporters export data and data from other secondary sources provided by the domestic industry. As noted earlier the DGCI&S import data has been adopted for this injury analysis as the best reliable information available with the Authority though the export volumes from certain sources could be higher as per the data submitted by the interested parties. On the basis of this data the import volume of the subject countries/territories are as follows:

Country	Quantity in MT			
Imports	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Subject Countries/territories				
EU	2655.740	1821.661	2615.471	3276.954
USA	810.944	936.950	1700.831	2180.799
Brazil	211.517	225.786	472.020	441.322
China	36.050	2.105	230.129	228.950
Total Subject Countries/territories	3714.251	2986.502	5018.451	6128.025
Trend	100	80.41	135.11	164.99
Others	1575.102	824.980	347.400	272.997
Trend	100	52.38	22.06	17.33
Total Imports	5289.353	3811.482	5365.851	6401.022
Trend	100	72.06	101.45	121.02

100. The above data shows that while the total imports to India has grown by about 21% over the base period, the imports from the subject countries has registered a growth of about 65%. Import volumes from Individual countries under investigation also show significant increase.

101. The increase in volume of imports has also been analyzed with respect to the growth in demand and market shares.

	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Domestic sales	3415.00	4732	4734.129	4162.119
Trend	100.00	138.57	138.63	121.88
Captive Consumption	19.773	46.82	36.41	27.15
Subject countries Imports	3714.25	2986.50	5018.45	6128.03
Trend	100.00	80.41	135.11	164.99
Other country Imports	1575.10	824.98	347.40	273.00
Trend	100.00	52.38	22.06	17.33
Total Imports	5289.35	3811.48	5365.85	6401.02
Trend	100.00	72.06	101.45	121.02
Total Demand	8724.13	8590.30	10136.39	10590.30
Trend	100.00	98.47	116.19	121.39

102. The above data indicates a healthy growth in demand for the subject goods in the domestic market. Whereas total demand of the product shows a growth of 21% over the base year, the imports from the subject countries/territories show a growth of over 65% and sale of the domestic industry, after showing a healthy growth during 2003-04, has again declined during the POI. Growth of domestic industry's sales in POI over the base year is only 22%, and in absolute term the sales have declined by about 600MT from previous year. Imports from other countries have significantly declined. The Authority notes that antidumping duty was in force against Korea and Japan during this period and production facility of DSM in Japan was shut down during 2003-04.

ii) Demand, Output and Market shares

a) Production of the Domestic Industry

Quantity in MT

	2001-02	2002-03	2003-04	POI	POI Adjusted*
Capacity	10000	10000	10000	10000	10000
Production (Local)	*****	*****	*****	*****	
Production (Export)	*****	*****	*****	*****	
Total Production	3840.00	5023	5461.46	4464.63	5246.57
Trend	100.00	130.81	142.23	116.27	136.63
Capacity Utilization	38.40%	50.23%	54.61%	44.65%	52.47%
Trend	100.00	130.81	142.23	116.27	136.63

* data for the POI has been adjusted to take into account loss of production during this period due to disruption in supply of major raw materials.

103. The production and capacity utilization of the domestic industry has declined after showing a recovery trend during 2002-03 and 2003-04. The data above shows that the production in the POI increased by about 22% compared to the base year but declined significantly compared to the previous year. However, the drop in production is attributed partly to the production stoppage in April and August 2004 due to non availability of the basic raw material from IPCL's plant on which the domestic industry is largely dependant. Therefore, the data has been adjusted to account for the probable production of the plant had there been no production loss during this period. After raising the production volume on pro-rata basis, the production volume has been compared with previous year's data. Though there is an improvement over the base year due to antidumping protection available during this phase, the performance in terms of adjusted production and capacity utilization also shows declining trend.

b) Sales of Domestic Industry

Quantity in MT

Sales	2001-02	2002-03	2003-04	POI	POI Adjusted
Domestic	3415.00	4732	4734.129	4162.119	4637.84
Trend	100.00	138.57	138.63	121.88	135.81
Exports	23.00	340	993	572.956	687.55
Trend	100.00	1478.26	4317.39	2491.11	2989.34
Captive Consumption	*****	*****	*****	*****	*****
Trend	100.00	236.79	184.14	137.33	164.79
Total Sales + Captive Consumption	*****	*****	*****	*****	*****
Trend	100.00	148.04	166.68	137.73	154.95

104. The data shows that the domestic sale of the domestic industry, after showing signs of recovery during 2002-03 and 2003-04, has again declined. Adjusted sales, taking into account production loss during the POI, also shows decline compared to the previous years.

b) Demand and Market Share

	2001-02	**2002-03**	**2003-04**	**POI**	**POI Adjusted**
Domestic sales	3415.00	4732	4734.129	4162.119	4994.54
Trend	100.00	138.57	138.63	121.88	121.88
Captive Consumption	*****	*****	*****	*****	*****
Subject countries	3714.25	2986.50	5018.45	6128.03	6542.93
Imports					
Trend	100.00	80.41	135.11	164.99	176.16
Other countries Imports	1575.10	824.98	347.40	273.00	431.47

Trend	100.00	52.38	22.06	17.33	27.39
Total Imports	5289.35	3811.48	5365.85	6401.02	6974.40
Trend	100.00	72.06	101.45	121.02	131.86
Total Demand	8724.13	8590.30	10136.39	10590.30	11996.10
Trend	100.00	98.47	116.19	121.39	139.65
Share in Demand					
Domestic Industry	39.14%	55.09%	46.70%	39.30%	41.63%
Trend	100.00	140.72	119.31	100.40	106.36
Subject countries	42.57%	34.77%	49.51%	57.86%	54.54%
Trend	100.00	81.66	116.29	135.91	156.88
Other Countries	18.05%	9.60%	3.43%	2.58%	3.60%
Trend	100.00	53.19	18.98	14.28	37.45

105. The POI data shows that domestic industry, after gaining significant market share during 2002 to 2004, has again lost its market share to dumped imports from the subject countries/territories. Market share of the domestic industry increased from 39% to 55% in 2002-03 and started declined from the next year to reach the same level as in the base year, whereas the market share of the subject countries increased from 43% to 58% during the POI.

106. Adjusted POI data shows that while domestic demand of the product under consideration has increased by about 39% from the base year, the share of the domestic industry in the total demand, after increasing from 39% in the base year to 55% in the next year, has declined to 41% during the POI. At the same time the share of the dumped imports from the subject countries, after declining from 43% in the base year to 35% in the next year, has again increased to 55% during the POI, while share of imports from other sources has become negligible.

(B) Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

107. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries/territories has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the Domestic industry (worked out after normating the costing information of the Domestic Industry) have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

(i) Price undercutting and underselling effects

Rs/Kg

	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Domestic Selling Price	*****	*****	*****	*****
Trend	100	97.54	85.63	79.66
Cost to Make and Sale	*****	*****	*****	*****
Trend	100	96.84	93.19	96.31
Landed values				
EU	92.92	93.38	86.65	88.33

USA	100.15	89.52	87.51	79.54
Brazil	111.07	98.86	88.21	88.13
China	84.62	168.68	75.22	73.01
Subject countries	95.45	92.64	86.56	84.62
Trend	100	84.90	79.33	77.55
Price Undercutting				
EU				*****
USA				*****
Brazil				*****
China				*****
Subject countries				*****
Price Undercutting %				
EU				-0 to 10%
USA				5 to 15%
Brazil				-0 to 10%
China				10 to 20%
Subject countries				5 to 10%
NIP				*****
Price Underselling				
EU				*****
USA				*****
Brazil				*****
China				*****
Subject countries				*****
Price Underselling %				
EU				25 to 35%
USA				35 to 45%
Brazil				25 to 35%
China				50 to 60%
Subject countries				30 to 40%

108. The selling price (net sales realization) of the domestic industry shows significant decline compared to the base year. The cost of sales also showed a declining trend upto 2003-04 and a marginal increase during the POI. But the decline in selling price is higher than the decline in the cost to make and sale by the domestic industry by about 16%.

109. At the same time the landed value of imports from the subject countries shows significant decline of about 23% over the base year. Comparison of import price and domestic selling price indicates that decline in import prices are faster than the domestic selling prices.

110. Price undercutting effect of dumped imports from the subject countries/ territories has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from the subject countries/territories over the entire period of investigation with the weighted average net sales realization of the domestic industry for the same period. For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the CIF value of imports from the subject countries/territories.

111. In determining the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been rebated.

112. For the purpose of price underselling determination the weighted average landed prices of imports from subject countries/territories have been compared with the Non-injurious selling price of the domestic industry determined for the POI.

113. As far as price undercutting is concerned, the imports from the EU and Brazil have marginal negative price undercutting, whereas other countries involved have significant undercutting effect. However, the domestic industry's prices are significantly depressed and therefore, price undercutting would not give a clear picture of price effect.

114. The landed value of imports from all the subject countries, individually and cumulatively, have been found to be significantly below the non-injurious price of the domestic industry determined by the Authority indicating significant price underselling effect on the domestic industry.

(ii) Price suppression and depression effects of the dumped imports:

115. The price suppression/depression effects of the dumped imports have also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values from the subject countries. The trend of cost of production of the subject goods shows significant decline during the injury investigation period and a marginal increase during the POI. However, the trend of net sales realization of the domestic industry shows faster decline compared to the cost of production. The import prices also show a faster decline.

116. The above data indicates that the domestic industry has been forced to depress its prices to match with the import prices, in order to retain its market share.

I.4 Examination of other Injury Parameters

117. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry, as well as demand pattern with market shares of various segments, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analysed by the Authority as follows:

i) Actual and potential effect on productivity

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	POI	POI Adjusted
Total Production		3840.00	5023	5461.46	4464.63	5246.57
No of Employees		*****	*****	*****	*****	*****
Productivity	Per Employee	*****	*****	*****	*****	*****

Indexed		100	128.31	147.00	136.68	160.62
Productivity	MT/Day	*****	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	130.81	142.23	116.27	136.63

118. There is a decline in employment and therefore, productivity of the domestic industry, measured in terms of its labour productivity of the output has improved substantially. However, daily output has declined after showing improvement in 2003-04.

ii) Profits and actual and potential effects on the cash flow

Particulars	**Unit**	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**POI**
Cost of Sales	Rs./Kg	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	96.84	93.19	96.31
Selling Price	Rs./Kg	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	97.54	85.63	79.66
Profit/Loss	Rs./Kg	(*****)	(*****)	(*****)	(*****)
Indexed		100	76.97	308.64	571.40
Total Profit/Loss on Domestic Sales	Rs. Lacs	(*****)	(*****)	(*****)	(*****)
Indexed		100	106.65	427.86	696.40
Depreciation	Rs/Kg	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	166.17	153.82	186.01
Cash Profit/Loss	Rs/Kg	*****	*****	(*****)	(*****)
Cash Profit/Loss	Rs. Lacs	*****	*****	(*****)	(*****)
Indexed		100	441.67	-153.84	-576.63

119. Data shows that the company after improving its cash profit during 2002-03 has again incurred cash loss from 2003-04 and cash loss has increased substantially during the POI due to increase in per unit loss in domestic sales. Significant reduction in selling price has resulted in loss in domestic operation.

iii) Employment and wages

Particulars	**Unit**	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Employment					
No. of Employee	Nos.	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	101.95	96.75	85.06
Wages	Rs Lacs	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	104.28	107.73	96.60
Wage per Employee	Rs. Lacs	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	102.28	113.51	115.77

120. The employment level has declined significantly so also total wages though per employee wage has increased compared to the base year.

iv) Return on investment and ability to raise capital

Particulars		2001-02	2002-03	2003-04	POI
Capital Employed (NFA + Working Capital)	Rs/Kg	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	77.19	68.67	65.05
Profit	Rs/Kg	(*****)	(*****)	(*****)	(*****)
Indexed		100	76.97	308.64	571.40
Interest	Rs/Kg	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	76.48	72.26	45.62
PBIT	Rs/Kg	*****	*****	(*****)	(*****)
Indexed		100	76.30	-12.45	-142.80
Return on Capital Employed	%	3.48%	4.49%	-0.90%	-8.87%
Indexed		100	129.31	-25.79	-255.22

121. The financial performance of the domestic industry has also been analysed in terms of its cash profits and return on investment. The capital employed, as well as profits in domestic operation show significant decline compared to the base year. On a year to year comparison, the data indicates that after significant recovery in the year 2002-03, the financial performance of the company has deteriorated which coincides with the decline in prices due to pressure of dumped imports from the subject countries.

v) Investment

122. The Authority notes that domestic industry has not invested any further capital in this business and the capacity of the plant has remained at 10000 MT level. There has been no further fresh investment by the domestic industry during the investigation period and there are no plans for further investment as submitted by them.

vi) Magnitude of Dumping

123. Magnitude of dumping, as an indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry, shows that the dumping margins determined against the countries/territories named, for the POI, are significant.

vii) Factors affecting prices

124. Change in cost structure, competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market. The Authority notes that there is no viable substitute to this product and M/s Unimerse India is the sole producer of the subject good in India. Therefore, domestic competition does not affect the prices. Dumped imports from the subject countries have been found to be competing with the domestic product and affect the prices in the domestic market.

125. The interested parties have raised the issue of quality and performance of the domestic industry products, as well as inconsistency in supply, as factors that are affecting the domestic industry. However, as noted earlier, the issues have been examined in detail and the very fact that applicant is selling almost 5000MT of the said product in the domestic market to same set of users for similar applications nullifies these arguments to a large extent.

viii) Inventories

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Average inventory Holding	MT	331.3445	474.6215	275.7325	221.38
Indexed		100	143.24	58.10	46.64
Inventories as % of production		8.63%	9.45%	5.05%	4.96%
Trend	Indexed	100	109.51	53.43	52.48

126. The inventory data of the domestic industry indicates significant decline in inventory holding. However, the reduction in inventory is largely due to loss of production for an extended period in the POI and increase in exports.

I.5 Other Known factors and Causal Link

I.5.1 Views of the interested parties

127. As noted earlier the Interested parties have argued that the dumped imports are not responsible for the injury, if any, caused to the domestic industry. They have argued that time and again domestic industry faces tremendous problem in procurement of raw materials as the domestic industry is fully dependent on a single source for its critical raw materials. In the case of breakdown and shutdown for maintenance by the raw materials supplier, the company is forced to suspend production. In spite of more than a decade age of operation of the company, the company has not been able to work out any alternative plans and has treated this as a *force majeure* condition. The domestic industry has not been able to meet supply schedules committed to its customers due to the problems faced in procuring the raw materials. Therefore, this not being a very reliable source of EPDM, the users of this product have to resort to imports because of their tight commitments on supply front, particularly in the Automobile segment which operates on just-in-time inventory. They have argued that there are substantial difference between the cost of production and other efficiencies between the domestic industry and the exporters in the subject countries and due to unavailability of working capital the domestic industry has not been able to keep its production plan in tact. Therefore, it has been agued that in terms of Article 3.5 of the Agreement, injury caused to the domestic industry are due to factors other than dumped imports and cannot be attributed to dumped imports

128. In their post disclosure submissions the interested parties have *inter alia* argued

- The injury to the domestic industry is due to a number of quantified parameters, such as change in depreciation policy and loss of production, which should be factored into the injury analysis. They have argued that the company had projected production of wide range of products whereas only a few grades are being produced by them. Therefore, the applicant should have been able to produce more than their capacity indicated. In view of the above, the Authority should examine why the applicant has been achieving lower capacity utilization.
- That there are substantial difference between the cost of production and other efficiencies between the domestic industry and the exporters in the subject countries;
- That the domestic producer has been a BIFR Company for a long time and due to unavailability of working capital the domestic industry has not been able to keep its production plan intact.
- That while the landed price of imports from Europe increased during the POI as compared to the previous years that of US declined. While price undercutting from USA and China has been found to be positive, that of Europe and Brazil has been negative. Therefore, injury to domestic industry, if at all, has been caused by imports from USA and China.

I.5.2 Examination by the Authority

129. The Authority has examined the issue of causal link between the dumped imports from the subject countries and injury suffered by the domestic industry in the light of the above arguments of the interested parties. On the contrary, the Authority notes that the interested parties have made an erroneous and misleading assertion that the domestic industry has been under BIFR for a long time. In fact the Company was never under BIFR, though it had financial problems in the past. The Auditors of the Company have certified in their Annual Reports that it was not a sick Company. The net worth of the Company has been positive. The Annual Reports of the Company for the year 2002-03 reports that the cause of potential sickness of the company, among other factors, is dumping from several countries. The company has also reported the remedial measures taken by it to address this problem, which included financial restructuring package by term- lending financial institutions, enhancement of working capital facilities by the banks due to the financial restructuring, improvement in supply of raw materials after take over of IPCL by Reliance Industries. Capital restructuring was also carried out in 2000-01 by setting off the accumulated loss against equity and adding fresh equity from the promoters. The Authority also notes that the Company was also facing dumping of the same goods from Japan and Korea RP, during this period and antidumping duty was imposed on these countries in August 2000. The Authority notes that after imposition of antidumping duty on Japan and Korea RP the performance of the domestic industry showed signs of recovery. But after imposition of duty there has been significant shift of the imports from Korea and Japan to USA, Brazil and the EU. The performance of the domestic industry again shows declining trend from 2003-04.

130. The trend of domestic prices cost of production and landed value of imports from the subject countries clearly indicates that the domestic prices have been significantly depressed to align itself with the import prices. Therefore, price

undercutting, in itself, is not a definitive parameter to establish causal link between the imports from individual countries and injury suffered. The selling price of the domestic industry appears to have been bench marked against the lowest import prices. On the other hand there is a significant price underselling by the dumped imports.

131. As far as single source of supply of raw materials and disruption in production, low capacity utilization and consequent injury is concerned, disruption in production and sales during the POI has been addressed by normating the capacity utilization at higher levels to isolate the injury on account of these factors. Even if the period for which the production of the domestic industry is not taken into account, monthly production and sales of the domestic industry clearly establishes that the company has been operating at very low level of capacity utilization for the entire POI. Therefore, the arguments of the interested parties that the injury to the domestic industry was due to extended period of production disruption, does not appear to be correct. The authority also notes that the cost of production of the domestic industry compares favorably with the cost of production of international players. In addition to the above arguments, the Authority has also examined the issue of causal link and other non-attribution factors as laid down in the Rules to segregate injury, if any, caused by other factors. In this regard the following indicative factors as laid down in the Rules have been examined.

i) Volume and prices of imports from other sources

132. Article 3.5 mandates examination of volume and value of imports not sold at dumped prices as a factor for non-attribution analysis. The Authority notes that during the POI, other than the subject countries/territories, very negligible imports have taken place from other countries. Therefore, the injury caused by the imports from these sources cannot be attributed to the dumped imports from the subject countries/territories.

ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

133. Total domestic demand of the product under consideration, has shown a very significant increase by about 40% during the period of investigation compared to the base year. There is no significant change in consumption pattern of the product in the domestic market, which can be attributed to the injury to the domestic industry.

iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

134. The Authority notes that the subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. M/s Unimerse India is the sole producer of the subject goods in the country. There is no restriction on fair trade in the country and imports of the subject goods take place from several countries and compete with the domestic producer. However, major portion of the imports from several sources have been determined as dumped imports.

iv) Development of technology and export performance

135. The Authority notes that the plant of the domestic industry was set up with the technical collaboration with one of the leading producers of EPDM in the world and there is no major difference between the technologies, being used by major producers of the subject goods in the world. The production facilities of the cooperating foreign producer in the subject countries were also verified and it was seen that the producers apply similar production technology. Therefore, development of technology or inefficient method of production of the domestic industry cannot be treated as a cause of injury to the domestic industry.

136. The Authority notes that the domestic industry has very small export turnover of the product under consideration though it shows steady growth during the investigation period. Therefore, export performance of the domestic industry is very insignificant and does not affect the domestic industry's performance very significantly. However, the injury analysis has been done on the domestic operation of the Company and therefore, export performance cannot be attributed as a reason of injury suffered by the domestic industry.

v) Productivity of the Domestic Industry

137. Productivity of the domestic industry in terms of labour output has shown substantial improvement. However, daily output has shown significant decline because of production loss for an extended period. Production loss in the instant case being *force majeure* condition, productivity as a factor cannot be attributed to the injury of the domestic industry. In fact domestic industry has tried to reduce its losses in its domestic operation through improvement in productivity.

138. No other factor, which could have possibly caused injury to the domestic industry, has been brought to the knowledge of Authority.

I.6 Factors establishing causal link

139. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from subject countries. Therefore, the causal links between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

1. The dumped import prices and consequently the landed price of imports, cumulatively from the subject countries, have declined, resulting in significant price depression;

2. Reduction in the selling prices by the domestic industry has adversely affected the profits, cash flow and return on investments of the company;

3. Even though the domestic industry responded to decline in import prices, by reducing its prices, it has lost significant market share to the dumped imports from the subject countries;

4. Existence of significant price depression, price undercutting, price underselling and consequent decline in market share of the domestic industry resulted in low capacity utilization not reaching the earlier levels, even after factoring in the loss of production for a certain period during the POI. Domestic industry could not increase sales and consequently production and capacity utilization, in spite of increase in demand;

5. In spite of increase in demand and reduction in selling prices by the domestic industry, market share of the domestic industry declined due to significant reduction in landed price of imports. This has retarded the growth of the domestic industry.

I.7 Overall assessment

140. The above analysis of the factors that may indicate existence of material injury to the domestic industry shows that in spite of the improvement in several parameters during the intervening period the performance of the domestic industry has deteriorated and the industry suffers injury on account high unutilized capacity while there is a healthy demand for the product in the domestic markets, low net sales realization, negative or low return on investments and profits. The injury suffered is material and significant. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury and such injury has been caused significantly by price and volume effects of dumped imports from the subject countries. Injury, if any, caused due to other factors brought to the notice of the Authority have not been attributed to the dumped imports.

J. Magnitude of Injury and injury margin

141. The non-injurious price determined by the Authority, after normating the cost of production of the domestic industry, has been compared with the weighted average landed value of the exports for determination of injury margin. The injury margins have been worked out as follows:

Company/ Country	Injury Margin Range
All Exporters from the EU	25 to 35%
All exporters from the USA	40 to 50%
All exporters from China PR	50 to 60%
All exporters from Brazil	25 to 35%

K. Threat of Material Injury

142. In addition to the above claims of material injury, the domestic industry has also made a claim of threat of material injury, on the grounds that significant price undercutting coupled with very large disposable capacities with the producers in the subject countries, is a clear evidence of threat of injury to the domestic industry. In the light of the above claims the issue of threat of material

injury has been examined in terms of para vii of Annex II of the Rules. The Authority notes that

- There is a significant increase in dumped imports from the subject countries to India. The imports in the POI are about 65% higher compared the base year and growth over the previous year is about 22%. The demand for the subject goods is healthy and the trend of growth in import is likely to continue because of the price factor;
- Data on capacities and demand-supply of EPDM indicate that there was significantly higher capacity in the world market leading to rationalization of capacity by closure of two plants of DSM in USA and Japan during 2004-05. However, at the same time major producers (DSM, Exxon and Du Pont-Dow) have added new production lines in the US and Europe indicating significant disposable capacity in the subject countries;
- The cost and price analysis in the previous section indicate that the dumped imports have significantly depressed the domestic prices in India;

143. M/s DSM has submitted that there is a capacity reduction by DEE/DEA after shutting down the plants in USA and Japan and their new plant in the Netherlands is of a lower capacity. They have argued that their export to India is a very small proportion of their global sales and there is no question of DEE dumping the goods in India based on excess capacity available with DEE. They have further argued that their prices to India have increased substantially during and after the POI and therefore, there is no threat of injury to the domestic industry.

144. The Authority has examined the claims made and notes that the domestic industry has suffered material injury due to the dumped imports. Therefore, threat of injury is not a major issue in this case. However, keeping in view large capacities built up recently by major producers in the world threat of dumping continuing form the subject countries and consequent injury to the domestic industry appears to be imminent.

L. Conclusions

145. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding the authority concludes that:

i) The subject goods have entered the Indian market from the subject countries/territories at prices less than their normal values;

ii) The domestic industry has suffered material injury and threat of injury exists; And

iii) The injury has been caused to the domestic industry, both by volume and price effect of dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries/territories.

M. Indian industry's interest & other issues

146. The Authority notes the arguments and the concerns of the interested parties that the downstream user industry would be adversely affected if antidumping duty is imposed on this product and there could be shifting of certain segments of the user industry to more competitive regions. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of free and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. On the other hand, if distortion caused by the dumped imports are not corrected it may lead to closure of the domestic production base and subsequent price increase by the foreign producers, which will adversely affect the user industry. However, as far as the apprehension of the downstream industry about the cost disadvantage it may cause for them, the Authority notes that the Rules do not permit it to go into these issues. Whether to impose any antidumping duty or not, considering larger interests of the economy, is the decision which falls within the purview of the Central Government and the Authority is not competent to make any comments on these issues.

N. Recommendations

147. The Authority initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry in terms of the Rules laid down, and having established positive dumping margins against the subject countries, and having concluded that the domestic industry suffers material injury due to such dumped imports, the Authority is of the opinion that definitive measure is required to be imposed to offset dumping and injury being caused to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive antidumping duty in the form and manner prescribed below.

148. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty equal to the difference between the landed value of the subject goods and the amount indicated in Col 9 of the duty table annexed herewith, provided the landed value is less than the value indicated in Col 9, is recommended to be imposed by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries/territories. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

Sl. No	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Reference Price	Unit of Measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	4002.70	Ethylene-Propylene-non-conjugated Diene Rubber (EPDM)	All Grades	European Union	European Union	M/s DSM Elastomer Europe B.V.	M/s DSM Elastomer Asia, Singapore	2.47	Kg	USD
2	4002.70	-Do-	-Do-	European Union	Any	Any other than above	Any	2.51	Kg	USD
3	4002.70	-Do_	-Do_	Any	European Union	Any	Any	2.51	Kg	USD
4	4002.70	-Do-	-Do-	USA	Any	Any	Any	2.51	Kg	USD
5	4002.70	-Do-	-Do-	Any	USA	Any	Any	2.51	Kg	USD
6	4002.70	-Do-	-Do-	Brazil	Any	Any	Any	2.51	Kg	USD
7	4002.70	-Do-	-Do-	Any	Brazil	Any	Any	2.51	Kg	USD
8	4002.70	-Do-	-Do-	China PR	Any	Any	Any	2.51	Kg	USD
9	4002.70	-Do-	-Do-	Any	China PR	Any	Any	2.51	Kg	USD

O. Further Procedures

149. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

150. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.